 Letter No. 1129 /81-4-2024

From,

Ravi Shankar Mishra,
Joint Secretary,
Government of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Copernicus Marg, New Delhi.

Environment, Forest and
Climate Change, Section-4 Lucknow : Dated : 07 August , 2024

Subject: Action Taken Report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 30.04.2024 in OA No. 529/2023 Dr. Sharad Gupta Vs. Union of India & Others.

Sir,

In compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 30.04.2024 in OA No. 529/2024 Dr. Sharad Gupta Vs. Union of India & Others, the Action Taken Report on behalf of Additional Chief Secretary, Department of Environment, Forest & Climate Change, Government of Uttar Pradesh is being filed and annexed herewith.

It is requested that the said report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours Sincerely,

(Ravi Shankar Mishra)
Joint Secretary.

Copy to: Shri Bhanwar Pal Singh Jadon, Standing Counsel, State of Uttar Pradesh, Hon'ble NGT, New Delhi for information and further necessary action.

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN

TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

NEW DELHI

Original Application No. 529 of 2023

IN THE MATTER OF

Dr. Sharad Gupta ...Applicant

Versus

Union Of India & Ors. ...Respondents

STATUS REPORT FILED BY THE ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 30.04.2024

1. That the Hon'ble Supreme Court of India in the I.A Nos 196157, 196158 and 196159 of 2019 in W.P.(Civil) No. 13381 of 1984 namely M.C. Mehta v U.O.I. & Ors. passed the order dated 23.09.2022 and accepted the recommendations of the CEC (Central Empowered Committee) which are as given below:

   i. *Notify 403.09 hectare area of Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) under Section 26(A) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 after describing the limits of the area which shall be comprised within the Sanctuary in terms of survey numbers of the lands comprised within the SSBS and describe the boundary in terms of boundary pillars on east, west, south and north of the proposed Soor Sarovar Bird Sanctuary along with their forward and backward bearings within a period of two months from the date of order of this Hon'ble Court.*

   ii. *Consider extending the area of the Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) by including the Surdas Reserve Forest block of 380.558hectare area and 15.514 hectare area of the government land which currently forms the buffer zone of the Sanctuary outside the proposed boundary of the Sanctuary after following the procedure under sections 18 to 25 of the Wildlife (Protection) Act, 1972.*

2. That the present Original Application No. 529/2023 is for seeking direction and implementation of the order of the Hon'ble Supreme Court in the matter mentioned above where the Hon'ble Apex Court accepted the recommendations of the Central Empowered Committee (hereinafter referred to as CEC) to consider extending the area of the Soor Sarovar Bird Sanctuary (SSBS) by including the Surdas Reserve Forest

block of 380.558 hectare area and 15.415 hectare area of the government land which currently forms the buffer zone of the Sanctuary outside the boundary of the proposed Sanctuary after following the procedure under sections 18 to 25 of the Wildlife (Protection) Act, 1972. That this application was filed with the following prayers:

a) **Direct to concerned authorities by issuing a show cause notice for stating the reasons for not implementation of the recommendations of the CEC vide Hon'ble Apex Court Order dated 23.09.2022 in a time-bound period;**

b) **Issue notice to Respondent's to show as to what steps has been taken with respect of the said order of the Hon'ble Supreme Court of India;**

c) **Pass such other or further order(s) or such directions as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case and to meet the ends of justice.**

3. That the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue notice on 24.08.2023 and by order dated 06.11.2023 directed the undersigned to file an Affidavit disclosing the time-bound programme for completing the process leading to issuance of final notification under Section 26-A of the Act for the purpose of declaring the entire stipulated area to be a part of the Sur Sarovar Bird Sanctuary. It is humbly submitted that in compliance of that order/notice an Affidavit was filed by the undersigned to put the complete proposals for rationalisation of boundaries and areas of the proposed Sanctuary in question.

4. It is humbly submitted that an Affidavit dated 28.11.2023 was filed by the undersigned in compliance of the order of this Hon'ble Tribunal dated 6.11.2023 to disclose the time-bound programme for completing the process leading to issuance of final notification under Section 26-A of the Act for the purpose of declaring the entire stipulated area to be a part of the bird sanctuary. It is also submitted here that an Additional Affidavit dated 13.02.2024 was filed by the undersigned in compliance of the order dated 1.12.2023 where the Hon'ble Tribunal directed file further compliance affidavit reflecting the action taken in pursuance to the affidavit dated 28.11.2023 and also showing the completion of work in terms of the timeline which has been disclosed in the said affidavit. It is germane to mention here that in compliance of the order dated 16.02.2024, an Action Taken Report was filed on 23.04.2024 by the undersigned which was taken on record on the last date of hearing i.e., 30.04.2024.

5. It is submitted with the utmost respect and regard in consideration of the progress made as elaborated above the intent is of the undersigned is clear and evident that this matter has been taken up as a top priority, meetings have been conducted and directions have been given for resolving the issue raised before this Hon'ble Tribunal and comply with the order dated 30.04.2024 of this Hon'ble Tribunal in which the following order was passed:

> *"5. In respect of 403.09 hectare of land, Learned Counsel for State of UP has submitted that final notification under Section 26 A (1) (a) of the Wildlife Protection Act, 1972 will be issued well within the timeline by 15th May, 2024. He has further submitted that in respect of overlapping of the land, issue has*

been resolved and the area of 15.415 hectares has been reduced to 14.50 hectare. He has submitted that, now, notification in respect of 14.50 hectare under Section 18 of the Wildlife Protection Act, 1972 will be issued by 15th June, 2024. Learned Counsel for the State could not point out as to how after the exclusion of the overlapping area of 0.980-hectare, remaining area from 15.415 hectare remains as 14.50 hectare. Let this aspect be clarified in the next report.

6. In respect of third piece of land i.e. 380.558 hectare of Surdas Forest Block, the timeline of 31.03.2024 has already crossed and no final notification has been issued. The stand of Counsel for State of UP is that he has no instructions as to when this final notification will be issued. Hence, we have no option but to call for the personal appearance of Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, UP through virtual mode on the next date of hearing to disclose the correct status."

6. That the timeline for issuance of final Notifications under Section 26 A of the Wildlife Protection Act, 1972 was given in the Affidavits submitted before this Hon'ble Tribunal in respect of three pieces of land i.e. (A)403.09 hectare, (B)15.415 hectare and (C) 380.55 hectare. It is pertinent to mention that the tentative date for issuance of final Notification with regard to the area of the Sanctuary measuring 403.09 ha as mentioned in the Affidavit was 30.06.2024. **It is germane to mention here that the same Final Notification has been published/issued following the due process laid down in Wildlife (Protection) Act, 1972 as amended dated 12.06.2024 which is much before the timeline pleaded before this Hon'ble Tribunal.** This clearly shows the intent of the undersigned and how the matter in question has been given top priority with continuous and rigorous efforts being taken to resolve the issue of determining the boundary of the Sanctuary in question.

   True Copy of the Final Notification dated 12.06.2024 has been annexed herein as ANNEXURE R1.

7. It is submitted that the Additional Affidavit was submitted before this Hon'ble Tribunal on dated 13.02.2024 in which the issue of overlapping of an area of 0.980 hectare and reduction of the remaining area from the area of 380.558 Ha and the area of 15.415 Ha was mentioned. On this, Hon'ble Tribunal raised the question in the last order dated 30.04.2024 regarding the clarification of how after the exclusion of the overlapping area of 0.980- hectare, remaining area from 15.415 hectare remains as 14.50 hectare. That in order to clarify this, a ground survey and verification has been done by the Technical Survey Team consisting of experts and officers of the Revenue Department (hereinafter referred as Survey Team). That the conclusive reports from the Survey Team clarifies the issue of the overlapping area which is summarized in the table below:

REDUCTION OF 15.415 HECTARE TO 14.5025 HECTARE

Name	Measurement
Old Area of Land Parcel or Government Land	15.415 Hectare (wrongly interpreted and measured)
Measurement after survey of Gata No. 18 (**Overlapping Area**)	0.980 Hectare
Findings after the survey of the above **Overlapping Area** lying between _Surdas Reserve Forest of 380.558 Hectare_ and _Government Land of 15.415 Hectare_	1. 0.9125 Hectare found in Surdas Reserve Forest Area 2. 0.0675 Hectare found outside the Reserve Forest.
An area surveyed and measured Area of the Land Parcel/Government Land as per the table annexed.	**GATA NO.** / **AREA**: 18 – 0.0675 Ha 99 – 0.691 Ha 4 – 0.350 Ha 1 – 0.599 Ha 101 – 12.795 Ha **Total** – 14.5025 Ha

It is pertinent to mention here that measurement of the Land Parcel i.e., Government Land area of 15.415 Ha was incorrectly done earlier and after the survey conducted by experts, the true and correct measurement of this area is 14.5025 Ha.

That the copy of the report of the Survey Team has been annexed herein as **ANNEXURE R2.**

8. It is also submitted that the process of determining the boundaries of the proposed sanctuary has been initiated and is being carefully monitored by the undersigned with the highest level of diligence and sincerity, adhering to all legal procedures. That this process includes obtaining detailed reports from the District Magistrates of Agra and other stake holders which contain views of various departments regarding the proposed boundary. That these comprehensive reports will then be submitted to the State Board for Wildlife, Uttar Pradesh, to obtain their recommendations and approval before issuing the Final Notification as per the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 as amended.

9. It is submitted here that in multiple meetings conducted by the District Magistrate, Agra and all other Stake Holders or Departments related to the matter, the report from the D.M., Agra was taken into account along with the opinions/reports/inputs of the Stake Holders or concerned Departments. That in such meetings it was opined that the issue of the boundary of the proposed Sanctuary to inclusion of additional areas within it also to be looked in the light of the mandatory declaration of Eco-Sensitive Zone (hereinafter referred to as ESZ) outside the boundary of the Sanctuary as there would be clear and increasing severe ramifications and repercussions related to regulations in the ESZ after extending the boundary of the Sanctuary in question.

10. It is submitted here that as per the opinions/reports/inputs submitted by the various Stake Holders and the Departments, expansion of this Sanctuary by including the Reserve Forest Area and Government Land into the said Sanctuary would tremendously affect

such Stake Holders directly and various activities and developmental programmes in this area would be hampered. That the main contentions of all the Stake Holders regarding the matter in question are that:

- *"The proposed Eco Sensitive Zone (ESZ) around the sanctuary would significantly impact the surrounding area and its residents, affecting numerous establishments, industries, public amenities, and residential zones. A 2019 NGT committee report indicates that the ESZ would affect a substantial population due to the Sanctuary's proximity to densely populated and rapidly expanding urban areas.*

- *Employment given to people living around this Sanctuary by various developmental activities conducted by the said Stake Holders will be adversely impacted and households will be affected directly.*

- *Stake Holders also opined that the area is already having the restriction of the Taj Trapezium Zone and such a Notification to extend the said Sanctuary would put them in a worse situation to go ahead with their projects.*

It is submitted here that all of the above opinions were thoroughly discussed in the meetings conducted under the chairmanship of the undersigned and the Minutes of the Meeting along with the Reports from DM, Agra and said Stake Holders have been compiled together and will be submitted before the State Board for Wildlife, Government of Uttar Pradesh for their considerations and recommendations.

Letters from the Stake Holders or Departments with their opinions have been annexed herein as ANNEXURE R3.

11. It is submitted here that matters related to determining the boundary of a Sanctuary are referred to the State Board for Wildlife that takes cognizance of the matter and gives recommendations. That the State Board is constituted u/s 6 of the Wildlife Protection Act, 1972 with the Chief Minister as the Chairperson, Member in charge of Forest and Wildlife as the Vice Chairperson and other members from State Legislature, Non-Governmental Organizations, Members Nominated by the State and other expert members. It is pertinent to mention here that u/s 8 of the Act, State Board has been empowered with duties to give advice to the State Government under sub-section

    (a) in the selection and management of areas to be declared as protected areas;

    (d) in any other matter connected with the protection of wild life, which may be referred to it by the State Government.

    It is also submitted that the matter of Sanctuary in question for recommendations for the areas of 380.558 ha and 14.5025 ha to be marked and protected under the Wildlife Protection Act, 1972 will be referred to State Board for Wildlife and further action will be taken after receiving the recommendations of the State Board.

12. It is submitted that now the said matter regarding the expansion of the area of the Sanctuary in question is being put before the State Board for Wildlife, Uttar Pradesh for

consideration. It is important to note here that the further action will be taken once the approval/recommendation is granted by State Board for Wildlife, U.P.

13. The undersigned is duty bound to fulfill the obligations which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal to comply in true letter and spirit. It is submitted that in the present matter because of the boundaries and limitations set by the law and regulations which are to be abided by the undersigned.

14. That the present Status Report is being filed in compliance of order dated 30.04.2023 of this Hon'ble Tribunal.

(**Manoj Singh**)
Additional Chief Secretary
Environment, Forest & Climate Change
Government of Uttar Pradesh
Lucknow

क्रम-संख्या–82 (क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 12 जून, 2024

ज्येष्ठ 22, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4

संख्या 398/81-4–2024

लखनऊ, 12 जून, 2024

अधिसूचना

प0आ0–121

चूंकि राज्य सरकार की राय में 403.09 हेक्टेयर क्षेत्रफल को समाविष्ट करते हुए जिला आगरा स्थित सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को वन्य जीव और उनके पर्यावरण के संरक्षण, सम्वर्द्धन और विकास के प्रयोजन के लिए इसकी पारिस्थितिक, प्राणिजात, वनस्पतीय, भू–आकृति विज्ञान, प्राकृतिक और प्राणि तत्वीय महत्व के कारण उक्त क्षेत्र के पर्याप्त महत्ता को ध्यान में रखते हुए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1972) की धारा 18 के अधीन अधिसूचना संख्या–764/14–3–49/90, दिनांक 27.03.1991 द्वारा अधिसूचित किया गया। और चूंकि मा0 उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 13381 सन् 1984 (एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दायर आई0 ए0 संख्या 196157 सन् 2019, आई0ए0 संख्या–196158 सन् 2019 और आई0 ए0 संख्या 196159 सन् 2019 में दिनांक 23.09.2022 के आदेश और मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ओ0ए0 संख्या 529 सन् 2023 (शरद गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य) में दिनांक 01.12.2023 के आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 26क के उपबंधों के अधीन सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित करने का निदेश दिया है;

अतएव, अब, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिला आगरा में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जिसका क्षेत्रफल और सीमायें नीचे अनुसूची–क में विनिर्दिष्ट है, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, स्थापित किये जाने की घोषणा करती हैं।

अनुसूची–'क'

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
आगरा	किरावली	किरावली	सींगना	1	613	200.814
			सींगना	1	614	01.152
			चौमा फरह	1	101	79.482
			रूनकता	1	04	121.642
					कुल–	403.09 हेक्टेयर

सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य का सीमा विवरण

ब्लाक संख्या–01

स्तम्भ संख्या		स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की दिशा	अनुमानित चुम्बकीय असर		अगले स्तम्भ की लगभग दूरी (65 फिट जरीब)		सीमा की प्रकृति	विवरण
				अग्रिम (कोण)	पार्श्व (कोण)	जरीब	कड़ी		
1		2	3	4		5		6	7
1	2	मौजा सींगना के गाटा संख्या–203 एवं गाटा संख्या–613 के मेड़ पर	उ0पू0	52°	232°	46	50	सीधी रेखा	मौजा सींगना के गाटा संख्या 195 व 193 के पश्चिम दिशा के कोने से 52° तथा 300 मी0 की दूरी पर पिलर नं0–1 स्थापित किया गया ।
2	3	गाटा संख्या– 613 के उत्तर दिशा में	द0पू0	114°	294°	39	00	सीधी रेखा	
3	4	गाटा संख्या 613 के पूर्व दिशा की ओर	द0प0	182°	2°	15	00	सीधी रेखा	
4	5	–"–	द0प0	191.5°	11.5°	19	00	सीधी रेखा	
5	6	–"–	द0पू0	178°	358°	7	20	सीधी रेखा	
6	7	–"–	द0पू0	96°	276°	24	00	सीधी रेखा	
7	8	–"–	उ0पू0	8°	188°	00	40	सीधी रेखा	
8	9	–"–	द0पू0	100°	280°	8	80	सीधी रेखा	
9	10	गाटा संख्या 613 के उत्तर पूर्व की ओर	उ0पू0	29°	209°	4	00	सीधी रेखा	
10	11	गाटा संख्या 613 के पूर्व नाले पर	द0पू0	113°	293°	10	40	सीधी रेखा	
11	12	गाटा संख्या 613 के नाले पर	द0पू0	162°	342°	1	80	सीधी रेखा	
12	13	गाटा संख्या 04 के उत्तर की ओर सूरदास वन ब्लाक की सीमा पर	द0पू0	114°	294°	9	00	सीधी रेखा	
13	14	गाटा संख्या 04 के उत्तर की ओर सूरदास वन ब्लाक की सीमा पर	द0प0	207°	27°	4	00	सीधी रेखा	
14	15	गाटा संख्या 04 के उत्तर की ओर सूरदास वन ब्लाक की सीमा पर	द0पू0	121°	301°	16	00	सीधी रेखा	

1		2	3	4		5		6	7
15	16	गाटा संख्या 04 के पूर्व की ओर सूरदास वन ब्लाक की सीमा पर	द0प0	205°	25°	12	00	सीधी रेखा	
16	17	गाटा संख्या 04 के पूर्व की ओर सूरदास वन ब्लाक की सीमा पर	द0पू0	121°	301°	11	50	सीधी रेखा	
17	18	गाटा संख्या 04 के पूर्व की ओर सूरदास वन ब्लाक की सीमा पर	द0प0	198°	18°	21	80	सीधी रेखा	
18	19	गाटा संख्या 04 के एन0एच0 19 दक्षिण की ओर सूरदास वन ब्लाक की सीमा पर	द0प0	228°	48°	39	20	सीधी रेखा	
19	20	गाटा संख्या 04 के एन0एच0 19 दक्षिण की ओर सूरदास वन ब्लाक की सीमा पर	उ0प0	278°	98°	43	80	सीधी रेखा	
20	21	गाटा संख्या 04 के उत्तर पूर्व की ओर	उ0पू0	21°	201°	14	00	सीधी रेखा	
21	22	गाटा संख्या 101 के दक्षिण की ओर	उ0प0	307°	127°	14	00	सीधी रेखा	
22	23	गाटा संख्या 101 के दक्षिण की ओर	द0प0	237°	57°	19	30	सीधी रेखा	
23	24	गाटा संख्या 101 के पश्चिम की ओर	द0प0	343°	163°	26	40	सीधी रेखा	
24	25	गाटा संख्या 101 के पश्चिम की ओर	उ0पू0	02°	182°	13	50	सीधी रेखा	
25	26	गाटा संख्या 613 के पश्चिम की ओर	उ0प0	320°	140°	38	80	सीधी रेखा	
26	01	गाटा संख्या 613 के पश्चिम की ओर	उ0प0	346°	166°	30	00	सीधी रेखा	ब्लाक संख्या 01 बन्द

आज्ञा से,
मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 398/LXXXI-4–2024, dated June 12, 2024 :

No. 398/ LXXXI-4–2024

Dated Lucknow, June 12, 2024

WHEREAS in the opinion of the State Government, Soor Sarovar Bird Sanctuary located in District Agra comprising of an area of 403.09 hectares was notified under section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Act no. 53 of 1972) *vide* Notification no. 764/14-3-49/90 dated 27-03-1991 for the purpose of conservation, promotion and development of wild animals and their environment, considering the adequate importance of the said area due to its ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance;

AND, WHEREAS, the Hon'ble Supreme Court *vide* order dated 23-09-2022 in I.A. no. 196157 of 2019 , I.A. no. 196158 of 2019 and I.A. no. 196159 of 2019 filed in Writ Petition (Civil) no . 13381 of 1984 (M.C. Mehta *versus* Union of India and Others) and the Hon'ble National Green Tribunal *vide* order dated 01-12-2023 in O.A. no. 529 of 2023 (Sharad Gupta *versus* Union of India and Others) has directed

the Government of Uttar Pradesh to notify Soor Sarovar Bird Sanctuary under the provisions of section 26A of the aforesaid Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 , the Governor is pleased to declare the establishment of Soor Sarovar Bird Sanctuary in District Agra, area and boundaries of which are specified in Schedule - A below, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette.*

SCHEDULE-A

District	Tehsil	Pargana	Village	Block	Gata no.	Area (in hectares)
Agra	Kiraoli	Kiraoli	Singana	1	613	200.814
			Singana	1	614	01.152
			Chauma Farah	1	101	79.482
			Runkata	1	04	121.642
					Total	403.09 hectares

Boundary Description of Soor Sarovar Bird Sanctuary

Block no.-1

Pillar No.		Position of pillar	Direction of next pillar	Approximate magnetic bearing		Approximate distance to next pillar in chains of 65 ft.		Nature of boundary	Description
...	...			Forward (deg)	Back (deg)	Chain	Link		
1		2	3	4		5		6	7
1	2	On the common boundary of Gata no. 203 and gata no. 613 of village Singana	NE	52°	232°	46	50	Straight Line	Pillar No. 1 was installed at a distance of 300 m and 52° from the west corner of Gata No. 195 and 193 of village Singana.
2	3	North of Gata No. 613	SE	114°	294°	39	00	Straight Line	
3	4	East side of Gata No. 613	SW	182°	2 °	15	00	Straight Line	
4	5	East side of Gata No. 613	SW	191.5°	11.5°	19	00	Straight Line	
5	6	East side of Gata No. 613	SE	178°	358°	7	20	Straight Line	
6	7	East side of Gata No. 613	SE	96°	276°	24	00	Straight Line	
7	8	East side of Gata No. 613	NE	8°	188°	00	40	Straight Line	
8	9	East side of Gata No. 613	SE	100°	280°	8	80	Straight Line	
9	10	North East Side of Gata No. 613	NE	29°	209°	4	00	Straight Line	
10	11	On the East drain of Gata No. 613	SE	113°	293°	10	40	Straight Line	
11	12	On the drain of Gata No. 613	SE	162°	342°	1	80	Straight Line	
12	13	On the border of Surdas Forest Block on the North side of Gata No. 04	SE	114°	294°	9	00	Straight Line	

1		2	3	4		5		6	7
13	14	On the border of Surdas Forest Block on the North side of Gata No. 04	SW	207°	27°	4	00	Straight Line	
14	15	On the border of Surdas Forest Block on the North side of Gata No. 04	SE	121°	301°	16	00	Straight Line	
15	16	On the border of Surdas Forest Block on the East side of Gata No. 04	SW	205°	25°	12	00	Straight Line	
16	17	On the border of Surdas Forest Block on the East side of Gata No. 04	SE	121°	301°	11	50	Straight Line	
17	18	On the border of Surdas Forest Block on the East side of Gata No. 04	SW	198°	18°	21	80	Straight Line	
18	19	On the border of Surdas Forest Block on N.H. 19 South side of Gata No. 04	SW	228°	48°	39	20	Straight Line	
19	20	On the border of Surdas Forest Block on N.H. 19 South side of Gata No. 04	NW	278°	98°	43	80	Straight Line	
20	21	South West side of Gata No. 04	NE	21°	201°	14	00	Straight Line	
21	22	South side of Gata No. 101	NW	307°	127°	14	00	Straight Line	
22	23	South side of Gata No. 101	SW	237°	57°	19	30	Straight Line	
23	24	West side of Gata No. 101	NW	343°	163°	26	40	Straight Line	
24	25	West side of Gata No. 101	NE	02°	182°	13	50	Straight Line	
25	26	West Side of Gata No. 613	NW	320°	140°	38	80	Straight Line	
26	01	West Side of Gata No. 613	NW	346°	166°	30	00	Straight Line	Block No. 01 Closed

By order,
MANOJ SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

संयुक्त पैमाइश रिपोर्ट

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) उ0प्र0, आगरा के पत्रांक सं0 44A/डीएलआरसी दिनांक 24–01–2024 द्वारा ग्राम रूनकता के गाटा सं 18 क्षेत्रफल 0.9800 हें0 भूमि की स्थिति के सम्बन्ध में सीमांकन हेतु तकनीकी सर्वे टीम एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में सूरसरोवर पक्षी विहार से सटे हुए सूरदास वन ब्लाक के मानचित्र एवं राजस्व विभाग ने अभिलेखों के अनुसार ग्राम रूनकता के गाटा संख्या 12(सर्विस रोड) की भौतिक स्थिति के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से जांच की गई, जिसमें गाटा संख्या 18(क्षेत्रफल 0.980 हे0) का आंशिक क्षेत्रफल 0.9125 हे0 सूरदास वन ब्लाक(आरक्षित वन) की सीमा में सम्मिलित पाया गया है और 0.06235 हे0 भाग इसके बाहर पाया गया है तथा इसका विवरण निम्नवत् है–

1. गाटा सं0 18 के क्षेत्रफल 0.9800 हें0 मे से आंशिक क्षेत्रफल 0.9125हें0 भूमि पूर्व से सूरदास आरिक्षत वन ब्लॉक में सम्मिलित है।

2. गाटा सं0 18 का अवशेष क्षेत्रफल 0.0675हें0 भूमि जो कि सूरदास आरिक्षत वन ब्लॉक से बाहर है। तथा वन विभाग के कब्जे मे है। जिलाधिकारी आगरा के 2019 की पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर गाटा सं0 18 को अतिरिक्त क्षेत्रफल 15.415हें0 में सम्मिलित किया गया था। अतः इस अवशेष क्षेत्रफल 0.0675हें0 भूमि को सूर सरोवर पक्षी विहार के अतिरिक्त क्षेत्रफल 15.415हें0 मे सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है। इसके सम्मिलित करने के पश्चात् 15.415हें0 के सापेक्ष वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम की धारा 18 की अधिसूचना हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 14.5025हें0 का गाटावार विवरण निम्नवत् है:–

क्र0स0	गाटा सं0	ग्राम	क्षेत्रफल (हें0)	अभियुक्ति
1.	18*	रूनकता	0.0675	गाटा सं0 18 के क्षेत्रफल 0.9800हें0 मे से 0.9125हें0 भूमि पूर्व से सूरदास आरक्षित वन ब्लाक मे सम्मिलित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ऐ0 स0 529/2023 मे पारित आदेश दिनांक 06.11.2023 के अनुपालन मे सूरदास आरक्षित वन ब्लाक 380.558हें0 की धारा 26A(b) की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। जिस में उक्त 0.9125 हें0 सम्मिलित है। अतः अवशेष क्षेत्रफल 0.0675हें0 को वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18 की अधिसूचना हेतु 15.415हें0 में सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है।
2.	99	चौमा फरह	0.691	यह सूर सरोवर पक्षी विहार के नक्शे से बाहर स्थित है, और सूरदास वन ब्लाक से लगा हुआ है। यह गाटा संख्या पारिस्थकी दृष्टिकोण से सूर सरोवर पक्षी विहार से जुडा हुआ है तथा ,

				~~उपरान्त~~ इसे सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है।
3.	4*	रूनकता	0.350	यह सूर सरोवर पक्षी विहार के नक्शे से बाहर स्थित है, और सूरदास वन ब्लाक से लगा हुआ है। पारिस्थकी दृष्टिकोण से सूर सरोवर पक्षी विहार से जुडा हुआ है, जिसे सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है।
4.	1	रूनकता	0.599	यह सूर सरोवर पक्षी विहार के नक्शे से बाहर स्थित है, और सूरदास वन ब्लाक से लगा हुआ है। पारिस्थकी दृष्टिकोण से सूर सरोवर पक्षी विहार से जुडा हुआ है, जिसे सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है।
5.	101*	चौमा फरह	12.795	यह सूर सरोवर पक्षी विहार के नक्शे के भीतर स्थित है, और पारिस्थकी दृष्टिकोण से सूर सरोवर पक्षी विहार से जुडा हुआ है, जिसे सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है।
कुल क्षेत्रफल			14.5025	

अतः उपरोक्त कार्यवाही से सम्बन्धित मानचित्र आख्या के साथ संलग्न है। आख्या आलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

कृष्णा चन्द्रशेखर, वन्यजीव प्रतिपालक, इटावा

अनामिका सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा

एच0एल0 चौधरी, न0तह0–अछनेरा

देवेन्द्र प्रताप, तह0–किरावली

सुबराज सिंह, वन दरोगा सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा

महादेव सिंह, लेखपाल–रुनकता

ओमप्रकाश सिंह, लेखपाल–अरसेना

राहुल कुमार, वन्यजीव रक्षक सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा

जितेन्द्र सिंह वन्यजीव रक्षक सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा

आशीष ढाका, कनिष्ठ सहायक, मुख्यालय, आगरा

आशुतोष सिंह वन्य जीव रक्षक, मुख्यालय, आगरा

संजीव कुमार यादव सर्वेयर आगरा वृत्त, आगरा

विजय सिंह, सर्वेयर मेरठ वृत्त, मेरठ

कृष्ण पाल सिंह, सर्वेयर कानपुर मण्डल, कानपुर

ANNEXURE- R3

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः— सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा की सीमा के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— 1. शासकीय पत्र (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—4) संख्या 850(2)/81-4-2024 दिनांक 04.07.2024

महोदय,

सादर अवगत कराना है, कि सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद ओ0ए0 सं0 529/2023 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य आदि में मा0 राष्ट्रीयं हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-11-2023 के क्रम में अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दाखिल शपथ—पत्र दिनांक 28-11-2023 में विहित टाइमलाइन का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 04-03-2024 को अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ महोदय की अध्यक्षता में विचार—विमर्श कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक के कार्यवृत्त संख्या-471/81-4-2023 दिनांक 26-03-2024 (संलग्न—1) एवं सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 21.05.2024 का कार्यवृत्त (संलग्नक—2) के आलोक में जिलाधिकारी आगरा के सन्दर्भित पत्रांक दिनांक 06.06.2024 (संलग्नक—3) एवं दिनांक 08.07.2024 (संलग्नक—4) के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनायें, अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 09.07.2024 में आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गई। दिनांक 09.07.2024 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेखों पर विस्तृत आख्या निम्नवत् हैः—

क्र0 स0	विभाग का नाम	सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से प्रभावित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में	EIA से आच्छादित है या नहीं	ESZ के निर्धारण के सम्बन्ध में अभिमत
1	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद	"Project of six laning of Delhi-Agra section of NH-2 (NH-19) from km. 20.500 to km. 200.000 passes through Faridabad, Palwal, Mathura, Agra District. In case of spread of Eco Sensitive Zone over a 1km radius and up to 10 km radius, environmental clearance as per EC notification no. SO. 1533(E) dt. 14.9.2006 will not be required, since the project is currently under operation & maintenance stage. Further, in case of any future development, necessary clearance will be taken in accordance with the EIA 2006 rules."	—	—
2	एनएचएआई, आगरा	सूरसरोवर पक्षी विहार के 800हे0 क्षेत्रफल के चारों ओर 10 कि0मी0 सीमा तक ईको सेन्सिटिव जोन में 01 परियोजना "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—02 (किमी0 174.500, रैपुरा जाट) से आरम्भ होकर यमुना एक्सप्रेस वे (किमी0 141.000) को जोड़ने वाले आगरा बाईपास (उत्तरी) का छः लेनीकरण प्रभावित है, जिसका लगभग 72 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके सम्बन्ध में वन विभाग/टीटीजेड/MoEF&CC से	—	—

		अनुमति प्राप्त की गयी है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य योजना इस कार्यालय के अधीन प्रस्तावित नहीं हैं।		
3	मुख्य विकास अधिकारी, आगरा	"सूरसरोवर परिक्षेत्र 10कि0मी अन्तर्गत पड़ने वाले विकास खण्ड अछनेरा में कुल 35 ग्राम पंचायतें अवस्थित हैं। पंचायती राज विभाग आपको यह भी अवगत कराना चाहता है कि ईआईए अधिसूचना 2006 एवं इसके उपरान्त यह संशोधनों से आच्छादित नहीं है।"	नहीं	0 से 1 किमी0
4	अधिशासी अभियन्ता, यूपीसीडा, आगरा	सूरसरोवर पक्षी विहार की परिधि के अन्तर्गत 10 कि0मी0 की दूरी में यूपीसीडा के द्वारा स्थापित किये जा रहे रहे लेदर पार्क आगरा की सीमा में आता है। यदि नियम बनाया जाता है, तो प्राधिकरण को दोबारा Environmental Clearance लेना पड़ेगा।	है	—
5	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, आगरा (प्रान्तीय खण्ड)	लोक निर्माण विभाग, आगरा की 41 योजनाएं प्रभावित होंगी। सुव्यवस्थीकरण के पश्चात आबादी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की 170–180 कि0मी0 लम्बाई की सड़कें ईजेड में आने के कारण इन मार्गो पर नियमित होने वाले अनुरक्षण मार्ग बाधित होंगे, जिस कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में असुविधा होगी व भविष्य में मार्गों के नवनिर्माण, विशेष मरम्मत कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।	—	—
6	उप निदेशक उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा	सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमाओं की सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में राजकीय उद्यान प्रक्षेत्र सींगना जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र पेरू का साउथ एशिया रीजनल सेंटर स्थापित किये जाने हेतु EIA 2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance के लिए सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें।	—	—
7	प्रबन्धक, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा	वर्तमान में कीठम एरिया में मथुरा रिफाइनरी की कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है।	—	—
8	गैल गैस लिमिटेड, आगरा	"सूरसरोवर पक्षी विहार के 10कि0मी0 के दायरे में स्टील पाइपलाइन लगभग 14 कि0मी0 में बिछी है तथा प्लास्टिक पाइपलाइन लगभग 4 कि0मी0 में बिछी है। गैल गैस पाइपलाइन के नेटवर्क की यथास्थिति बनी रहेगी, उसका संचलान व रखरखाव किया जायेगा, क्योंकि गैल गैस द्वारा उस क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट भविष्य में प्रायोजित नहीं है। इसलिए अभी EIA 2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता गैल गैस लिमिटेड को नहीं है।"	नहीं	—
9	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा	"सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमा की परिधि में EIA 2006 अधिनियम के अन्तर्गत वन विभाग की ऐसी कोई परियोजना संचालित/प्रस्तावित नहीं है, जोकि पर्यावरण को प्रभावित करती है।"	नहीं	—
10	खान अधिकारी, आगरा	"सूरसरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सैन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जनपद आगरा की तहसील ग्राम बाईपुर, अहतमाली में सा0 साधारण बालू के खनन पट्टा एवं ग्राम स्वामी अहतमाली में प्रस्तावित सा0 बालू के खनन पट्टा बन्द हो जायेंगे, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व क्षति होगी। उक्त खनन क्षेत्रों में खनन कार्य किये जाने से पूर्व EIA 2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance प्राप्त करना आवश्यक होता है।"	है	05 किमी0
11	सीपीएम सेतु निगम, आगरा जोन, आगरा	सूरसरोवर पक्षी विहार 799.063 हे0 के 10 कि0मी0 ईको सैन्सिटिव जोन सीमा के अन्तर्गत आने वाले सेतु निम्न है– 1– जनपद आगरा में एनएच–2 पर हीरालाल प्याऊ से पनवारी मार्ग पर रेल सम्पार सं0 507 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु। 2– जनपद आगरा में एनएच–2 से एनएच–3 को जोड़ने हेतु रुनकता रेल सम्पार सं0–11सी/2टी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु।	नहीं	—

		3– जनपद आगरा में रुनकता–बल्देव मार्ग के मध्य रेणुका धाम के निकट यमुना नदी पर सेतु। क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सेतु EIA 2006 अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है।		
12	उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा प्रोजेक्ट आफिस, आगरा	"यू0पी0एम0आर0सी0एल0, आगरा मेट्रो से अपेक्षित है, जो बिन्दु निम्नवत है– (क) अवगत कराना है कि यदि सूरसरोवर पक्षी विहार का क्षेत्रफल 403.09 है0 से बढ़ाकर 799.063 है0 करने तथा ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तारण की सीमा 01 कि0मी0 करने से आगरा मेट्रो परियोजना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (ख) सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा के क्षेत्रफल बढ़ने के परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तारण की सीमा से 10कि0मी0 किये जाने से आगरा मेट्रो परियोजना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।" सूरसरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने के परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तारण की सीमा 10कि0मी0 किये जाने से आगरा मेट्रो परियोजना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"	नहीं	01 किमी0
13	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र आगरा	सूरसरोवर पक्षी विहार में सूरदास वन ब्लाक आरक्षित वन क्षेत्रफल 380.55 है एवं अतिरिक्त क्षेत्रफल 14.50 है0 सम्मिलित होने के पश्चात सैंक्चुरी के क्षेत्रफल बढ़ने एवं परिणास्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की कोई बड़ी परियोजना उक्त क्षेत्रफल में नहीं है।	—	—
14	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल आगरा परियोजना प्रबन्धक, निर्माण–4, आगरा	पर्यटन विभाग द्वारा धार्मिक/पर्यटक स्थल पर श्री कैलाश मन्दिर आगरा का पर्यटन विकास एवं पश्चिमायी मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य कराया जा रहा है।	—	01 किमी0
15	प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा	सूरसरोवर पक्षी विहार के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 01 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध में विभाग का अभिमत है कि सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण शून्य से एक किलोमीटर रखा जाये, जिससे विस्तारित क्षेत्र में कम विद्युत लाइनें आच्छादित होंगी। यद्यपि यह एक नीतिगत निर्णय है, जिसमें विद्युत विभाग का कोई प्रस्ताव देना उचित नहीं है।	—	0 से 01 किमी0
16	उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा	सूरसरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) का संशोधित क्षेत्रफल 799.063 है0 घोषित होने के उपरान्त 10 कि0मी0 की परिधि में क्षेत्रफल 13920.20 है0 ईको सेन्सिटिव जोन से प्रभावित होगा, जिसके फलस्वरूप आगरा विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत 37 ग्राम प्रभावित होंगे, जिनमें पूर्व से ही काफी योजनाएं तथा मानचित्र स्वीकृत हैं। आगरा विकास प्राधिकरण की शास्त्रीपुरम आवासीय योजना भी प्रभावित होगी। यह भी अवगत कराया गया है कि आगरा विकास क्षेत्र की प्रभावित होने वाली 13920.20 है0 में से 7469है0 भूमि आगरा महायोजना में शहरीकरण हेतु प्रस्तावित है, जिसमें भविष्य में प्राप्त होने वाली योजना में ई0आई0ए0–2006 से प्रभावित होना सम्भावित है।	है	—
17	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा	सूरसरोवर पक्षी विहार के 10 कि0मी0 की परिधि में (1) मै0 वरदान ड्राइविंग एण्ड ऑटोमोबाइल्स ट्रेनिंग सेंटर (चालन प्रशिक्षण केन्द्र), खसरा नं0–657, अरतौनी, आगरा (2) मै0 डी–पैक एटीएस सेंटर प्रा0लि0 (चालन प्रशिक्षण केन्द्र), सेंट थामस स्कूल के सामने, सुनारी तहसील–सदर, आगरा एवं (3) मै0 विष्णु ट्रेडर्स (चालन प्रशिक्षण केन्द्र), ग्राम गुर्जर मंगरौल, तहसील–किरावली, आगरा में स्थापित/संचालित इकाइयों के ई0आई0ए0–2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने वाले उद्योगों एवं परियोजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है।	नहीं	—
18	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अवगत कराया गया है कि 799.063 है0 के चारों ओर समरूप 01 से 10 कि0मी0 की सीमा तक ईको सेन्सिटिव जोन सीमित होगा। Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification के अनुसार Regulated Activities के अन्तर्गत आती है एवं Environment Clearance में Townships and Area Development Projects Category B1 के अन्तर्गत आती है।	है	—

		ईको सेन्सिटिव जोन के दायरे को 10 कि0मी0 तक बढ़ाये जाने पर परिषद की दो योजना अरतौनी भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–05, आगरा एवं पं0 दीनदयाल उपाध्यायपुरम, सिकन्दरा, योजना, आगरा जिससे कि अनावश्यक रूप से सामान्य जनमानस को परेशानी व आगरा शहर के सुनियोजित विकास में बाधा उत्पन्न होगी। उक्त परिस्थिति में प्रस्तावित क्षेत्रफल 799.063 हे0 के चारो ओर ईको सेन्सिटिव जोन के दायरे को 10कि0मी0 तक न बढ़ाया जाये, मात्र 01 कि0मी0 तक सीमित रखा जाये।		
19	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग आगरा	किसी योजना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।	—	—
20	नगर आयुक्त, आगरा	किसी योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।	—	—
21	उप जिलाधिकारी, किरावली, आगरा	स्कूल, कालेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे लाइन, पेट्रोल पम्प, जूता फैक्ट्री, अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र, आवासीय कालोनी आदि विकास योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा।	—	—
22	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा	जनपद आगरा के औद्योगिक क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वभाविक है।	—	—
23	सहायक निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, आगरा	कोई विभागीय योजना संचालित नहीं है और न ही प्रस्तावित है।	—	—
24	महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, आगरा	कोई भी विकास परियोजना संचालित नहीं है।	—	—
25	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, आगरा	कोई भी योजना नहीं है।	—	—
26	उप महाप्रबन्धक, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड, आगरा	कोई आपत्ति नहीं है।	—	—
27	अपर जिलाधिकारी, आगरा।	स्कूल, कालेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे लाइन, पेट्रोल पम्प, जूता फैक्ट्री, अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र, आवासीय कालोनी आदि विकास योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा।	—	शून्य किमी0

- '-' प्राप्त अभिमत में **EIA 2006** के अन्तर्गत Environmental Clearance के आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नही है। इससे इस पर आख्या देना सम्भव नहीं है।

EIA 2006 एवं Environmental Clearance के सम्बन्ध में सरकार की अधिसूचना सं0 3649(अ) दिनांक 10.10.2019 (संलग्नक–5) द्वारा अधिसूचित सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के वर्णित बिन्दु सं0 06 के उपबिन्दु 03 में उल्लिखित है कि– " The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Evironment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 there of, shall be scrutinised by the Monitoring committee based on the actual sitespecific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification." इसके आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा सुव्यवस्थीकरण के फलस्वरूप ESZ में विस्तार के परिणामस्वरूप, विभिन्न विभागों की योजनायें, जो EIA 2006 से आच्छादित है तथा ईको सेंसिटव जोन में प्रतिषिद्ध नहीं है, उन्हें पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाना होगा।

ESZ के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों से प्राप्त अभिमत एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा के पत्र दिनांक 15–07–2024 (संलग्नक–6) के अनुसार सूर सरोवर पक्षी विहार के सीमा सुव्यवस्थीकरण के पश्चात ईको सेन्सिटिव जोन में बदलाव से पक्षी विहार की सीमाओं से लगा क्षेत्र, जहाँ घनी आबादी बसी हुई है, के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है।

इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) नं0 202 OF 1995 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 (संलग्नक–7) के विन्दु सं0 55 के प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

"55. Insofar as direction in paragraph 56.1 of the order dated 3 rd June 2022 (supra) is concerned, a perusal of various orders would reveal that this Court has not directed any minimum area from the demarcated boundary of such Protected Areas. The area to be declared as ESZ cannot be uniform and will be Protected Area specific. In some cases, it may be 10 kilometres on one side and 500

meters on the other side. In certain cases, it may not be possible to have a uniform minimum area by virtue of inter-state boundaries or a sea or a river beyond one side of the Protected Area. In any case, a detailed procedure is required to be followed as prescribed under Rule 5 of the 1986 Rules which we have already referred hereinabove. We find that once such a notification is issued after following the procedure prescribed under the 1986 Rules, the ESZs will have to be as per the said notification."

अतः उक्त आदेश के आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा सुव्यवस्थीकरण के पश्चात क्षेत्रफल बढ़ने के फलस्वरूप ESZ में बदलाव की दशा में नये ESZ को न्यूनतम यथा 0 किमी0 रखने पर विचार किया जा सकता हैं।

अतः रिपोर्ट सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।</u>

22/07/24

जिलाधिकारी
आगरा।

1. प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. प्रतिलिपिः– उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चंम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/07/24

जिलाधिकारी
आगरा।

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बापू भवन छठा तल स्थित उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 21–05–2024 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0 संख्या 529/2023 डा0 शरद गुप्ता बनाम भारत सरकार एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा परित आदेश दिनांक 30–04–2024 एवं अन्य आदेशों के क्रम में विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 21–05–2024 को मध्यान्ह 12.00 बजे सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर, अपर जिलाधिकारी, आगरा एवं अधोहस्ताक्षरी के साथ सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में बैठक की गयी तथा विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये–

1– सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात समस्त विभागों की योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों से सम्बन्धित सूची पूर्ण कर ली जाये।

2– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0 संख्या 529/2023 डा0 शरद गुप्ता बनाम भारत सरकार एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा परित आदेश दिनांक 30–04–2024 में उल्लिखित गाटा–18 के सम्बन्ध में विवरण को सुनवाई की अगली तिथि पर प्रेषित कर दिया जाए।

3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा के माध्यम से सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात् अन्य विभागों की प्रभावित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में EIA (Environmental Impact Assessment)-2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता की सूची तैयार कर ली जाए।

4– उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में समस्त विभागों की बैठक आयोजित कर ली जाए।

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट
उ0प्र0, आगरा

File No.81-4099/86/2020-04-,

मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद ओ0ए0 सं0 529/2023 में दाखिल शपथ पत्र दिनांक 28.11.2023 में विहित टाइमलाइन का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वन मुख्यालय, लखनऊ स्थित 'पारिजात सभाकक्ष' में दिनांक 04.03.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियो द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री सुधीर कुमार शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री संजय श्रीवास्ताव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।
3. श्री सुनील चौधरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोजेक्ट टाईगर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. श्री आशीष तिवारी, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री एन0 रविन्द्र, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी, उ0प्र0।
6. श्री नीरज कुमार, मुख्य वन संरक्षक, ईको, उ0प्र0।
7. श्री अबू अरशद खान, उप वन्यजीव प्रतिपालक, उ0प्र0।
8. सुश्री आरूषी मिश्रा, उप मुख्य वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा, उ0प्र0।
9. श्री अजय कुमार, ए0डी0एम0 प्रशासन, आगरा, उ0प्र0।
10. श्री कृष्ण चन्द्रशेखर, वाईल्ड लाईफ वार्डेन, राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी, प्रोजेक्ट, इटावा, उ0प्र0।
11. श्री देवेन्द्र कुमार, तहसीलदार, कीरावली, आगरा, उ0प्र0।
12. श्री एच0एल0 चौधरी, नायब, तहसीलदार, आगरा, उ0प्र0।

3185/E
DFO
ADM(E)

2- उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत है:-

(क) सूर सरोवर पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे0 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के धारा-26ए के तहत अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार ही प्रगति पायी गयी। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त सुचारू रूप से कार्यवाही की जाय।

(ख) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा अवगत कराया गया कि सूर सरोवर पक्षी विहार के अर्न्तगत सूरदास वन ब्लाक के 380.558 हे0 क्षेत्रफल को वन्यजीव विहार का क्षेत्र घोषित करने हेतु प्रस्ताव निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। सूर सरोवर पक्षी विहार के अतिरिक्त क्षेत्रफल 15.41 हे0 के प्रस्तावित क्षेत्र के विरूद्ध वास्तव में उपलब्ध 14.50 हे0 का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-18 की अधिसूचना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है।

जिलाधिकारी
आगरा
26/3/2024

(कार्यवाही-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0)

(ग) सूर सरोवर पक्षी विहार में सूरदास वन ब्लाक आरक्षित वन क्षेत्रफल 380.55 हे0 एवं अतिरिक्त क्षेत्रफल 14.50 हे0 सम्मिलित होने के पश्चात सेंचुरी के क्षेत्रफल बढ़ने एवं परिणामस्वरूप Eco-Sensitive Zone (ESZ) के विस्तार में भी परिवर्तन होने की सम्भावना है। अतः इस पर आगरा जनपद के जिलाधिकारी के स्तर से विभिन्न विभागों का अभिमत प्राप्त किया जाना उचित होगा। अतः जिलाधिकारी, आगरा प्रश्नगत अतिरिक्त क्षेत्र 380.55 हे0 + 14.50 हे0 के प्रस्तावित ESZ में ESZ गाइडलाइन के अनुसार Prohibited, Permitted and Regulated Activities की दृष्टि से विकास की परियोजनाओं पर इनके प्रभाव के सम्बन्ध में समस्त संबंधित विभागों का अभिमत प्राप्त

कर प्रस्तुत करेंगे ताकि इस क्षेत्र में आने वाली विकास व अन्य परियोजनाओं के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों का अभिमत स्पष्ट हो सके।

(कार्यवाही–जिलाधिकारी, आगरा)

(घ) सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात प्रस्तावित क्षेत्रफल 380.55 हे0 + 14.50 हे0 से सम्बन्धित बदलाव एवं सम्भावित परिणामी स्थिति के आधार पर ESZ गाइडलाइन के अनुसार Prohibited, Permitted and Regulated Activities के दृष्टिगत विकास की परियोजनाओं पर इनके प्रभाव के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा की आख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात् सभी विभागों की बैठक शासन स्तर पर भी आयोजित की जायेगी। उपरोक्तानुसार विचार–विमर्श के पश्चात सूरसरोवर पक्षी विहार एवं अतिरिक्त क्षेत्रों के सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को शासन के माध्यम से राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर मत स्थिर किया गया।

"बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।"

Digitally Signed by मनोज सिंह
Date: 22-03-2024 19:04:42
Reason: Approved

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4
संख्या–471/81-4–2024
लखनऊ, दिनांक 26 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्ननिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष/वन्यजीव, उ०प्र० लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, आगरा, उ0प्र0।
5. समस्त सम्बन्धित अधिकारी (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0।)
6. गार्ड फाइल।

(आशीष तिवारी)
सचिव।

T-C

2368
4-4-2024

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषयः– **सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात् सूरसरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने एवं विभाग की परियोजना के सम्बन्ध में अभिमत।**

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा की सीमाओं के नोटिफिकेशन जारी किये जाने के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद ओ0ए0 सं0 529/2023 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य आदि में शपथपत्र दाखिल दिनांक 28–11–2023 में विहित टाइमलाइन का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वन मुख्यालय, लखनऊ स्थित पारिजात सभाकक्ष में दिनांक 04–03–2024 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त संख्या–471/81–4–2023 दिनांक 26–03–2024 में दिये गये **बिन्दु संख्या(ग)** में उल्लिखित है कि :–

"सूर सरोवर पक्षी विहार में सूरदास वन ब्लाक आरक्षित वन क्षेत्रफल 380.55 हे0 एवं अतिरिक्त क्षेत्रफल 14.50 हे0 सम्मिलित होने के पश्चात सैंक्चुरी के क्षेत्रफल बढ़ने एवं परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) के विस्तार में भी परिवर्तन होने की सम्भावना है। अतः इस पर आगरा जनपद के जिलाधिकारी के स्तर से विभिन्न विभागों का अभिमत किया जाना उचित होगा। अतः जिलाधिकारी, आगरा प्रष्नगत अतिरिक्त क्षेत्र 380.55 हे0+14.50 हे0 के प्रस्तावित ESZ में ESZ गाइडलाइन्स के अनुसार Prohibited, Permitted and Regulated Activities की दृष्टि से विकास की परियोजनाओं पर इनके प्रभाव के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों का अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे, ताकि इस क्षेत्र में आने वाली विकास एवं अन्य परियोजनाओं के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों का अभिमत स्पष्ट हो सके।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 30–03–2024 को विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में विभिन्न विभागों को निम्नलिखित सूचनायें अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गयेः–

(क)– मा0 न्यायालयों के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने एवं आपके विभाग की परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत एवं स्पष्ट अभिमत।

(ख)– उक्त के आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध में आपका अभिमत।

उपरोक्त सूचनायें विभिन्न विभागों से प्राप्त की गयी। अतः विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनायें संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः– **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,
06/06/24

(भानु चन्द्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी,
आगरा।

CIN: U60300UP2013SGC060836

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LTD.

(Formerly Known as Lucknow Metro Rail Corporation Ltd.)

(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम)

(A JOINT VENTURE OF GOVT. OF INDIA & GOVT. OF U.P.)

UPMRCL/PD/AGRA/2024/ 015 Dated: - 17/05/2024

प्रेषक,

परियोजना निदेशक
आगरा मेट्रो रेल परियोजना
आगरा

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
आगरा, उ0प्र0 ।

विषय:- सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल में विस्तारण उपरान्त इको सेन्सिटिव ज़ोन के विस्तार में सम्भावित परिवर्तन के संदर्भ में।

संदर्भ:- 1- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट का पत्रांक 2006/ 12-1; दिनांक:- 09-04-2024

2- आपका पत्रांक संख्या 231 / डीएलआरसी, दिनांक :- 23/04/2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रांक 2006/ 12-1; दिनांक:- 09-04-2024, जिसके माध्यम से यू०पी०ऍम०आर०सी०एल०, आगरा मेट्रो को, सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल (380.55 है०) में 14.50 है० अतिरिक्त क्षेत्रफल सम्मिलित होने के परिणामस्वरुप इको सेन्सिटिव ज़ोन में सम्भावित विस्तार से आगरा मेट्रो परियोजना पर इसके प्रभाव सम्बन्ध में अभिमत प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्रांक में दो बिन्दुओ पर सूचना यू०पी०ऍम०आर०सी०एल०, आगरा मेट्रो से आपेक्षित; जो कि बिन्दुवत निम्नलिखित है

(क) आपको अवगत कराना है वर्तमान में सूर सरोवर पक्षी विहार के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित प्रवेश द्वार से आगरा मेट्रो परियोजना के सिकंदरा मेट्रो स्टेशन की दूरी लगभग 10.7 कि०मी० है । वर्तमान में सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल बढ़ने के परिणामस्वरुप इको सेन्सिटिव ज़ोन के विस्तार की सीमा को यदि 1 कि०मी० ही रखा जाए तो आगरा मेट्रो परियोजना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख) सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल बढ़ने के परिणामस्वरुप इको सेन्सिटिव ज़ोन के विस्तारण की सीमा 10 कि०मी० किये जाने पर आगरा मेट्रो परियोजना के सिकंदरा मेट्रो स्टेशन की नए क्षेत्रफल की सीमा से दूरी लगभग 09 कि०मी० रह जाएगी । अतः सरोवर पक्षी विहार के इको सेन्सिटिव ज़ोन की विस्तारण सीमा को 1 कि०मी० ही रखा जाये।

इस विषय पर आपका सादर सहयोग एवं समर्थन सराहना योग्य है।

भवदीय

(अरविन्द राय)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी, आगरा को सादर सूचनार्थ हेतु ।
2. मुख्य परियोजना प्रबंधक -01, आगरा मेट्रो परियोजना को सूचनार्थ हेतु ।

(AN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Certified Company)

Administrative Building, Near Dr. Bhimrao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010

Tel.: +91 522 2304014 | Fax. +91 522 2304013

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0

उ0प्र0 सरकार का उपक्रम

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, 220 केवी विद्युत उपकेन्द्र, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, सिकन्दरा, आगरा (उ0प्र0)
फोन:- 0562 2602305, 2601852, 2600630, फैक्स- 0562 2601827, Email ID- dvvnlmd@gmail.com
CIN No: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक 2214 / तक0 / द0वि0वि0नि0लि0 — दिनांक 08.05.2024

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चंबल प्रोजेक्ट,
आगरा (उ0प्र0)

विषयः— <u>सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।</u>

उपरोक्त विषयक स्वकार्यालयी पत्रांक 2077/12—1 दिनांक 22.04.2024 के संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से सूर सरोवर पक्षी विहार में सेंक्चुरी के क्षेत्रफल बढ़ने के फलस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने के दृष्टिगत विकास की परियोजनाओं पर इनके प्रभाव के संबंध में अभिमत प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त की विन्दुवत आख्या निम्नवत है।

(क) मा0 न्यायालयों के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार एवं निकटवर्ती क्षेत्र में आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु एच टी लाइनें, एल टी लाइनें व परिवर्तक पूर्व से स्थापित हैं, जिनके रखरखाव व सुदृढ़ीकरण का कार्य विभाग द्वारा समय—समय पर कराया जाता है। यदि इन लाइनों/परिवर्तकों के विस्थापन का कार्य आप द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तो तकनीकी संभाव्यता के अनुसार पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा यह कार्य कराया जा सकता है।

(ख) सूर सरोवर पक्षी विहार के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध में विभाग का अभिमत है कि सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण शून्य से एक किलोमीटर रखा जाय जिससे विस्तारित क्षेत्र में कम विद्युत लाइने आच्छादित होंगी। यद्यपि यह एक नीतिगत निर्णय है जिसमें विद्युत विभाग का कोई प्रस्ताव देना उचित नहीं है।

(ग) वर्तमान में विद्युत विभाग की रिवैम्प योजना एवं अतिरिक्त बिज़नेस प्लैन के कार्य किये जा रहे हैं जो कि लाइनों/परिवर्तकों के विस्थापन के कार्य से प्रभावित होंगे।

(घ) लाइनों/परिवर्तकों के विस्थापन के कार्य से स्थानिय उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित होगी ।

(अमित किशोर)
<u>प्रबन्ध निदेशक</u>

उ0प्र0 सरकार का उपक्रम

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, 220 केवी0 सब-स्टेशन, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, सिकन्दरा, आगरा (उ0प्र0)
फोन-- 0562 2602305, 2601052, 2605609, फैक्स - 0562 2601827, Email ID- dvvnlmd@gmail.com
CIN No: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक 1065 /तक0/द0वि0वि0नि0लि0 दिनांक 26.04.2024

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चंबल प्रोजेक्ट,
आगरा (उ0प्र0)

विषयः— सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक स्वकार्यालयी पत्रांक 2077/12—1 दिनांक 22.04.2024 के संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से सूर सरोवर पक्षी विहार में सेंक्चुरी के क्षेत्रफल बढ़ने के फलस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने के दृष्टिगत विकास की परियोजनाओं पर इनके प्रभाव के संबंध में अभिमत प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त की विन्दुवत आख्या निम्नवत है।

(क) मा0 न्यायालयों के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार एवं निकटवर्ती क्षेत्र में आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु एच टी लाइनें, एल टी लाइनें व परिवर्तक पूर्व से स्थापित हैं, जिनके रखरखाव व सुदृढ़ीकरण का कार्य विभाग द्वारा समय—समय पर कराया जाता है। यदि इन लाइनों/परिवर्तकों के विस्थापन का कार्य आप द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तो तकनीकी संभाव्यता के अनुसार पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा यह कार्य कराया जा सकता है।

(ख) सूर सरोवर पक्षी विहार के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध में विभाग का अभिमत है कि सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण शून्य से एक किलोमीटर रखा जाय जिससे विस्तारित क्षेत्र में कम विद्युत लाइनें आच्छादित होंगी। यद्यपि यह एक नीतिगत निर्णय है जिसमें विद्युत विभाग का कोई प्रस्ताव देना उचित नहीं है।

(सिद्धार्थ मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता (तकनीकी)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा को मृदु संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (तकनीकि), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।

(सिद्धार्थ मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता (तकनीकी)

राष्ट्र हित में बिजली बचायें
SAVE ELECTRICITY IN THE INTEREST OF THE NATION

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
आगरा सम्भाग, आगरा।
E-mail: rtoag-up@nic.in

संख्या 121 / सा0प्र0 / विविध / 2024 दिनांक 29.04.2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा।

विषयः—सूर रसरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2077 / 12–1, दिनांक 22.04.2024, जिसके द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में परिवहन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है:—

(क)— अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढने एवं उसके परिणाम स्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन के सम्भावित क्षेत्र में परिवहन विभाग के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की स्वचालित परीक्षण स्टेशन, खसरा नं0–26 नि0 ग्राम अरसैना, तहसील–किरावली, जनपद आगरा में निर्माणाधीन है।

(ख)— सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र में परिवहन विभाग की कोई अन्य योजना / कार्यालय वर्तमान में संचालित नहीं है। अतः प्रकरण में आख्या शून्य है।

भवदीय

सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
आगरा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना गलियारा इकाई–मथुरा (फरीदाबाद)
प्लॉट सं0 8, टोल प्लाजा भवन के समीप, मथुरा रोड, फरीदाबाद–121003
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Corridor Management Unit -Mathura (At Faridabad)
Plot No.8, Near Sarai Toll Plaza Building, Mathura Road Faridabad - 121003
सत्यमेव जयते

फोन / Phone: 0129-3501177
वेबसाइट/Website: www.nhai.gov.in
ईमेल Email: mat@nhai.org

NHAI/CMU/MTR/6-laning/2024/D-74887.

Dated: 26.04.2024

To,

Deputy Conservator of Forests,
National Chambal Sanctuary Project
UP Agra Pin-282005
(Near Central Hindi Institute)
e-mail: dfochambal@gmail.com

Sub: Six laning of Delhi - Agra Section of NH-2 from Km. 20.500 to Km. 200.000 in the State of Haryana and Uttar Pradesh on DBFOT basis under NHDP Phase-V - **Reg. Impact on Project due to Reassessment of Eco sensitive Zone of Soor Saroovar Bird sanctuary.**

Ref: (i) Your office letter no 2049/12-1 Dated 16.04.2024
(ii) IE Letter no. 1306 dt. 20.04.2024

Sir,

Please refer to your letter under reference (i) vide which requested for comments regarding subject.matter.

2. In this regard, IE of the project highway has submitted the following:

Project of six laning of Delhi-Agra section of NH-2 (NH-19) from km. 20.500 to km. 200.000 passes through Faridabad, Palwal, Mathura, Agra District. The area of Soor Sarovar Bird Sanctuary runs parallel to the subject highway from Ch. 179 + 260 to Ch. 182+900 in Agra District. Due to continuous development in the built up section of Mathura, Agra, a no. of representations has been received for construction of additional structures on the subject highway, therefore least expansion for ECZ area may be made so as to avoid impact on future developments.

This is for your information please.

Thanking You,

Encl: As above

General Manager (T) &,
Project Director
CMU - Mathura

Copy to: DM, Agra for information please.

Copy also to:
(i) TL, M/s L.N. Malviya Infra Projects Pvt Ltd, Faridabad - for information please.
(ii) Authorized Signatory, M/s DATR Pvt Ltd. for information please.

L. N. MALVIYA INFRA PROJECTS PVT. LTD.
Project Site Office: House No: 1931, Near Anupam Restaurant, Sector-28, Faridabad, (HR-121008)
Email:lnmdelhiagra2022@gmail.com

No. LNMIPPL/PD/NHAI/Delhi-Agra/2024/1306 **Date: ~~19~~.04.2024** 20

To,

The Project Director, CMU-Mathura
Plot No. 8, near Toll Plaza Building,
Main Mathura road
Faridabad-121003 (Haryana)
India, Tel: 0129 - 2400900

Subject: Independent Engineer Services during Operation & Maintenance period of 5 years for "Six Laning of Delhi-Agra section from Km. 20.500 to Km. 200 in the State of Haryana and U.P on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis". **Reg – Impact on Project due to re-assessment of Eco Sensitive Zone of Soor Saroovar Bird sanctuary.**

Ref: - (i) Your office email dt 18.04.2024
(ii) Dy. Forest Conservator, National Chambal Sanctuary Project letter no. 2049/12 dt 16.04.2024

Dear Sir,

In reference to the letter of Dy. Conservator of Forest, we have examined the matter regarding impact on Projects of re-assessment of Eco Sensitive Zone of Soor Sarovar Bird Sanctuary and our comments are as under: -

- We would like to intimate that the subject project undertake development of six laning of Delhi-Agra section of NH-19 from km. 20.500 to km. 200.00 through Built Operate & Transfer basis and presently is under Operation & Maintenance phase.
- The project road lies in the State of Haryana and Uttar Pradesh starting from Badarpur Delhi Border (Km 20.500) and passes through Faridabad industrial area, Palwal, Hodal, Kosi, Mathura, Farah, Keetham, Artoni, Sikandra industrial area and ends at Water Works Agra (Km.200.000) in Uttar Pradesh.
- Furthermore, the Soor Sarovar Bird Sanctuary area runs parallel across the subject Project Highway from Ch. 179+260 to Ch. 182+900 LHS in Agra District, which is very busy highway in respect of huge traffic volume and over time development of additional structures through the demands of VIP and local people is taking place across the entire Project Highway, and it will become difficult once the area of ECZ is further expanded.
- Keeping in view the frequent developments in respect of additional structures on the Project Highway, we are of the view that least expansion for ECZ area may be made so that no impact on future developments, if any, is taking place in future.

Corporate Office : T-10, IIIrd Floor, City Centre, Press Complex, Plot No 1, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal (M.P.) 462011,
Tel./Fax : 0755 – 4295421, CIN No.: U45201DL2010PTC373715

L. N. MALVIYA INFRA PROJECTS PVT. LTD.
Project Site Office: House No: 1931, Near Anupam Restaurant, Sector-28, Faridabad, (HR-121008) Email:lnmdelhiagra2022@gmail.com

This is for your information and further necessary action.

With Regards,
For, L.N. Malviya Infra Projects Pvt. Ltd.

Rajesh Sudesh Ratna
Team Leader

Corporate Office : T-10, IIIrd Floor, City Centre, Press Complex, Plot No 1, M.P. Nagar, Zone-I, Bhopal (M.P.) 462011,
Tel./Fax : 0755 – 4295421, CIN No.: U45201DL2010PTC373715

उप महाप्रबन्धक (प्रचालन क्षेत्र आगरा)
Dy. General Manager Telecom.(Operational Area)
सी.टी.ओ. कम्पाउन्ड, आगरा (उ0प्र0)–282001.
CTO Compound, AGRA (U.P.)-282001
दूरभाष :0562–2226986
Email- dgmbsnl.agratd@gmail.com

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
Bharat Sanchar Nigam Limited
(A Govt. of India Enterprise)

सेवा में

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा

पत्रांकः- एजीएम(ओ), एजीएम (ए एण्ड पी)ओए/सामान्य/2022–23/ दिनांक 25.04 2024

विषयः– सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1. 2006/12–1 दिनांक अप्रैल 09, 2024

सन्दर्भः– 2. 231/डीएलआरसी दिनांक 23.04.2024

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि सन्दर्भित पत्रों के सम्बन्ध में माँगी गयी सूचना पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

उप महाप्रबन्धक
प्रचालन क्षेत्र, आगरा

प्रतिलिपिः-
१. ओ.एस.डी. कार्या0 व0म0प्र0, बीए आगरा को सूचनार्थ।

O/o DGM Transmission
CTO Compound Shahzadi Mandi
Targhar, Agra
Email: dgmtransagra@gmail.com

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)

पत्रांक संख्या : उपमहाप्रबंधक आगरा ओ.ऐ./नोफन/सामान्य/२०२३-२४.　　　　दिनांक २४/०४/२०२४

सेवा में
श्रीमान उप वन संरक्षक,
आगरा

विषय : सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरांत ईको सेंसिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में अनापत्ति सूचना

सन्दर्भ पत्रांक संख्या : २००६/१२-१ दिनांक ०९/०४/२०२४, कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सँक्टूरि प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश, आगरा

सन्दर्भ पत्रांक संख्या : २३१/ डी एल आर सी , दिनांक २३/०४/२०२४, कार्यालय जिलाधिकारी आगरा

आदरणीय महोदय ,

आपको सूचित करना है कि उपरोक्त संदर्भित स्थान पर भारत संचार निगम लिमिटेड की कोई भी भूमिगत केबल नहीं है । अतः सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरांत ईको सेंसिटिव जोन के पुनर्निर्धारण में भारत संचार निगम लिमिटेड को कोई आपत्ती नहीं है।

उपमहाप्रबंधक
भारत संचार निगम लिमिटेड, आगरा
उप महाप्रबंधक (ट्रान्स / नौफन)
Dy. General Manager (Trans/ NOFN)
भा.सं.नि.लि., आगरा
B.S.N.L., AGRA

आवश्यक सूचना हेतु :
जिलाधिकारी, आगरा

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा।

संख्या: 232 /डीएलआरसी दिनांक: 24 अप्रैल, 2024

विषय: सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निधारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक प्रकरण में अपने पत्र संख्या–2020/12–1 दिनांक 10.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निधारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–(क) व (ख) के सम्बन्ध में अभिमत उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त प्रकरण में उप जिलाधिकारी, किरावली से आख्या दिनांकित 11.04.2024 प्राप्त हुई है। प्रस्तावित ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार से कृषि, शैक्षणिक, उद्योग, पर्यटन, आवासीय एवं परिवहन संबंधी इत्यादि विभिन्न परियोजनाएं प्रभावित होंगी, जिसके लिए ईको सेन्सिटिव जोन प्रस्तावित सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा तक ही अर्थात शून्य किलो मीटर तक निर्धारित किया जाना उपयुक्त होगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अभिमत/सूचना ग्रहण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक:यथोक्त।

24/4/24

(अजय कुमार सिंह),
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),
आगरा।

कार्यालय उपजिलाधिकारी किरावली आगरा

पत्राक 519 /र0का0 /2024 दिनांक: 11 अप्रैल, 2024

विषय:- सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थिकरण के उपरांत ईको सेंसिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओ/विकास परियोजनाओ पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध मे ।

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0 प्र0,आगरा ।

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्रांक 1988 / 12 - 1 दिनांक 02.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके अंतर्गत सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थिकरण के उपरांत ईको सैंसिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओ/विकास परियोजनाओ पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध मे नियत विन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध मे 1 से 10 किमी तक की रेंज मे आने वाले क्षेत्र के लेखपालो से जाँच कराकर सूचना प्राप्त की गई । वांछित सूचना व विभागीय मत निम्नवत है-

क्र0 स0	ग्राम का नाम	1 किमी के अंतर्गत स्थित विकास परियोजनाओ का नाम (स्कूल , कालेज, विश्व विद्यालय, फैक्ट्री , आवासीय योजना अथवा अन्य कोई वडी परियोजना)	10 किमी के अंतर्गत स्थित विकास परियोजनाओ का नाम (स्कूल , कालेज, विश्व विद्यालय, फैक्ट्री , आवासीय योजना अथवा अन्य कोई वडी परियोजना)	ईको सेंसिटिव जोन घोषित होने पर विकास परियोजनाओ पर पडने वाले प्रभाव
1	रुनकता	शारदा यूनिवर्सिटी, आनन्द इंजीनियरिंग कालेज, हैंडपम्प,	कालम संख्या 1 के अतिरिक्त एक दर्जन से	उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि

		प्लास्टिक पाइप व विवरेज की फैक्टरी, 2 हेक्टेयर मे स्थित डालफिन वाटर पार्क, कमला रावत व शिव देवी हॉस्पीटल, होटल विराज पैलेस, होटल श्रीनाथ, जैन इंडस्ट्रीज, बंसल स्टोन एण्ड स्टील, राजस्थान चर्मकला केन्द्र, अवनी इंडस्टीज, सी.एन.जी. सिलैंडर टेस्टिंग, इण्टर कालेज, राष्टीय राज्य मार्ग व रेलवे लाइन, पेट्रोल पम्प	अधिक जूता की फैक्टरी, आस्था सिटी जैसी आवासीय परियोजनाये, पेट्रोल पम्प, बालाजी वेवरेज, कोल्ड स्टोर, आईस फेक्टरी, मोनो फ्लामेंटस, इण्टर कालेज/विभिन्न टेक्निकल/मेनेजमेंट कालेज	10 किमी की त्रिज्या मे ईको सेंसिटिव जोन बनाये जाने पर विभिन्न प्रकार की आवासीय एवं व्यवसायिक गतिविधियो के नियंत्रित होने की सम्भावना है।
2	सींगना	10 हेक्टेयर मे प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र का साउथ एशिया रिजनल सेंटर, आगरा ट्रेड सेंटर(जूता फेक्टरी) व दिल्ली- आगरा राष्टीय राजमार्ग	गैस गोदाम, सेफ्टी ग्लास फेक्टरी, वर्धमान रिसोर्ट, विद्यालय व आवासीय कालोनिया	
3	अकबरा	-	कृष्णा कालोनी, आस्था सिटी आवासीय योजना , सिल्वर ग्रीन आवासीय योजना, ग्रीनवैली कांवेंट स्कूल, जीवन कंस्ट्रेक्शन कम्पनी (गिटटी प्लांट), श्री प्रताप सिंह इण्टर कालेज, मनीराम आई.टी.आई., राष्टीय राजमार्ग, श्रीमती द्रोपती देवी वाल विद्या मन्दिर, श्री पूरन प्रसाद डिग्री कालेज, गणेशीलाल डिग्री कालेज, वी.एस. विवरिज प्लांट, पैंट फेक्टरी अन्य आवासीय योजनाये, 10 वीघा मे वेयर हाउस प्रस्तावित तथा फेक्टरी हेतु प्राइवेट कम्पनीयो ने भूमि खरीद ली है	
4	मांगरौल गूजर	-	श्री ओम श्याम इण्टर कालेज, सी.एन.जी. सिलेंडर टेस्टिग सेंटर	

5	साधन	-	नवाव सिंह किसान सेवा केन्द्र
6	खेड़ा साधन	-	पंडित दीनदयाल राजकीय इण्टर कालेज, राजपूताना आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल
7	नगला अरूआ	-	पीताम्बरा शीतगृह भरतपुर रोड, जमुना प्रसाद कोल्ड स्टोर भरतपुर रोड, हरप्रसाद अग्रवाल उ0 मा0 वि0
8	मुरैंडा	-	गैस गोदाम वना है, किंतु बन्द है, प्राइवेट स्कूल
9	लोहकरेरा	-	पब्लिक स्कूल , इण्टर कालेज, पेट्रोल पम्प, कोल्ड स्टोर, गैस गोदाम, आवासीय कालोनी, ब्रुश फेक्टरी, पाइप फेक्टरी संचालित है।
10	खडवाई	-	सोस फेक्टरी, जूता फेक्टरी, दोना व कप प्लेट फेक्टरी वैग वनाने की फेक्टरी, स्कूल, आवासीय कालोनी
11	कुकथला	-	इण्टर कालेज, जे.सी.सी. फेक्टरी, शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान, रेलवे लाइन परियोजना,बिधुत सवस्टेशन व आवासीय योजना
12	नागर	-	रेलवे लाइन परियोजना, आवासीय योजना
13	कीठम		पेट्रोल पम्प, सीनियर सेकेंडरी/उ0 मा0 स्कूल, कोल्ड स्टोर, पापड फेक्टरी, मेरिज होम, राष्टीय राजमार्ग दक्षिणी वाईपास
14	जनूथा	-	इण्टर कालेज - 2
15	मई	-	इण्टर कालेज, मेरिज होम

16	अछनेरा	-	इण्टर कालेज-7, आई.टी.आई, कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पम्प - 3, बिधुत सबस्टेशन, मण्डी समिति, आगरा - भरतपुर मार्ग	
17	कचौरा	-	हायर सेकेंडरी/इण्टर कालेज, मेरिज होम, पेट्रोल पम्प	
18	रायभा	-	कोल्ड स्टोर/आईस फेक्टरी, पटाका गोदाम, डिग्री कालेज, आई.टी.आई कालेज, रेलवे लाइन, मेरिज होम, जूस फेक्टरी, ओवरसीज ट्रेडर्स स्टोन फेक्टरी, दक्षिणी वाईपास, आवासीय कालोनी	
18	चौमा फरह	बी.एम.एस. इंजीनियरिग कालेज, दिल्ली- आगरा राष्टीय राजमार्ग		
19	भिलावटी	-	कोल्ड स्टोरेज, आई.टी.आई., रेलवे परियोजना	
20	रैपुरा अहीर	-	उ0 मा0 विद्यालय	
21	कठवारी	-	वी.एम. डिग्री कालेज	
22	मंगूरी	-	महाराणा प्रताप कालेज आँफ एजूकेशन, दक्षिणी वाईपास, स्टोनमेन प्रा0लि0 मार्वल फैक्टरी, पेट्रोल पम्प, इण्टर कालेज	

उपरोक्तानुसार वांछित सूचना सादर प्रेषित है ।

11/5/21

उपजिलाधिकारी,
किरावली,आगरा

प्रतिलिपिः- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

उपजिलाधिकारी,
किरावली,आगरा

Email

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

संख्या–3111 /डी/मु0न0नि0/2024 दिनांक– २२/04/2024

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0,
आगरा।

विषय–सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक स्वंकीय पत्रांक–2049/12–1 दिनांक 16 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में बिन्दु सं0–(क) व (ख) के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें तत्काल उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि–

(क) सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 10.10.2019 द्वारा के अनुसार वर्तमान में आगरा विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत 403 हे0 के 01 किमी0 की परिधि में कुल क्षेत्रफल 360.17 हे0 ईको–सेंसटिव जोन से प्रभावित है। मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि0) सं0–13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत दिनांक 23.09.2022 को पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) का संशोधित क्षेत्रफल 799.063 हे0 के 01 किमी0 की परिधि में कुल क्षेत्रफल 1050.67 हे0 ईको–सेंसटिव जोन से प्रभावित होगा, जिसके फलस्वरूप ग्राम–रूनकता, लोहकरेरा व खड़वई प्रभावित होगें। मौजा–रूनकता व खड़वई के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा 02 विन्यास मानचित्र, 01 समूह आवास मानचित्र, 02 स्कूल एवं 27 एकल आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) का संशोधित क्षेत्रफल 799.063 हे0 घोषित होने के उपरान्त 10 किमी0 की परिधि में क्षेत्रफल 13920.20 हे0 ईको–सेंसटिव जोन से प्रभावित होगा, जिसके फलस्वरूप आगरा विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण की शास्त्रीपुरम् आवासीय योजना प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की प्रस्तावित अरतौनी योजना प्रभावित होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीया

उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि :–

1. मण्डलायुक्त महोदया, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

उपाध्यक्ष

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

संख्या–3111 /डी/मु0न0नि0/2024 दिनांक– 22/04/2024

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्युरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0,
आगरा।

विषय–सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक स्वंकीय पत्रांक–2049/12–1 दिनांक 16 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में बिन्दु सं0–(क) व (ख) के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें तत्काल उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि–

(क) सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 10.10.2019 द्वारा के अनुसार वर्तमान में आगरा विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत 403 हे0 के 01 किमी0 की परिधि में कुल क्षेत्रफल 360.17 हे0 ईको–सेंसटिव जोन से प्रभावित है। मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि0) सं0–13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत दिनांक 23.09.2022 को पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) का संशोधित क्षेत्रफल 799.063 हे0 के 01 किमी0 की परिधि में कुल क्षेत्रफल 1050.67 हे0 ईको–सेंसटिव जोन से प्रभावित होगा, जिसके फलस्वरूप ग्राम–रूनकता, लोहकरेरा व खड़वई प्रभावित होगें। मौजा–रूनकता व खड़वई के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा 02 विन्यास मानचित्र, 01 समूह आवास मानचित्र, 02 स्कूल एवं 27 एकल आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) का संशोधित क्षेत्रफल 799.063 हे0 घोषित होने के उपरान्त 10 किमी0 की परिधि में क्षेत्रफल 13920.20 हे0 ईको–सेंसटिव जोन से प्रभावित होगा, जिसके फलस्वरूप आगरा विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण की शास्त्रीपुरम् आवासीय योजना प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की प्रस्तावित अरतौनी योजना प्रभावित होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीया

उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि :–

1. मण्डलायुक्त महोदया, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

उपाध्यक्ष

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
आगरा।

पत्रांक 215 पं0/जी0सी0/2024-25

दिनांक 20 अप्रैल,2024

विषयः- **सूर सरोवर पक्षी बिहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनः निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।**

महोदया,

आपके कार्यालय पत्रांक 2040 दिनांक 09.04.2024 तथा कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चंबल सैन्चुरी प्रोजेक्ट उ0प्र0 आगरा के पत्र संख्या 2006 दिनांक 09.04.2024 के द्वारा उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण पर अभिमत चाहा गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 182 दिनांक 16.0.2024 के द्वारा सूरसरोवर पक्षी बिहार के विकास खण्ड क्षेत्र अछनेरा के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आख्या चाही गयी थी। खण्ड विकास अधिकारी अछनेरा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 36 दिनांक 18.04.2024 से अपनी आख्या उपलब्ध करा दी गयी है। आख्या के अनुसार

"विकास खण्ड क्षेत्र अन्तर्गत सूरसरोवर पक्षी बिहार के नजदीक जीरो से 10 किमी के दायरे में रुनकता, अरसैना,सींगना (सीमावर्ती पंचायतें), रैपुरा अहीर, कीठम, मई, रायभा, मुरैण्डा तथा मांगरौल गूजर पंचायतें आती हैं। सूरसरोवर पक्षी बिहार में सूरदास वन ब्लॉक का आरक्षित वन क्षेत्रफल 380.55 है0 एवं अतरिक्त 14.50 है0 सम्मिलित होने के पश्चात सेन्चुरी के क्षेत्रफल बढने के परिणाम स्वरूप ई.एस.जैड. के विस्तार में परिवर्तन होने की सम्भावना है। उपरोक्त विषयक संबन्धित ग्राम पंचायतों के सचिवों, प्रधानगणों तथा ग्रामवासियों से वार्ता की गयी। उक्त के सन्दर्भ में बताया गया कि ई.एस.जैड. का विस्तार 0 से 10 किमी होने पर लगभग 98 हजार की आबादी प्रभावित होगी। उपरोक्त क्षेत्र में कृषि, औद्योगिक इकाइयां, हाट बजार, परिवहन आदि के भी प्रभावित होने की प्रबल सम्भावना है। अभिमतानुसार सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण 0 से 10 किमी के बीच न रखकर 0 से 01 किमी के दायरे में रखा जाये।"

अतः खण्ड विकास अधिकारी अछनेरा के अभिमत को साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय

जिला पंचायत राज अधिकारी
आगरा।

प्रतिलिपिः- **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0 आगरा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा।

जिला पंचायत राज अधिकारी
आगरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक ५७०१३ / १५-१ आगरा, दिनांक, 18 अप्रैल 2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0,
आगरा।

विषय :– सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– आपका पत्रांक– 2049/12–1 दिनांक 16.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में मॉगी गयी सूचना निम्नप्रकार प्रेषित है:–

ईको सेसिटिव जोन क्षेत्र के अन्तर्गत तीन प्रकार की गतिविधिया आती हैं : –

1. **<u>प्रतिबंधित गतिविधियॉ</u> – ये गतिविधियॉ हैं जो सैंन्चुरी में पूर्णरूप में प्रतिबंधित होती हैं इनमें प्रतिबंधित गतिविधियॉ निम्नप्रकार है।**
   - I. खनन – ईको सेसिटिव ज़ोन के अन्दर किसी भी प्रकार का खनन करना उचित नहीं है।
   - II. आरा मशीन– नई आरा मशीनों की स्थापना करना उचित नहीं होगा।
   - III. उधोगों की स्थापना–किसी भी प्रकार के उधोगों की स्थापना नहीं होगी जिनसे जल, वायु, मृदा, ध्वनि इत्यादि प्रदूषण फैलाते हो।
   - IV. ईधन के रूप में लकड़ी का उपयोग– किसी भी प्रकार की लकड़ी ईधन व्यवसायिक रूप से उपयोग नहीं किया जाना। इसके लिए उक्त क्षेत्र में स्थापित होटल, ढावों इत्यादि पर नियंत्रण रखना होगा।
   - V. प्राकृतिक जल निकायों या स्थलीय क्षेत्रों में अपशिष्टों और ठोस अपशिष्टों का निर्वहन एस0टी0पी0 इत्यादि से सुधार के बाद ही वन क्षेत्र में छोड़ा जाये।
2. **<u>विनियमित गतिविधियॉ–</u> यह वह गतिविधियॉ हैं जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं है। परन्तु कुछ शर्तो के साथ की जा सकती है।**
   - I. **विकास कार्यो या अन्य आवश्यक परिस्थितियों हेतु वृक्ष पातन** – सूर सरोबर पक्षी विहार टी0टी0जैड0 क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें वृक्ष पातन हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति/दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जाना सम्भव है।
   - II. **विधुत केबिलों का प्रसार–** वृक्षों को बचाते हुए यथा संभव प्रयास किया जाये कि जमीन के अन्दर से ली जाये और वृक्षों की जड़ों से कम से कम 02 मीटर की दूरी बनी रहे जिससे वृक्षों की जड़ों को नुकसान न हो।
   - III. **पॉलीथीन बैग का उपयोग–** रिसाईकिल की जा सकने वाली पॉलीथीन का उपयोग किया जाना चाहिए।
   - IV. **सड़कों का चौड़ीकरण–** सड़कों का चौडीकरण पर्यावरण प्रभाव आंकलन का अध्ययन के उपरान्त ही किया जाना चाहिए।
   - V. **वायु व वाहन प्रदूषण** – बैटरी चलित वाहनों का अत्यधिक उपयोग किया जाना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण न हो।
   - VI. **विदेशी प्रजातियॉ–** सक्षम स्तर की अनुमति के बाद ही विदेशी प्रजातियों को लगाना/उगाना/बढ़ाया जा सकता है।
3. **<u>अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ</u>– यह वह गतिविधियॉ हैं जो अनुमति के बाद ही की जा सकती है।**
   - I. कीटनाशक का उपयोग – प्रतिबंधित कीटनाशक का प्रयोग कदापि न करें।
   - II. उक्त क्षेत्र में ईको पर्यटन की दृष्टि से अनुमन्य विकास कार्य किये जा सकते हैं।
   - III. एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाये।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

IS15700:2018

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-01
(पूर्व निर्माण खण्ड-28, आगरा)
सेक्टर-13, आफिस काम्प्लैक्स, द्वितीय तल,
पं० दीनदयाल उपाध्यायपुरम, सिकन्दरा योजना, आगरा
E-Mail I.D. - cd28agr@upavp.com
eeavpcdagra1@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्र सं० 868/यू.पी.एच.डी.बी./नि०ख०आगरा-01/YSKD/50 दिनांक 16/4/2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा।
पिन कोड–282005
(हिन्दी इंस्टीट्यूट के समीप)

Email : dfochambal@gmail.com,
dfochambal@rediffmail.com

विषय :– **सूरसरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनः निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–2049/12–1 दिनांक 16/04/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा सूरसरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनः निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :–

बिन्दु संख्या–01

सूरसरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनः निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिषद की पं0 दीनदयाल उपाध्यायपुरम, सिकन्दरा योजना, आगरा का कुछ भाग ईको सेन्सिटिव जोन की 10 किमी की परिधि में आ रहा है। उक्त योजना में आवासीय एवं व्यवसायिक संचालित है।

बिन्दु संख्या–02

सूरसरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनः निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिषद की सम्पूर्ण प्रस्तावित अरतौनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–05, आगरा ईको सेन्सिटिव जोन में 10 किमी की परिधि में आती है, जिसके अन्तर्गत ग्राम पनवारी, जऊपुरा, लखनपुर एवं अरतौनी गाँव की जमीने अधिग्रहित की जानी है, जिसमें आवासीय एवं व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी।

उक्त योजनाओं को आपके द्वारा प्रेषित प्लान में अंकित कर दिया गया है, पूर्व भी इस कार्यालय के पत्रांक–464/यू0पी0एच0डी0बी0/नि0ख0आगरा–01/वाई0एस0के0डी0/35 दिनांक 02/03/2024 आख्या प्रेषित है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओ से अवगत होते हुये ईको सेन्सिटिव जोन के पुनः निर्धारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(रजनीश कुशवाहा)
अधिशासी अभियन्ता
दिनांक 16/4/2024

पत्रांक 868/YSKD/50/

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. उप आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर–13, सिकन्दरा योजना, आगरा।
4. श्री अंकित गुप्ता–सहायक अभियन्ता/श्री बृजकिशोर सिंह–अवर अभियन्ता/श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह–मानचित्रक, निर्माण खण्ड आगरा–01, आगरा को उनके द्वारा उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी आख्या/सूचना के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता

ND_(114)_Van Sanrakshak

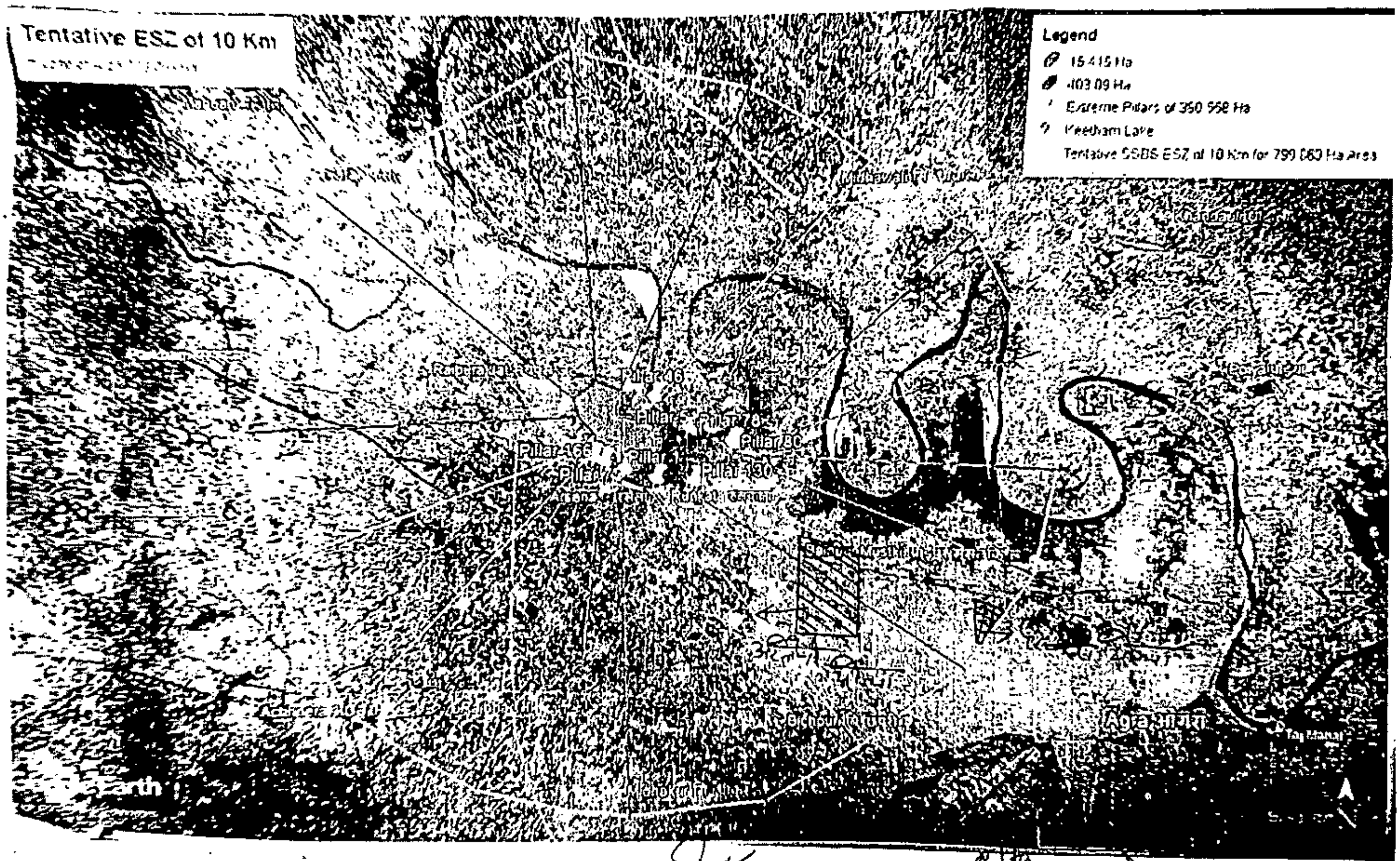
Tentative ESZ of 10 Km
Legend
15.415 Ha
403.09 Ha
Extreme Pillars of 350.958 Ha
Keetham Lake
Tentative SSBS ESZ of 10 Km for 799.060 Ha Area
Agra

D/n J.E A.E E.E

दूरभाष नं0, 0562–2620382
ई–मेल jalkalagm@gmail.com

कार्यालय महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, JALKAL VIBHAG, NAGAR NIGAM, AGRA

पत्रांक 20 / म0प्र0 / जलवि / 2024 दिनांक 16 / 04 / 2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा।

विषय :– सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–2049 / 12–1 दिनांक 16 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल के विस्तार से विकास की परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में अभिमत उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जलकल विभाग, आगरा द्वारा नगर निगम सीमा के अन्तर्गत पेयजल एवं सीवर व्यवस्था के रखरखाव एवं अनुरक्षण का कार्य किया जाता है, वस्तुगत क्षेत्र में पेयजल एवं सीवर सम्बन्धी कोई भी विकास की परियोजना चलायमान नहीं है, अतः उक्त सम्बन्ध में जलकल विभाग, आगरा स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

भवदीय
(कुलदीप सिंह)
महाप्रबन्धक,
जलकल विभाग, आगरा।

पृ0सं0 / तदैव /
प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, आगरा।
2. मण्डलीय वन अधिकारी, आगरा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा।

महाप्रबन्धक,
जलकल विभाग, आगरा।

AGRA SMART CITY LIMITED
Regd. Office: AGRA SMART CITY BUILDING,
AGRA NAGAR NIGAM CAMPUS
NEAR SURSADAN, M.G. ROAD, AGRA-282002
Email: agrasmartcitylimited@gmail.com Website: www.agrasmartcity.in
CIN: U74999UP2017SGC088981

प्रेषक,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड,
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा।

संख्या : 43 / ASCL/2024–25 दिनांक 16/04/24

विषयः सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्रांक 1988/12–1 दिनांक 02.04.2024 एवं पत्रांक 2006/12–1 दिनांक 09.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अनुरोध किया गया है कि निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

(क) मा0 न्यायालयों के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने एवं आपके विभाग की परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत एवं स्पष्ट अभिमत–

(ख) उक्त के आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहर के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध में अभिमत--

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि–

(क) आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ताजगंज के 2250 एकड़ क्षेत्र (ए0बी0डी0 एरिया), जिसका मैप एतद् पत्र के साथ संलग्न है, में विभिन्न कार्य कराया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा स्मार्ट सिटी लि0 की ए0बी0डी0 एरिया से बाहर है।

(ख) चूंकि आगरा स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा कराये गये कार्य इको सेंन्सिटिव जोन के 10 कि0मी0 बढाये जाने पर भी प्रभावित नही होगें। अतः 10 कि0मी0 तक इको सेंन्सिटिव जोन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड,
आगरा।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद आगरा।
2. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
3. महाप्रबन्धक (प्रोजेक्ट), आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, आगरा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड,
आगरा।

Email

प्रेषक,

सहायक निदेशक मत्स्य,
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा।

पत्रांकः 28 / विविध / 2023–24

दिनांकः 12/04/2024

विषयः सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1988 / 12–1 आगरा दिनांक 02.04.2024 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से सम्बन्धित निरीक्षण एवं कार्यालय अभिलेखों के अनुसार 1.00 किमी0 तक विभागीय योजना संचालित नही है और ना ही योजना प्रभावित है, सूचना सादर प्रेषित है।

भवदीय

(प्रशान्त गंगवार)
सहायक निदेशक मत्स्य
आगरा।

उत्तर प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

कार्यालय–अधिशासी अभियन्ता
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा- 282001
PROVINCIAL DIVISION, P.W.D. AGRA-282001
email- pwd121pd@gmail.com
pwdhelpline@gmail.com

पत्रांक [illegible] / 1सी

दिनांक 12 / 04 / 2024

सेवा में

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा।

विषय: सूर सरोवर पक्षी विहार के [illegible] के उपरान्त ईको सेंसिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से सड़क योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका कार्यालय पत्रांक–2006 / 12-1 दिनांक 09.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में आप द्वारा चाही गई आख्या निम्नवत है–

क्रमांक	बिन्दु	आख्या
क	मा0 न्यायालयों के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेंसिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने एवं आपके विभाग की परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत एवं स्पष्ट अभिमत।	ईको सेंसिटिव जोन के विस्तार से [illegible] कार्य के अभिमत वर्तमान में लोक निर्माण विभाग का एक कार्य [illegible] मार्ग का नवीनीकरण कार्य स्वीकृत है जो कि [illegible] है। साथ ही अवगत कराना है कि वर्तमान में मार्ग का कार्य प्रगति में है। यह मार्ग सूर सरोवर को जाने वाला मुख्य मार्ग है। मार्ग के नवीनीकरण हो जाने के पश्चात सूर सरोवर में आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा होगी तथा यातायात भी सुगम होगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
ख	उक्त के आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार के जैव विविधता के संरक्ष एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध में आपका अभिमत।	लोक निर्माण विभाग मार्गों के रख–रखाव व मार्गों का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य करता है। वर्तमान में शून्य से [illegible] कि0मी0 के बीच में सूर सरोवर के लिये जाने वाले मार्गों का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण किया जा सकता है जिससे सरोवर में आने जाने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा होगी, पर्यटन व व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सूर सरोवर की परिधि के अन्दर आप द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले मार्गों का स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को भेजा जा सकता है। जिस पर स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

[illegible] 04 24

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक /

दिनांक– / / 2024

प्रतिलिपि:–

1 जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2 सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा

E-mail-roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –.....113...... /ओजी–049 / 2024 दिनांक–...12..... / 04 / 2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा।

विषयः– सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा के पत्रांक 1988 / 12–1 दिनांक 02.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आप द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचनायें चाही गयी हैं। बिन्दु संख्या (क) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणाम स्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कोई परियोजना प्रभावित नहीं है। बिन्दु संख्या (ख) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन का न्यूनतम निर्धारण किया जाना उचित होगा, यदि ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण 01कि0मी0 से अधिक किया जाता है तो जनपद आगरा के औद्योगिक क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 12/4/24

क्षेत्रीय अधिकारी

dc

कार्यालय उपजिलाधिकारी किरावली आगरा

पत्रांक 519 /र0का0 /2024 दिनांक: 11 अप्रैल, 2024

विषय:- **सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थिकरण के उपरांत ईको सेंसिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओ/विकास परियोजनाओ पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध मे ।**

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0 प्र0,आगरा ।

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्रांक 1988 / 12 - 1 दिनांक 02.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके अंतर्गत सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थिकरण के उपरांत ईको सेंसिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओ/विकास परियोजनाओ पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध मे नियत विन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध मे 1 से 10 किमी तक की रेंज मे आने वाले क्षेत्र के लेखपालो से जाँच कराकर सूचना प्राप्त की गई । वांछित सूचना व विभागीय मत निम्नवत है-

क्र0 स0	ग्राम का नाम	1 किमी के अंतर्गत स्थित विकास परियोजनाओ का नाम (स्कूल , कालेज, विश्व विद्यालय, फैक्ट्री , आवासीय योजना अथवा अन्य कोई वडी परियोजना)	10 किमी के अंतर्गत स्थित विकास परियोजनाओ का नाम (स्कूल , कालेज, विश्व विद्यालय, फैक्ट्री , आवासीय योजना अथवा अन्य कोई वडी परियोजना)	ईको सेंसिटिव जोन घोषित होने पर विकास परियोजनाओ पर पडने वाले प्रभाव
1	रुनकता	शारदा यूनिवर्सिटी, आनन्द इंजीनियरिंग कालेज, हैंडपम्प,	कालम संख्या 1 के अतिरिक्त एक दर्जन से	उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि

		प्लास्टिक पाइप व विवरेज की फैक्टरी, 2 हेक्टेयर मे स्थित डालफिन वाटर पार्क, कमला रावत व शिव देवी हॉस्पीटल, होटल विराज पैलेस, होटल श्रीनाथ, जैन इंडस्ट्रीज, बंसल स्टोन एण्ड स्टील, राजस्थान चर्मकला केन्द्र, अवनी इंडस्टीज, सी.एन.जी. सिलेंडर टेस्टिंग, इण्टर कालेज, राष्टीय राज्य मार्ग व रेलवे लाइन, पेट्रोल पम्प	अधिक जूता की फैक्टरी, आस्था सिटी जैसी आवासीय परियोजनाये, पेट्रोल पम्प, बालाजी वेवरेज, कोल्ड स्टोर, आईस फेक्टरी, मोनो फ्लामेंटस, इण्टर कालेज/विभिन्न टेक्निकल/मेनेजमेंट कालेज	10 किमी की त्रिज्या मे ईको सेंसिटिव जोन वनाये जाने पर विभिन्न प्रकार की आवासीय एवं व्यवसायिक गतिविधियो के नियंत्रित होने की सम्भावना है।
2	सींगना	10 हेक्टेयर मे प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र का साउथ एशिया रिजनल सेंटर, आगरा ट्रेड सेंटर(जूता फेक्टरी) व दिल्ली- आगरा राष्टीय राजमार्ग	गैस गोदाम, सेफ्टी ग्लास फेक्टरी, वर्धमान रिसोर्ट, विद्यालय व आवासीय कालोनिया	
3	अकबरा	-	कृष्णा कालोनी, आस्था सिटी आवासीय योजना , सिल्वर ग्रीन आवासीय योजना, ग्रीनवैली कांवेंट स्कूल, जीवन कंस्ट्रेक्शन कम्पनी (गिटटी प्लांट), श्री प्रताप सिंह इण्टर कालेज, मनीराम आई.टी.आई., राष्टीय राजमार्ग, श्रीमती द्रोपती देवी वाल विद्या मन्दिर, श्री पूरन प्रसाद डिग्री कालेज, गणेशीलाल डिग्री कालेज, वी.एस. विवरिज प्लांट, पेंट फेक्टरी अन्य आवासीय योजनाये, 10 वीघा मे वेयर हाउस प्रस्तावित तथा फेक्टरी हेतु प्राइवेट कम्पनीयो ने भूमि खरीद ली है	
4	मांगरौल गूजर	-	श्री ओम श्याम इण्टर कालेज, सी.एन.जी. सिलेंडर टेस्टिग सेंटर	

5	सांधन	-	नवाव सिंह किसान सेवा केन्द्र	
6	खेडा सांधन	-	पंडित दीनदयाल राजकीय इण्टर कालेज, राजपूताना आदर्श हायर सेकैंडरी स्कूल	
7	नगला अरूआ	-	पीताम्बरा शीतगृह भरतपुर रोड, जमुना प्रसाद कोल्ड स्टोर भरतपुर रोड, हरप्रसाद अग्रवाल उ0 मा0 वि0	
8	मुरैंडा	-	गैस गोदाम वना है, किंतु बन्द है, प्राइवेट स्कूल	
9	लोहकरेरा	-	पब्लिक स्कूल , इण्टर कालेज, पेट्रोल पम्प, कोल्ड स्टोर, गैस गोदाम, आवासीय कालोनी, ब्रुश फेक्टरी, पाइप फेक्टरी संचालित है।	
10	खडवाई	-	सोस फेक्टरी, जूता फेक्टरी, दोना व कप प्लेट फेक्टरी वैग वनाने की फेक्टरी, स्कूल, आवासीय कालोनी	
11	कुकथला	-	इण्टर कालेज, जे.सी.सी. फेक्टरी, शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान, रेलवे लाइन परियोजना,बिधुत सवस्टेशन व आवासीय योजना	
12	नागर	-	रेलवे लाइन परियोजना, आवासीय योजना	
13	कीठम		पेट्रोल पम्प, सीनियर सेकेंडरी/उ0 मा0 स्कूल, कोल्ड स्टोर, पापड फेक्टरी, मेरिज होम, राष्टीय राजमार्ग दक्षिणी वाईपास	
14	जनूथा	-	इण्टर कालेज - 2	
15	मई	-	इण्टर कालेज, मेरिज होम	

16.	अछनेरा	-	इण्टर कांलेज-7, आई.टी.आई, कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पम्प - 3, बिधुत सवस्टेशन, मण्डी समिति, आगरा - भरतपुर मार्ग	
17	कचौरा	-	हायर सेकेंडरी/इण्टर कालेज, मेरिज होम, पेट्रोल पम्प	
18	रायभा	-	कोल्ड स्टोर/आईस फेक्टरी, पटाका गोदाम, डिग्री कालेज, आई.टी.आई कालेज, रेलवे लाइन, मेरिज होम, जूस फेक्टरी, ओवरसीज ट्रेडर्स स्टोन फेक्टरी, दक्षिणी वाईपास, आवासीय कालोनी	
18	चौमा फ़रह	बी.एम.एस. इंजीनियरिग कालेज, दिल्ली- आगरा राष्टीय राजमार्ग		
19	भिलावटी	-	कोल्ड स्टोरेज, आई.टी.आई., रेलवे परियोजना	
20	रैपुरा अहीर	-	उ0 मा0 विद्यालय	
21	कठवारी	-	वी.एम. डिग्री कालेज	
22	मंगूर्रा	-	महाराणा प्रताप कालेज ऑफ एजूकेशन, दक्षिणी वाईपास, स्टोनमेन प्रा0लि0 मार्वल फैक्टरी, पेट्रोल पम्प, इण्टर कालेज	

उपरोक्तानुसार वांछित सूचना सादर प्रेषित है ।

11/5/24

उपजिलाधिकारी,
किरावली,आगरा

प्रतिलिपिः- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

उपजिलाधिकारी,
किरावली,आगरा

प्रेषक,

उप निदेशक उद्यान,
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल,सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा।

पत्रांक :-अ0लि0 /उद्यान/सींगना/2024-25/दिनांक : आगरा : 10 अप्रैल, 2024

विषयः- सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर, योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 1988/12-1/दिनांक आगरा 02.04.2024 एवं पत्रांक 2036/12-1/दिनांक आगरा 09.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा (क) मा0 न्यायालयों के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने एवं उद्यान विभाग की परियोजना (ख) उक्त के आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध में कार्यालय उप निदेशक उद्यान, आगरा का अभिमत जानने के सम्बन्ध में है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय उप निदेशक उद्यान, आगरा के अधीन राजकीय उद्यान प्रक्षेत्र आलू फार्म सींगना, आगरा में स्थित उद्यान विभाग के नाम दर्ज खाता संख्या-00272 में उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल 138.50 हेक्टेयर भूमि है जो सूरसरोवर पक्षी विहार में सूरदास वन के समीप स्थित है, के उपजाऊ भाग में 25 हैक्टेयर क्षेत्रफल भूमि पर आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है तथा चिन्हित 10 हैक्टेयर भूमि को अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र पेरू का साउथ एशिया रीजनल सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु 99 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, को लीज (पट्टे) पर निःशुल्क दी गयी है, जिसे दिनांक 30.01.2024 को तहसीलदार, किरावली, आगरा के मध्यम से राजस्व अभिलेखों/खतौनी में दर्ज करा दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र, आगरा पर वैज्ञानिकों के लिए सूरसरोवर पक्षी विहार से आने जाने हेतु शासन द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा।

उक्त के क्रम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10.10.2019 के पृष्ठ संख्या-6 में अंकित सारणी में तीन भाग में (क) प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप (ख)विनियमित क्रियाकलाप (ग) संवर्धित क्रियाकलाप के द्वारा ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार हेतु दी गयी शर्तों के नियमानुसार किया जायेगा। सूचना आपकी सेवा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(धर्म पाल यादव)
उप निदेशक उद्यान,
आगरा मण्डल, आगरा।

पृष्ठांकन सं0- 129-32 /दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त महोदया, आगरा मण्डल, आगरा।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
3. निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

उप निदेशक उद्यान,
आगरा मण्डल, आगरा।

 ई-मेल द्वारा

कार्यालय : उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, आगरा

पत्रांक......181.../जि0उ0एवंउ0प्रो0के0(आ0)/पर्यावरण/2023--24 दिनांकः 10-4-24

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट
आगरा

विषय :–सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुर्ननिर्धारण से नगर योजनाओं पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

कृपया कार्यालय के पत्रांक 2006/12–1 दिनांक 09.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें सरोवर पक्षी विहार के सम्बन्ध में विभागीय योजनाओं पर पडने वाले प्रभाव का आलेख मांगा गया था।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निधारण से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक विकास एवं स्वरोजगार हेतु योजनाये (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम , मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना) के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द
आगरा

पत्रांक– 2133 /सूर सरोवर पक्षी विहार/2024

प्रेषक

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सेंक्चुरी प्रोजेक्ट
आगरा।

दिनांक– 09 -अप्रैल, 2024

विषयः–**सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–1988/12–1, दिनांक–02.04.2024 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बदलने एवं उसके परिणाम स्वरूप ईको सेंसिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने से विभागीय परियोजना पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय मे आख्या चाही गई है।

उक्त सन्दर्भ मे अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा के अत्यन्त निकट स्थित ईको टूरिज्म साईट है। यहाँ पर पर्यटकों एवं स्थानीय भ्रमणार्थियों का आवागमन बना रहता है। भविष्य में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। शासन द्वारा प्रदेश में स्थित ईको टूरिज्म साईट के निकट पर्यटकों की सुविधाओं हेतु रिजॉर्ट आदि खोलने पर बल दिया जा रहा है।

अतः इस कार्यालय का अभिमत है कि सूर सरोवर की बाउण्ड्रीवाल से पूर्व निर्धारित 1 कि0 मी0 की परिधि को ही सेंसिटिव जोन बनाये रखने पर विचार किया जाय, जिससे पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

भवदीया

(दीप्ति वत्स)
क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा।
3– जिलाधिकारी, आगरा।

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा।

पत्रांक–2133 /सूर सरोवर पक्षी विहार/2024

प्रेषक

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सेंक्चुरी प्रोजेक्ट
आगरा।

दिनांक–09 अप्रैल, 2024

विषयः–सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–1988/12–1, दिनांक–02.04.2024 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बदलने एवं उसके परिणाम स्वरूप ईको सेंसिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने से विभागीय परियोजना पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय मे आख्या चाही गई है।

उक्त सन्दर्भ मे अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा के अत्यन्त निकट स्थित ईको टूरिज्म साईट है। यहाँ पर पर्यटकों एवं स्थानीय भ्रमणार्थियों का आवागमन बना रहता है। भविष्य में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। शासन द्वारा प्रदेश में स्थित ईको टूरिज्म साईट के निकट पर्यटकों की सुविधाओं हेतु रिजॉर्ट आदि खोलने पर बल दिया जा रहा है।

अतः इस कार्यालय का अभिमत है कि सूर सरोवर की बाउण्ड्रीवाल से पूर्व निर्धारित 1 कि0 मी0 की परिधि को ही सेंसिटिव जोन बनाये रखने पर विचार किया जाय, जिससे पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

भवदीया

(दीप्ति वत्स)
क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा।
3– जिलाधिकारी, आगरा।

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

मेल आई०डी०-
eeldacagra@gmail.com

पत्रांक:- 1247 /लोअर/कीठम दिनांकः—06 .04.2024

विषयः-सूर सरोवर पक्षी बिहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुर्ननिर्धाण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः-आपका पत्रांक—1988/12-1, दिनांक—आगरा, अप्रैल 02, 2024।

उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र०, आगरा।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस खण्ड के सहायक अभियन्ता—प्रथम की आख्यानुसार अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी बिहार की प्रस्तावित सीमा सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव ज़ोन के पुर्ननिर्धाण से सिंचाई विभाग की योजनाओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

06.4.24

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

पत्रांक:- /लोअर/कीठम/दिनांक:- .04.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अधीक्षण अभियन्ता—तृतीय मण्डल सिंचाई विभाग, आगरा।
2. सहायक अभियन्ता—प्रथम, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा को उनके पत्रांक—398/स0अ0प्र0/कीठम, दिनांक—05.04.2024 के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

Puneet D/M

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0 आगरा।

पत्रांक 31 /खनिज सहायक/2024–25 दिनांक 05/04/2024

विषय– सर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरानत ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 1988/12–1 आगरा, दिनांक 02.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 30.03.2024 को जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठक में सुर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढने व उसके परिणाम स्वरूप ईको सेन्सटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन को दृष्टिगत विभिन्न विभागों से उनकी योजनाओं पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में अभिमत परिचर्चा एवं अभिमत भी मांगा गया। उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचनायें प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(क)– मा0 न्यायालयों के आदेशों के कम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने एवं आपके विभाग की परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत एवं स्पष्ट अभिमत।

(ख)– उक्त के आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध में अभिमत।

उक्त के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित सूचना निम्नवत् है–

(क)– सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने से जनपद आगरा तहसील सदर के ग्रम बाईपुर एहतमाली में संचालित साधारण बालू के खनन पट्टा एवं ग्राम स्वामी एहतमाली में प्रस्तावित साधारण बालू के खनन पट्टा बन्द हो जायेगी जिससे करोडों रूपये की राजस्व में क्षति होगी।

(ख)– सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन शून्य से 05 कि0मी0 तक रखने से जनपद में संचालित एवं प्रस्तावित खनन पट्टा प्रभावित नही होंगे।

अतः उक्त सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय
07/04/2024
ज्येष्ठ खान अधिकारी
आगरा।

पत्रांक एवं समदिनांक।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

ज्येष्ठ खान अधिकारी
आगरा।

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा

पत्रांक :– 06/डी0/पी0ए0/ए0एन0ए0–कैम्प/2024 दिनांक :– 02 मार्च, 2024

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
आगरा–उ0प्र0

विषय :– सूरसरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निधारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्र सं0 1813/12–1 दिनांक 02 मार्च, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा आई0ए0 संख्या 196157, 195158 व 196159 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 529/2023 डा0 शरद गुप्ता बनाम् यूनियन ऑन इंडिया व अन्य के अन्तर्गत दिनांक 21.11.2023 को पारित आदेशों के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण की कार्यवाही से विभाग की किसी योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत, इस सम्बन्ध में सूक्ष्म आलेख आपके कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में पर्यावरण अभियन्ता को जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। पर्यावरण अभियन्ता से प्राप्त आख्या अनुसार अवगत कराना है कि सूरसरोवर पक्षी विहार आगरा नगर की सीमा से बाहर लगभग 10कि0मी0 की दूरी पर रूनकता ग्राम के निकट अवस्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण की कार्यवाही से नगर निगम की किसी योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही है।

अतः आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
2. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा

पत्रांक :– 06/डी0/पी0ए0/ए0एन0ए0–कैम्प/2024 दिनांक :– 02 मार्च, 2024

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
आगरा–उ0प्र0

विषय :– **सूरसरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निधारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्र सं0 1813/12–1 दिनांक 02 मार्च, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा आई0ए0 संख्या 196157, 195158 व 196159 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 529/2023 डा0 शरद गुप्ता बनाम् यूनियन ऑन इंडिया व अन्य के अन्तर्गत दिनांक 21.11.2023 को पारित आदेशों के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण की कार्यवाही से विभाग की किसी योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत, इस सम्बन्ध में सूक्ष्म आलेख आपके कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में पर्यावरण अभियन्ता को जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। पर्यावरण अभियन्ता से प्राप्त आख्या अनुसार अवगत कराना है कि सूरसरोवर पक्षी विहार आगरा नगर की सीमा से बाहर लगभग 10कि0मी0 की दूरी पर रूनकता ग्राम के निकट अवस्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण की कार्यवाही से नगर निगम की किसी योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही है।

अतः आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपि :–
1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
2. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मथुरा।

पत्रांक 5622 /29–5 मथुरा, दिनांक 17/5/2024.

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
आगरा, उ0प्र0।

विषय :– सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाग के संबंध में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक 1989/12–1 दिनांक 02.04.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाग के संबंध में आपके द्वारा जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को संबोधित संदर्भित पत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रकरण में जिला मथुरा से संबंधित कोई प्रकरण है, तो इस संबंध में अवगत कराने हेतु अपेक्षा की गई थी। तत्सम्बन्ध में संदर्भित ईको सेन्सिटिव जोन में बदलाव एवं पुनर्निर्धारण से पूर्व विकास के परियोजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु इस प्रकरण से प्रभावित होने वाले मथुरा जनपद के संबंधित राजकीय विभागों की एक महत्त्वपूर्ण बैठक दिनांक 16.04.2024 को जिलाधिकारी महोदय, मथुरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था–

(क)– मा0 न्यायालयों के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटव जोन विस्तार में परिवर्तन होने पर उनके विभाग की प्रभावित होने वाली परियोजना के संबंध में विस्तृत एवं स्पष्ट टिप्पणी।

(ख)– उक्त के आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभाग विभागीय विकास की परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के दूरी निर्धारण के संबंध में उनके विभाग का अभिमत।

तत्क्रम में संबंधित विभागों द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्याऐं उपलब्ध करायी गयी है, जो संलग्नक 01 से 15 के रूप में संलग्न है। जिनमें संबंधित विभागों (खनन, विद्युत, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकारण, उद्योग, जल निगम, परिवहन, बृज तीर्थ विकास परिषद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचायत राज विभाग एवं नगर निगम) द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने पर उनके विभाग की विभिन्न क्रियान्वित/प्रस्तावित परियोजनाओं प्रभावित होने वाली परियोजनाओं एवं ईको सेन्सिटिव जोन की दूरी निर्धारण के संबंध में उनका विभागीय अभिमत दिया है।

समस्त संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना(संलग्नक 01 से 15) के आधार पर अवगत कराना है कि "सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने पर मथुरा जनपद के संबंधित विभागों की विभिन्न क्रियान्वित/प्रस्तावित परियोजनाऐं प्रभावित होना सम्भावित है। अतः विकास कार्यों एवं राजस्व संग्रहण पर सम्भावित विपरीत प्रभाग के दृष्टिगत मथुरा जनपद के संबंधित विभागों द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की दूरी 01 किमी0 की सीमा तक सीमित रखने का अभिमत दिया गया है"।

तत्क्रम में उक्त अभिमत जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के अनुमोदन के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित है।

संलग्नकः संलग्नक 01 से 15 उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक / दिनांकित ।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

T.C.
(हस्ताक्षर) 20/5/2024

Shruti/377

E-Mail- eecdmathura@gmail.com

253

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर–मथुरा

पत्रांक 355 / बैठक / 38 दिनांक 03/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

विषयः सूरसरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त Eco-Sensitive Zone पुनर्निधारण से जनपद के नगरीय निकाय में निर्माणाधीन पेयजल/सीवरेज योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 16.04.2024 को जिलाधिकारी महोदय मथुरा की अध्यक्षता में आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के अन्तर्गत फरह नगर पंचायत में "फरह टी0ए0सी0 पुनगर्ठन पेयजल योजना" निर्माणाधीन है तथा स्वच्छ भारत मिशन (एस0बी0एम0) कार्यक्रम के अन्तर्गत फरह नगर पंचायत क्षेत्र हेतु सीवरेज की योजना तैयार की जा रही है। सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण हेतु सम्भावित Eco-Sensitive Zone के 10 कि0मी0 Radius में Eco-Sensitive Zone घोषित होने पर माइनिंग गतिविधियों पर रोक के कारण उपरोक्त योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उक्त के अतिरिक्त Eco-Sensitive Zone के 1 किमी0 Radius क्षेत्र में जनपद की पेयजल/सीवरेज योजना के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(आर0के0श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0स0 एवं दिनांक : उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेशित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेशित।

अधिशासी अभियन्ता

उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, मथुरा

8579
29-5
21/5/24

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
मथुरा ।

सेवा मे,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी
मथुरा ।

पत्रांकः 89-90 / जिउप्रोउविके / मथुरा / सूसबसैं / पत्राचार / 2024–25 दिनांक :- 27-4-2024

विषय– सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सैंसेटिव जोन में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 1988 / 12–1 आगरा, दिनांक 02.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 30.03.2024 को जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठक में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने व उसके परिणाम स्वरूप ईको सेनसिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन के दृष्टिगत विभिन्न विभागों से उनकी परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में अभिमत परिचर्चा एवं अभिमत भी माँगा गया । उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय आगरा द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचनायें प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

(क)– मा0 न्यायालयों के आदेशों के कम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणाम स्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने एवं आपके विभाग की परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत एवं स्पष्ट अभिमत ।

(ख)– उक्त के आलोक में सूर सरोवर के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करते हुये सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव ज्रोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीचरखें जाने के सम्बन्ध में अभिमत ।

उक्त के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दुओं पर वॉछित सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

(क)– सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने से क्षेत्र यथा– बरारी, बाद, औद्यागिक क्षेत्र यूपीसीडा–साईट–बी आदि में काफी संख्या में पूर्व स्थापित लघु, मध्यम तथा वृहद औद्योगिक इकाइयों एवं कुटीर उद्योग इकाइयों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होगा जिससे औद्योगिक वातावरण प्रभावित होगा जिसके परिणामस्वरूप जहॉ एक ओर राजस्व की भी क्षति होगी वहीं उद्यमों में कार्यरत व्यतियों के रोजगार का संकट उत्पन्न होगा ।

(ख)– सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन शून्य से 01 कि0मी0 के बीच रखे जाने से पूर्व से स्थापित इकाइयों पर कोई प्रभाव नही होगा तथा जनपद का औद्योगिक विकास भी प्रभावित नही होगा

Rh

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
मथुरा

पत्रांक / जिउप्रोउविके / मथुरा / सूसबसैं / पत्राचार / 2024–25 दिनांक :–

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
मथुरा

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण
राजकीय संग्रहालय, डैम्पीयर नगर, मथुरा

पत्र संख्याः– 190 /म0वृ0वि0प्रा0/2024–25 दिनांकः– 2/5/2024

प्रेषक,

सचिव,
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

विषयः– दिनांक 16.04.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर अभिमत मांगे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक–5220/29–5 मथुरा, दिनांक 20.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 16.04.2024 को जिलाधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठक में सुर–सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने व उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन के दृष्टिगत विभिन्न विभागों से उनकी योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में अभिमत मांगा गया। उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय, मथुरा द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचनायें प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया हैः–

(क) मा0 न्यायालयों के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप इको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने एवं आपके विभाग की परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत एवं स्पष्ट टिप्पणी।

(ख) उक्त के आलोक में सूर सरोवर पक्षी विहार के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करते हुये सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध में टिप्पणी।

उक्त के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित सूचना निम्नवत् हैः–

(क) सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने से जनपद मथुरा में कार्यदायी संस्था मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा संचालित योजना फरह ब्लॉक के अन्तर्गत जोधपुर झाल की वेटलैण्ड के संरक्षण एवं ईको पर्यटन विकास तथा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत रहीमपुर फरह में आवासीय योजना विकसित करने का कार्य प्रभावित होगा।

(ख) सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन शून्य से 01 कि0मी0 तक रखने से जनपद मथुरा मे कार्यदायी संस्था मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा संचालित परियोजना प्रभावित नहीं होगी।

अतः उक्त सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

02/05/24

(अरविन्द कुमार द्विवेदी)
सचिव

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को सादर अवलोकनार्थ।

(अरविन्द कुमार द्विवेदी)
सचिव

प्रेषक,

जिला उद्यान अधिकारी
मथुरा।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा।

पत्रांक 100 /उद्यान/सूर सरोवर/2024–25/दिनांक 06 ,मई–2024

विषय :– सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में विभागीय अभिमत प्रेषण विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने पर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। कृपया अवगत होना चाहें।

भवदीय

(मनोज कुमार)
जिला उद्यान अधिकारी
मथुरा

6/5/2024

उत्तर प्रदेश सरकार
257 लोक निर्माण विभाग

अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा
Provincial Division, PWD, Mathura
E-mail : exerpwdmtr@gmail.com

जिलाधिकारी कार्यालय परिसर
Collectrate Compound,
सिविललाइन, मथुरा–281001
Civil Line, Mathura-281001
Phone No.- 0565-2471431

पत्रांक : 1578/ M-6 दिनांक : 01/05/24

8-5-26
29
2/5/24

सेवामें,
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग,
मथुरा।

विषयः ईको सेन्सिटिव जोन पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भः आपका पत्रांक 5267/29–5 मथुरा दिनांक 24.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार का क्षेत्र लोक निर्माण विभाग जनपद आगरा के अन्तर्गत है। सूर सरोवर पक्षी विहार के वर्तमान क्षेत्र एवं क्षेत्रफल बढने के दौरान इस कार्यालय से संबंधित कोई परियोजना प्रभावित नहीं हो रही है और न ही उक्त क्षेत्र में चौडीकरण/सुदृढीकरण से संबंधित कोई परियोजना वर्तमान में प्रस्तावित है।

अतः आख्या प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मथुरा।

पत्रांक दिनांक

1. प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लो0नि0वि0, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि श्री संदीप तौमर, सहायक अभियन्ता को उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में।
4. प्रतिलिपि श्री रवि कुमार शर्मा, वरि0 सहा0 को रिकार्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मथुरा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम),
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
मथुरा।

पत्रांक : 2152 / वि0वि0ख0(प्र0)म0 / शि0अ0 | दिनांक : 29 / 04 / 2024

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी,
वन प्रभाग, मथुरा।

विषयः ईको सेन्सिटिव जोन पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा का पत्रांक 5220/29–5 दिनांक 20.04.2024 (दिनांक 16.04.2024 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश) के क्रम में।
2. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0 आगरा का पत्रांक 1989/12–1 दि0 02.04.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि "सूर सरोवर पक्षी विहार" के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन के दृष्टिगत ऊर्जा विभाग की योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् बिन्दुवार हैं:–

1. सूर सरोवर पक्षी विहार के एक किलोमीटर की परिधि में विद्युत विभाग की 2 नग 33 के.वी. कीठम 1 एवं 2 विद्युत लाइनें आती है जोकि मथुरा रिफाइनरी को वाटर सप्लाई हेतु पम्प हाउस को पोषित करती हैं। इसके अलावा अन्य कोई विद्युत नेटवर्क सूर सरोवर पक्षी विहार की परिधि में नही आता है।

2. यदि सूर सरोवर पक्षी विहार का विस्तार कर 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर परिधि में किया जायेगा तो विद्युत विभाग की बहुत लाइनें (दो नग उपकेन्द्रों के 5 नग 11 के.वी. फीडर) जो विभिन्न ग्रामों को विद्युत आपूर्ति करते हैं वो भी ईको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत आ जायेगी जो भविष्य में भूमिगत करनी पड़ेगी।

अतः उक्त कारण के दृष्टिगत ईको सेन्सिटिव जोन को 10 किलोमीटर परिधि में न करके 1 किलोमीटर परिधि में रखा जाये जिससे ऊर्जा तंत्र प्रभावित न हो।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

(गौरव कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक : .... / वि0वि0ख0(प्र0)म0 / शि0अ0 | दिनांक : / 04 / 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थः–

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल–प्र0, मथुरा।

(गौरव कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

10%

85-22
14-1
2/5/24

259

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 66 /खनिज/2024–2025 दिनांक 23 अप्रैल, :

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग
मथुरा।

विषयः **<u>सूर सरोवर पक्षी बिहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से योजनाओं पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा के पत्र संख्या 5220/29–5 मथुरा दि 20.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूर सरोवर पक्षी बिहार के सुव्यवस्थीकरण उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में आयो बैठक दिनांक 16.04.2024 में ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने पर विभाग की प्रभावित होने व परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत एवं स्पष्ट टिप्पणी विभाग के अभिमत सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश गये थे।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पक्षी बिहार के वर्तमान ईको सेंसीटिवे जोन को बढाये जाने मिट्‌टी खनन पर व्यापक असर पडेगा। जनपद मथुरा में कई सड़को के निम्न परियोजना संचालित है:–

1. मथुरा–अलीगढ प्रोजेक्ट पैकेज–1B NH-530B (मथुरा बाईपास से गजू गांव तक) के निर्माण कार्य।
2. जनपद मथुरा में सिक्स लेन आगरा नोर्थन वाईपास कंनेक्टिंग एन0एच0–19 (ओल्ड एन0एच0– कि0मी0 174.500 से यमुना एक्सप्रेस–वें कि0मी0 141 के निर्माण कार्य।
3. मथुरा बाईपास NH-2 (NH-44) पर NH-530B के प्रारम्भिक बिन्दु पर एप्रोच व स्लिप रोड के साथ सि लेन फ्लाईओवर के निर्माण कार्य।
4. कीठम – भांडई बाईपास 03 लाइन रेलवे निर्माण कार्य।
5. जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चारो ओर 10 मीटर चौडाई में सर्विस मार्ग निर्माण कार्य।
6. जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेस–वे से वृन्दावन (पागल बाबा मन्दिर) तक 04 लेन के कार्य।

उक्त परियोजनाओं को वृहद पैमाने पर मिट्‌टी की आवश्यकता है एवं समस्त परियोजना वर्तमान संचालित है। ईको सेंसीटिवे जोन को बढाये जाने पर उक्त परियोजनाओ में मिट्‌टी के खनन से का कठिनाईयॉ उत्पन्न हो सकती है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1659/86–20: दिनांक 17.05.2023 के क्रम में जनपद के विद्यमान खनन क्षेत्रों तथा नये चिन्हित क्षेत्रों के डी.एस.आर. updation/modification का कार्य भी प्रचलित है। पक्षी बिहार के ईको सेंसीटिवे जोन के अधिसूचित क्षेत्रफ वढाये जाने पर उक्त दोनो कार्य प्रभावित होगे।

खान अधिकारी
मथुरा।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

खान अधिकारी
मथुरा।

उत्तर प्रदेश पर्यटन कार्यालय
ब्रज तीर्थ विकास परिषद,
474/1, सिविल लाईन, मथुरा।

पत्रांकः 110/विविध/सूर सरोवर/2024 दिनांकः:मई 7/, 2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग,
मथुरा।

विषयः— सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 5156/12—1 दिनांक 15.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा के पत्र संख्या 2466/ईको सेन्सिटिव/2024 दिनांक 03.05.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त सूचना कार्यालय के पत्र सं0 2133/सूर सरोवर पक्षी विहार/2024 दिनांक 09.04.2024 के माध्यम से उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा को प्रेषित करा दी गयी है तथा प्रेषित की गयी सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(डी0के0 शर्मा)
पर्यटक अधिकारी
मथुरा।

पत्रांक–2466/ईको सेन्सिटिव/2024

प्रेषक

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा।

सेवा में,

पर्यटक अधिकारी
मथुरा।

दिनांक– 03 ,मई, 2024

विषयः–सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निधारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–103/एन0 जी0 टी0/सूर सरोवर/2024, दिनांक–27.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बदलने एवं उसके परिणाम स्वरूप ईको सैंसिटिव जोन के विस्तार होने से विभागीय परियोजना पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में आख्या चाही गई है। उक्त क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–2133/सूर सरोवर पक्षी विहार/2024, दिनांक–09.04.2024 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय के मत से उप वन संरक्षण राष्ट्रीय चम्बल सेंक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा को पूर्व में अवगत कराया गया है। उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया

(दीप्ति वत्स)
क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा।

पत्रांक– 2133 /सूर सरोवर पक्षी विहार/2024

प्रेषक

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट
आगरा।

दिनांक– 09 –अप्रैल, 2024

विषयः–सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–1988/12–1, दिनांक–02.04.2024 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बदलने एवं उसके परिणाम स्वरूप ईको सेंसिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने से विभागीय परियोजना पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय मे आख्या चाही गई है।

उक्त सन्दर्भ मे अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा के अत्यन्त निकट स्थित ईको टूरिज्म साईट है। यहाँ पर पर्यटकों एवं स्थानीय भ्रमणार्थियों का आवागमन बना रहता है। भविष्य में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। शासन द्वारा प्रदेश में स्थित ईको टूरिज्म साईट के निकट पर्यटकों की सुविधाओं हेतु रिजॉर्ट आदि खोलने पर बल दिया जा रहा है।

अतः इस कार्यालय का अभिमत है कि सूर सरोवर की बाउण्ड्रीवाल से पूर्व निर्धारित 1 कि0 मी0 की परिधि को ही सेंसिटिव जोन बनाये रखने पर विचार किया जाय, जिससे पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

भवदीया

9/4/24
(दीप्ति वत्स)
क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा।
3– जिलाधिकारी, आगरा।

9/4/24
क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा।

प्रेषक,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
मथुरा।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी,
मथुरा।

पत्रांक—3048/सा0प्र0/2024—25 दिनांक 08.05.2024

विषयः— सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेनसिटिव जोन में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1988/12—1 आगरा, दिनांक 02.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 30.03.2024, को जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठक में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने व उसके परिणाम स्वरूप ईको सेनसिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन के दृष्टिगत विभिन्न से उनकी परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में अभिमत परिचर्चा एवं अभिमत भी मांगा गया है उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय आगरा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बंध में सूचनायें प्रेषित किये जाने का निर्देश किया गया है।

उक्त के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है:—

(क)— माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणाम स्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने एवं विभाग की परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत एवं स्पष्ठ अभिमत।

(ख)— उक्त के आलोक में सूर सरोवर के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं के समन्वय स्थापित करते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बंध में अभिमत।

बिन्दु—1. <u>यातायात व्यवस्था पर प्रभाव</u>— ट्रैफिक एवं भारी वाहनों के संचालन पर रात्रि प्रतिबंध की दशा में सम्पूर्ण जनपद की यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारी वाहनों को आवागमन NH-2 एवं यमुना एक्सप्रेस—वे से ही होता है। भविष्य में बरेली तक भारी वाहनों के संचालन की व्यवस्था का कार्य NH-2 पर युद्धस्तर पर किया जा रहा है। जनपद, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों को सुगम यातायात प्रदान करता रहा है, जो जनपद की राजस्व एवं आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त उपरोक्त समस्त मार्गों से आवागमन प्रतिबिंधित होने की सम्भावना है जिसके हेतु अभी कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

जनपद की अर्थव्यवस्था में आई0ओ0सी0एल0 की रिफाइनरी की महत्वपूर्ण भूमिका सदैव रही है और इस निमित्त जनपद में भारी कॉमर्शियल वाहनों की कुल संख्या—15541है जिसमें टैंकर—1741, गुड्स कैरियर—11751, बस—2049 सम्मलित हैं। इन सभी के संचालन हेतु उपरोक्त मार्ग ही सदैव से प्रयुक्त होते रहे हैं। इन मार्गों पर प्रतिबंध की दशा में जनपद की आर्थिक स्थिति एवं समीकरण राजस्व बुरी तरह से प्रभावित होगा।

बिन्दु—2. <u>राजस्व पर प्रभावः</u>— सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार किये जाने से जनपद में वर्तमान में उपलब्ध वाणिज्यिक वाहन विशेषकर भारी वाहनों की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पूर्व में टी0टी0जेड0 के प्रतिबंध के कारण राजस्व हानि हो रही है एवं ईको

सेन्सिटिव जोन के विस्तार से जनपद में कुल पंजीकृत लगभग 50,000 वाहनों का संचालन बाधित होगा जिससे जनपद का राजस्व प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना है। वर्तमान में जनपद में विगत वर्षों की कुल प्राप्तियाँ 178.75 करोड़ रही हैं। इसमें वाणिज्यिक वाहनों से प्राप्तियाँ 54.00 करोड़ रही हैं। रात्रि संचालन में प्रतिबंध की दशा में एक तरफ इन वाहनों के संचालन प्रभावित होंगे वहीं इन वाहनों से प्राप्त राजस्व पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मथुरा जनपद एक धार्मिक पर्यटन नगरी है। इस जनपद में श्रद्धालु इन्ही मार्गों से बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। इससे भारी वाहनों के संचालन पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव एक तरफ वर्तमान व्यवसाय को तो प्रभावित करेगा ही साथ ही राजस्व वृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण हेतु ईको सेन्सिटिव जोन का विस्तार न्यूनतम 1 किमी की परिधि में ही किया जाना परिवहन एवं ट्रेफिक व्यवस्था के अनुरूप रहेगा। आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,
08/03/24

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन/प्रवर्तन) मथुरा।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
1. जिलाधिकरी महोदय, मथुरा।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन/प्रवर्तन) मथुरा।

उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद,

474/1, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

पत्रांक :– 186 /ब्र.ती.वि.प./2024–25 दिनांक 09 मई, 2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
मथुरा।

D.M./COLLECTOR

विषयः ईको सेन्सिटिव जोन पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।

संदर्भः 1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा का पत्रांक 5220/29–5 दि0 20.04.2024 (दि0 16.04.2024 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश) के कम में।
2. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0 आगरा का पत्रांक 1989/12–1 दि0 02.04.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मथुरा का पत्र सं0 5267/29–5 दिनांक 24.04.24।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि **"सूर सरोवर पक्षी बिहार"** के क्षेत्रफल बढने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन के दृष्टिगत उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद की योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् विन्दुवार हैं:–

1. सूर सरोवर पक्षी विहार के 10 कि0मी0 परिधि में जोधपुर झाल की वेटलेन्ड का संरक्षण एवं ईको पर्यटन विकास कार्य और ग्राम परखम स्थित यक्ष कुण्ड के जीर्णोद्धार का कार्य कियान्वित है। ये दोनों कार्य मूल रूप से जल एवं मृदा संरक्षण की श्रेणी के कार्य हैं।
2. यदि सूर सरोवर पंक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन का विस्तार कर 0 कि0मी0 से 01 कि0मी0 परिधि में किया जायेगा तो उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यो पर कोई प्रभाव नहीं होगा अतः इको सेन्सिटिव जोन की दूरी/चौड़ाई 01 कि0मी0 रखा जाना उचित होगा।

भवदीय

(जे0पी0 पाण्डेय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः
1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0 को सूचनार्थ।

09/05/24

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

बेव साइट: www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 189/E-31/2024 दिनांक 10/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

विषय: सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा (ईको सेंस्टिव जोन) के विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला पर्यावरण समिति की बैठक दिनांक–16.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का करें, जिसके द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा (ईको सेंस्टिव जोन) के 01 कि0मी0 क्षेत्रफल बढाने एवं परिणाम स्वरूप ईको सेंस्टिव जोन के विस्तार के सम्बन्ध में विभाग का अभिमत दिये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा (ईको सेंस्टिव जोन) के 01 कि0मी0 क्षेत्रफल बढाये जाने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

Office Letter Head. D

1- The temple of Banke Bihari ji in Vrinadavan is not private temple by an structure of imagination. The following points needs consideration in this account.

a. This Banke Bihari ji temple the land on the Banke bihari temple was constructed in 1860s. belongs to Govind due as per the present revenue records. Thus the Gosains or the sevayats are not the owner of the land on which the temple of this situation.

b. While no proof of ownership of the land anybody who claims to be private one. Has no ---- standee to do so.

----- thousands of people and on some days lakhs of them from all over the country and abroad visits the temple in a day. the visit of such great number of public devotees is a proof the shri banke bihari temple is a proof public place of worship and not a private temple as claimed by the Gosains or sevayat.

2- The following measure have been adopted by the admiration to ensure the safety and security of unmanageable devotees to the bihari ji temple on a day today basis.

3- The courtyard of banke bihari ji temple is approximately -------- feet in this courtyard not more than 5-6 hundred people can be accommodated any given time. The pressure of the devotees in daily cerate situation where by thousands of them get inside the courtyard and cerate the situation **stand pee -----.**

In Aug 22 on the day of jamansthmi to persons have lost the life in on such incident. There is a risk to the safety of life's of devotees almost every day because of the present of unmanageable presence of crowed inside the temple and near around in.

प्रेषक,

सहायक निदेशक मत्स्य

मथुरा

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग

मथुरा।

पत्रांक 25/विविध/2024-25 दिनांक 02 मई, 20[illegible]

विषय :- ईको सेन्सटिव जोन पुनः निर्धारण से नगर योजनाओं की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 5267/29-5 मथुरा, दिनांक 24.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट क[illegible] जिसके कम में दिनांक 30.03.2024 जिलाधिकारी महोदय, मथुरा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठक में सूर सरोवर पक्षी विह[illegible] के क्षेत्रफल बढ़ने व उसके परिणाम स्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन के दृष्टिगत विभिन्न विभागों से उनकी परियोजना[illegible] पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में अभिमत परिचर्चा एवं अभिमत भी मांगा गया। उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्दे[illegible] के कम में निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचनायें प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1. मा0 न्यायालयों के आदेशों के कम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणाम स्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन विस्तार में परिवर्तन होने एवं आपके विभाग की परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत एवं स्पष्ट अभिमत।
2. उक्त के आलोक में सूर सरोवर के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में समन्[illegible] स्थापित करते हुये सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 किमी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध[illegible] अभिमत।

उक्त के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित सूचना निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1. सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन शून्य से 01 किमी0 के बीच रखे जाने से पूर्व से स्थापित मछली पालन योजना पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
2. सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 किमी0 के बीच रखे जाने मछली पालन की योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा।

भवदीय

(अतुल कुमार)
सहायक निदेशक मत्स्य
मथुरा

एक कदम स्वच्छता की ओर

एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्रांकः 330/नि० लि० /न0नि0म0वृ0–मथुरा 2024–25 दिनांकः 07/05/2024

प्रेषक :–

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा।

विषयः– ईको सेन्सिटिव जोन पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भः 1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा का पत्रांक 5220/29–5 दिनांक 20.04.2024 (दिनांक 16.04.2024 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश) के क्रम में।
2. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0 आगरा का पत्रांक 1989/12–1 दिनांक 02.04.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि "सूर सरोवर पक्षी विहार" के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरुप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन के दृष्टिगत नगर निगम की योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव बिन्दुवार निम्नवत् है:–

(क) नगर निगम मथुरा–वृन्दावन का गठन 2017 में हुआ है जिसमें 71 गॉव भी सम्मिलित किये गये हैं चूंकि नगर निगम में सम्मिलित किये गये गांवों में मूलभत सुविधा यथा पेयजल, सीवर लाइन, जलनिकासी हेतु नाला एवं सड़कों का निर्माण आदि कार्यो को कराया जाना आवश्यक है। सड़क कार्य कराये जाने हेतु मिट्टी की आवश्यकता पडती है जिसके लिये ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भूमि से अनुमति पश्चात भू स्वामी द्वारा मिट्टी उपलब्ध करायी जाती है जिससे सड़क भराव करने के उपरान्त सड़क निर्माण कार्य कराया जाता है यदि सूर सरोवर की सीमा 1.00 किलोमीटर से 10 किलोमीटर परिधि में किया जायेगा तो नगर निगम सीमा में निर्माण कार्य कराये जाने में बाधा उत्पन्न होगी।

(ख) इस बिन्दु के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि यदि सूर सरोवर पक्षी बिहार के ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा को विस्तारित किया जाने से सॉलिड बेस्ट का प्लान्ट एवं सड़क निर्माण हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी से भराव का कार्य प्रभावित होगा तथा सॉलिड बेस्ट का प्लान्ट स्थापित न होने के कारण कूड़ा का निस्तारण नही हो पायेगा जो नगर निगम के लिये एक बड़ी समस्या होगी।

भवदीय

07.05.2024

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

274

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कायालय,
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), कृष्णानगर, मथुरा
Email: eexilupjnmtr@gmail.com, Mob. 9473942634

पत्रांक ५१८ / जल जीवन मिशन / 15 दिनांक 22.4.24

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

D.F.O MTT

जिलाधिकारी
मथुरा

24 APR 20

विषयः सूरसरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त Eco-Sensitive Zone पुनर्निधारण से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 16.04.2024 को जिलाधिकारी महोदय मथुरा की अध्यक्षता में आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण हेतु सम्भावित Eco-Sensitive Zone के 10 कि0मी0 Radius क्षेत्र में कुल 19 नग अवर जलाशयों (नगला चन्द्रभान, भदाया, सलेमपुर फरह, विशू, करनपुर, मिर्जापुर नगला, बरौदा मशरकपुर, गोकुलपुर, कोह, शहजादपुर पौरी, पींगरी, पौरी, मदौर, अकोश बांगर, नगला गुखरौली, नेरा बांगर, नगला अकोस बांगर, सेहत बांगर एवं मदौरा) एवं उक्त से सम्बन्धित 42 राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। Eco-Sensitive Zone घोषित होने पर माइनिंग गतिविधियों पर रोक के कारण उक्त निर्माण कार्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा।

उक्त के अतिरिक्त Eco-Sensitive Zone के 1 किमी0 Radius क्षेत्र में जनपद की पेयजल योजना के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/04/24

JRF

भवदीय

(दिनेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि :—
1. जिलाधिकारी महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

G:letter 2024-192

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी
मथुरा।

सेवा,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी
वन विभाग, मथुरा।

पत्रांक 252/पं0/सात/स्व0भा0मि0(ग्रा0)/2024–25 दिनांक 04-5-24

विषयः– **ईको सेन्सिटिव जोन पुनः निर्धारण से ग्राम योजनाओं की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय मथुरा के कार्यालय पत्रांक 5220/29–5 दिनांक 20.04.2024 एवं ग्राम समिति बैठक दिनांक-16.04.2024 को दिये गये निर्देशों के क्रम में तथा उप वन रक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी, उ0प्र0 आगरा का पत्रांक 1989/12–1 दिनांक 02.04.2024 के द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बनने एवं उनके परिणाम स्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन के दृष्टिगत पंचायत राज विभाग की योजना पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत बिन्दुवार है:–

1. सूरसरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से 45 ग्राम की योजानाओं पर प्रभाव पड़ेगा। जो निम्नवत् हैः–

क्र0 स0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम
1	बल्देव	घढी नहार, घडी बादाम, बरौली, कंजौली घाट, कंजौली घाट खादर, कनौरा बांगर, कनौरा खादर, मांदौर, सराई सालवाहन, सेहत बांगर, सेहत खादर, ततरौता बांगर, ततरौता खादर, जुगसना, नोहपाई बांगर, नोहपाई खादर, नेरा बांगर, नेरा खादर, नगला गुखरौली, गढी मंगली बरौली, लहरौली बांगर, लहरौली खादर, लाघढी
2	फरह	शहजादपुर गूजर, शहजादपुर पौरी, बबरौठ, बाकलपुर फरह, कोह, मुरशीदपुर खादर, मुरशीदपुर बांगर, मेघपुर, पिपरौठ मुरशीदपुर, भदाया, पींगपुर, पौंरी, रहीमपुर, रोसू, रैपुराजाट, सलेमपुर, चुरमुरा, फरह, जोधपुर, नगला मिर्जापुर, नगला हृदय नूरउल्लापुर, नगला चन्द्रभान

प्रभावित होने वाली योजनाए:–

1) पंचायत घर का निर्माण।
2) खेल कूद मैदान।
3) पंचायत लाइब्रेरी सेन्टर का निर्माण।
4) जल जीवन मिशन द्वारा हर घर नल जल योजना अन्तर्गत टंकी का निर्माण एवं पाइप लाइन खुदाई।
5) अमृत सरोवर योजना अन्तर्गत सरोवरों का कायाकल्प।
6) विद्यालय निर्माण।
7) सामुदायिक शौचालय निर्माण।
8) ग्राम पंचायतों के शीशी रोड़ का निर्माण।
9) ग्राम पंचायतों में नालियों का निर्माण।
10) आर0आर0सी0 एवं वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण।

यदि सुव्यवस्थीकरण का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो जनपद के उक्त 38 ग्रामों के विकास कार्यो के साथ–साथ उक्त ग्राम एक दूसरे के लिंक है का आवागमन एवं विकास कार्यो का संचालन बाधित होगा। जिससे ग्राम पंचायत में जल भराव, शिक्षा व्यवस्था,

D:\2024\may 2024\Anupalan akhya sursarovar letter_04052024.doc

आधारभूत संरचना प्रभावित होने की समस्या एवं शासन से प्राप्त योजनाओं का सम्पूर्ण क्रियान्वयन समुचित प्रकार से न हो पाने की प्रबल सम्भावना रहेगी जिस कारण ग्राम गरीबी मुक्त, उन्नत आजीविका गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर बुनियादी ढाचे वाले गांव ,सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव एवं महिला हितैषी गांव बनाये जाने का लक्ष्य उचित समय पर प्राप्त किया जाना दुष्कर होगा।

2. यदि सूरसरोवर पक्षी विहार का विस्तार कर 01 कि0मी0 से 10 कि0मी0 किया जायेगा तो उक्त परिधि में स्थापित 45 गांव में चल रहे/होने वाले विकास कार्यो पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका से भी इन्कार नही किया जा सकता हैं।

उक्तानुसार सूचना महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

04/5/24

(किरन चौधरी)
जिला पंचायत राज अधिकारी
मथुरा।

पत्रांक— यथोपरि/दिनांक

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जिलाधिकारी महोदय मथुरा की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय मथुरा की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उपनिदेशक (पंचायत) महोदय आगरा मण्डल आगरा।

जिला पंचायत राज अधिकारी
मथुरा।

D:\2024\may 2024\Anupalan akhya sursarovar letter_04052024.doc

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः— सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात समस्त विभागों की प्रभावित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में EIA (Environmental Impact Assessment)- 2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता की सूची तैयार करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— 1— शासकीय पत्र (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—4) संख्या—850/81—4—2024 दिनांक 05—06—2024
2— अनु सचिव, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 850(1)/81—4—2024 दिनांक 18—06—2024

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0 संख्या 529/2023 डा0 शरद गुप्ता बनाम भारत सरकार एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा परित आदेश दिनांक 30—04—2024 एवं अन्य आदेशों के क्रम में विषयगत प्रकरण में विचार विमर्श कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बापू भवन, छठा तल स्थित उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 21—05—2024 को सम्पन्न हुयी बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये—

1— क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा के माध्यम से सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा सुव्यवस्थीकरण के पश्चात् अन्य विभागों की प्रभावित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में EIA (Environmental Impact Assessment)- 2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता की सूची तैयार की ली जाए।

2— उपरोक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में समस्त विभागों की बैठक आयोजित किया जाना।

उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 20—06—2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समस्त विभागों के साथ बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा से सम्पर्क कर उनकी प्रभावित होने वाली योजनाओं के विस्तृत विवरण के साथ EIA (Environmental Impact Assessment)- 2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता के सम्बन्ध में सूची तैयार किये जाने हेतु समस्त विभागों को निर्देश दिये गये।

उक्त के सम्बन्ध में सूचनायें विभिन्न विभागों से प्राप्त की गयी। अतः विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनायें संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भानु चन्द्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी,
आगरा।

Scanned with Oken Scanner

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना गलियारा इकाई–मथुरा (फरीदाबाद)
प्लॉट सं० 8, टोल प्लाजा भवन के समीप, मथुरा रोड, फरीदाबाद–121003
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Corridor Management Unit -Mathura (At Faridabad)
Plot No.8, Near Sarai Toll Plaza Building, Mathura Road Faridabad - 121003

सत्यमेव जयते

फोन / Phone: 0129-3501177
वेबसाइट/Website: www.nhai.gov.in
ईमेल Email. ...@nhai.org
cmumathura@gmail.com

भा रा रा प्रा NHAI

NHAI/CMU/MTR/6-laning/2024/D- 75803

Dated: 05.07.2024

To,

Deputy Conservator of Forest
National Chambal sanctuary Project
Agra, Uttar Pradesh

Sub:- Six laning of Delhi - Agra Section of NH-2 from Km. 20.500 to Km. 200.000 in the State of Haryana and Uttar Pradesh on DBFOT basis under NHDP Phase-V - Reg. Impact on Project due to Reassessment of Eco sensitive Zone of Soor Saroovar Bird sanctuary.

Ref: (i) Your office letter no 2049/12-1 Dated 16.04.2024
(ii) This office letter no. NHAI/CMU/MTR/6-laning/2024/D-74887 dt. 26.04.2024
(iii)Your office letter no. 2436/12-1 dated 21.06.2024
(iv) IE letter no. LNMIPPL/PD/NHAI/Delhi-agra/2024/1506 dt. 05.07.2024

Sir,

Please refer to your letter under reference (iii) vide which requested for comments regarding subject matter.

2. In this regard, IE of the project highway has submitted the following:-

Project of six laning of Delhi-Agra section of NH-2 (NH-19) from km. 20.500 to km. 200.000 passes through Faridabad, Palwal, Mathura, Agra District. In case of spread of Eco sensitive zone over a 1 km radius and up to 10 km radius, environmental clearance as per EC notification no. S.O. 1533(E) dt. 14.09.2006 will not be required, since the project is currently under operation & maintenance stage.

Further, in case of any future developments, necessary clearance will be taken in accordance with the EIA (Environmental Impact Assessment) 2006 rules.

3. This is for your information please.

Thanking You,

General Manager (T) &,
Project Director
CMU - Mathura

Copy to: DM, Agra for information please.

Copy also to:
(i) TL, M/s L.N. Malviya Infra Projects Pvt Ltd, Faridabad - for information please.
(ii) Authorized Signatory, M/s DATR Pvt Ltd. for information please.

Scanned with Oken Scanner

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
(परियोजना कार्यान्वयन इकाई, आगरा/Project Implementation Unit, (PIU) Agra)
ऑफिस : ए-208, कमला नगर, आगरा - 282 005
Office : A-208, Kamla Nagar, Agra - 282 005
फोन/Phone : 0562 - 2580274 फैक्स/Fax : 0562 - 2580275
ईमेल/Email : agra@nhai.org वेबसाइट/Website : http://www.nhai.gov.in

दिनांकः 05/07/24

23091/02/आगरा बाईपास(उ0)/2024/1620

सेवा में,

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट
उत्तर प्रदेश, आगरा।

विषयः सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः 1. आपके कार्यालय का पत्रांक 2436/12-1 दिनांक, आगरा 21.06.2024 ।
2. इस कार्यालय का पत्र 23091/02/आगरा बाईपास(उ0)/2024/1504 दि0 21.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी-उ0प्र0-पश्चिमी, भा0रा0रा0प्रा0, लखनऊ से दिनांक 25.06.2024 को वार्ता एवं आपके संदर्भित पत्र के कम में निम्नवत् अवगत कराना है :-

1. सूर सरोवर पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्रफल 400 है0 के चारो ओर 01 किमी0 सीमा तक घोषित ईको सेन्सिटिव जोन में इस कार्यालय की कोई परियोजना प्रभावित नही है।
2. सूर सरोवर पक्षी विहार के 800 है0 क्षेत्रफल के चारो ओर 01 किमी0 सीमा तक ईको सेन्सिटिव जोन में इस कार्यालय की कोई परियोजना प्रभावित नही है।
3. सूर सरोवर पक्षी विहार के 800 है0 क्षेत्रफल के चारो ओर 10 किमी0 सीमा तक ईको सेन्सिटिव जोन में इस कार्यालय की 01 परियोजना "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-02 (किमी0 174.500, रैपुरा जाट) से आरम्भ होकर यमुना एक्सप्रेसवे (किमी0 141.000) को जोडने वाले आगरा बाईपास (उत्तरी) का छःलेनीकरण" प्रभावित है । जिसका लगभग 72 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है । जिसके संबंध में संबंधित वनविभाग/टी0टी0जैड0/MoEF&CC से अनुमति प्राप्त की गयी है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि, इसके अतिरिक्त अन्य कोई योजना इस कार्यालय के अधीन प्रस्तावित नही है ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(संजय वर्मा)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदय, आगरा - उपरोक्त के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रधान कार्यालय : प्लाट सं० जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075, दूरभाष : 91-11-25074100/200
Corporate Office : Plot No. G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075, Phone : 91-11-25074100/200

Scanned with Oken Scanner

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी, **280**
आगरा।

सेवा मे,

उप वन सरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0 आगरा।

दिनांक 05 जुलाई, 2024

पत्रॉक 1022 /पं0 जी0सी0/2024–25

विषयः– विकास खण्ड अछनेरा की 19 ग्राम पंचायतों में सूरसरोवर पंक्षी विहार कीठम के 10 कि0 मी0 की परिधि में संचालित विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय से प्राप्त पत्रसंख्या–1988/12–1 दिंनाक 02 जुलाई, 2024 जिलाधिकारी, महोदय आगरा के कार्यालय पत्रॉक 2477/12–1 दिंनाक 28 जून, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विकास खण्ड के अन्तर्गत सूरसरोवर पक्षी विहार की 10 कि0 मी0 की परिधि की संचालित होने वाले उधोग की सूचना चाही गयी है।

उक्त के परिपालन में सहायक विकास अधिकारी (पं0) अछनेरा द्वारा कार्यालय पत्रॉक 193/पं0/सूरसरोवर/2024–25 दिंनाक 04–07–2024 के द्वारा ग्राम पंचायत सींगना में जूता उधोग से सम्बन्धित अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की कम्पनी है, ग्राम पंचायत रूनकता में डालफिन वाटर पार्क एवं छोटी औद्यौगिक इकाई प्लास्टिक पाइप बनाने की औद्यौगिक फैक्ट्री है एवं मंगूर्रा में स्टोन कास्ट कम्पनी है अन्य ग्राम पंचायतों में कृषि कार्य प्रमुखता से किया जाता है। रूनकता में लगभग 300 दुकानें एवं रायभा में लगभग 250 दुकानों में विभिन्न प्रकार की वस्तुए क्रय–विक्रय होता है। तथा पंचायत राज विभाग द्वारा विकास खण्ड अछनेरा की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आर0आर0सी0 सेन्टर (रिसोर्स रिकवरी सेन्टर जहॉ पर सूखा एवं गीला कूड़ा का निस्तारण किया जाता है । 12 ग्राम पंचायतों में आर0आर0सी0 सेन्टर पूर्ण रूप एवं संचालित है, जिनमे कचड़े का उठान नियमित रूप से किया जा रहा है, शेष में निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष 2024 में प्रस्तावित है।

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में सूर सरोवर परिक्षेत्र 10 कि0मी0 अन्तर्गत पड़ने वाले विकास खण्ड अछनेरा में कुल 35 ग्राम पंचायतें अवस्थित है। पंचायती राज विभाग आपको यह भी अवगत कराना चाहता है कि ई0आइ0ए0 अधिसूचना 2006 एवं इसके उपरान्त यह संशोधनों से आच्छादित नहीं है। गाइड–लाइन्स फॉर डिक्लेरेशन फॉर इको सेन्सिटिव जोन अराउण्ड नेशनल पार्क एण्ड वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी 2011 में भी संचालित पंचायती राज विभाग, आगरा द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित कार्य अच्छादित नहीं है।

सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक– सहायक विकास अधिकारी (पं0) विकास खण्ड अछनेरा की आख्या।

भवदीय

(मनीष कुमार)
जिला पंचायत राज अधिकारी
आगरा।

प्रतिलिपिः– 1–जिलाधिकारी महोदय, आगरा की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
आगरा।

Scanned with Oken Scanner

प्रेषक,

सहायक विकास अधिकारी (पं0)
अछनेरा,आगरा

सेवा में

जिला पंचायत राज अधिकारी
आगरा

दिनॉक-04-07-2024

पत्रॉक: 193 /पं0/सूरसरोवर/2024-25

विषय- विकास खण्ड अछनेरा की 19 ग्राम पंचायतों में सूरसरोवर पंक्षी विहार कीठम के 10 कि0मी0 परिधि में संचालित विभिन्न व्यवसायिक गतिविधयों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय आगरा के कार्यालय पत्रॉक 2477/12-1 दिनॉक 28 जून 2024 के परिपालन में विभिन्न विभागों द्वारा सूरसरोवर पंक्षी विहार कीठम के 10 कि0मी0 परिधि में संचालित होने वाले विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है,उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत सीगना में जूता उद्योग से सम्बन्धि अन्तराष्ट्रीय स्तर की कम्पनी है और ग्राम पंचायत रूनकता में डालफिन वाटर पार्क एवं छोटी औधोगिक इकाई प्लास्टिक पाइप बनाने की औधौगिक फैक्टी है एवं मंगूर्रा में स्टोन काप्ट कम्पनी है अन्य ग्राम पंचायतों में कृषि कार्य प्रमुखता से किया जाता है। और रायभा रूनकता ग्राम पंचायतों में बाजारी करण जिसमें लगभग रूनकता में 300 दुकाने एवं रायभा में 250 दुकाने है जो विभिन्न प्रकार की बस्तुऐ बेची जाती है

क0स0	ग्राम पंचायत का नाम	अभियुक्ति
1	रूनकता	डोलफिन बाटर पार्क,फैक्टी एंव अन्य औधोगिक इकाई स्थापित है
2	सीगना	जूता उद्योग अन्तराष्ट्रीय स्तर की कम्पनी, इत्यादि
3	अरसैना	कृषि कार्य
4	पनवारी	कृषि कार्य
5	लोहकरैरा	कृषि कार्य
6	खडवाई	कृषि कार्य
7	कुकथला	नर्सरी उद्योग एंव अन्य कृषि कार्य
8	नागर	कृषि कार्य
9	सहाई	लोहे से सम्बन्धि उद्योग एंव अन्य कृषि कार्य
10	सहता	गत्ता उद्योग एवं अन्य कृषि कार्य
11	कीठम	कीठम झील पर्यटन स्थल एवं अन्य कृषि कार्य
12	मंगूर्रा	स्टोन काप्ट कम्पनी है एवं अन्य कृषि कार्य
13	रैपुरा अहीर	कृषि कार्य
14	रायभा	मट्टी के गमले मटके एवं अन्य कृषि कार्य
15	जनूथा	कृषि कार्य
16	बबरौद	कृषि कार्य
17	अंगनपुरा	कृषि कार्य
18	क्योरा	कृषि कार्य
19	मई	कृषि कार्य

सहायक विकास अधिकारी (पं0)
अछनेरा,आगरा

Scanned with Oken Scanner

विकास खण्ड अछनेरा में आर0आर0सी0 सेन्टर की सूची वर्ष 2022-23,2023-24 प्रगति रिपोर्ट

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2022-23	पूर्ण/अपूर्ण	कचडे का उठान हो रहा है/नहीं अभ्युक्ति
1	अछनेरा	रायभा	वर्ष 2022-23	पूर्ण	नही
2	अछनेरा	गोपऊ	वर्ष 2022-23	पूर्ण	नही
3	अछनेरा	अरदाया	वर्ष 2022-23	पूर्ण	नही
4	अछनेरा	कनोरा	वर्ष 2022-23	पूर्ण	नही
5	अछनेरा	सोंधन	वर्ष 2022-23	पूर्ण	नही
6	अछनेरा	पनवारी	वर्ष 2022-23	पूर्ण	नही
7	अछनेरा	अदूस	वर्ष 2022-23	अपूर्ण	नीव स्तर तक
8	अछनेरा	अर्रूआ खास	वर्ष 2023-24	पूर्ण	नही
9	अछनेरा	नगला अर्रूआ	वर्ष 2023-24	पूर्ण	नही
10	अछनेरा	गढीचन्द्रमन	वर्ष 2023-24	पूर्ण	नही
11	अछनेरा	गागरौल जाट	वर्ष 2023-24	पूर्ण	नही
12	अछनेरा	जनूथा	वर्ष 2023-24	पूर्ण	नही
13	अछनेरा	छःपोखर	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	टीन शैड स्तर तक
14	अछनेरा	पुरामना	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	सुपर स्टेचर बन गया
15	अछनेरा	सहाई	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	टीन शैड स्तर तक
16	अछनेरा	सकतपुर	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	पटाव स्तर पर
17	अछनेरा	अरसैना	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	टीन शैड स्तर तक
18	अछनेरा	सीगना	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	टीन शैड स्तर तक
19	अछनेरा	लोहकरैरा	वर्ष 2023-24	पूर्ण	नही
20	अछनेरा	हसेला	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	अतिक्रमण तहसील से टीन आनी है
21	अछनेरा	रैपुरा अहीर	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	नीव स्तर तक
22	अछनेरा	कुकथला	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	टीन शैड स्तर तक
23	अछनेरा	गई	वर्ष 2023-24	—	लेखपाल ने लिखित में भूमि उपलब्ध नहीं करायी
24	अछनेरा	गंगूर्रा	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	प्लर स्थर तक
25	अछनेरा	गोवरा	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	टीन शैड स्तर तक
26	अछनेरा	महुअर	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	प्लन्थ से उपर
27	अछनेरा	कठवारी	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	नीव स्तर तक
28	अछनेरा	व्यारा	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	पानी भराव
29	अछनेरा	नागर	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	नीव स्तर तक
30	अछनेरा	खडवाई	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	नीव स्तर तक
31	अछनेरा	मुरैण्डा	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	बाउन्डीवाल स्तर तक
32	अछनेरा	कीठम	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	लेखपाल ने लिखित में भूमि उपलब्ध नहीं करायी
33	अछनेरा	अगैंदापुरा	वर्ष 2023-24	—	जगह अभी चयनित हुई है
34	अछनेरा	अकबरा	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	नीव स्तर तक
35	अछनेरा	गागरौल गूजर	वर्ष 2023-24	कार्य संचालित है	प्लन्थ स्तर तक

खण्ड विकास अधिकारी अछनेरा (प0)
अछनेरा,आगरा

Scanned with Oken Scanner

283

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय :– वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल),
निर्माण खण्ड–पंचम, प्रशासनिक भवन,
ई.पी.आई.पी. शास्त्रीपुरम्, सिकन्दरा,
आगरा–282007 (उ0प्र0)
जीएसटी नं0:– 09AAALU1000G1ZF
ईमेल–cccd5upsidcagra@gmail.com
वेबसाइट:– www.onlineupsida.com

उप. वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा।

संदर्भ संख्या 205 /यूपीसीडा/व0प्र0(सिव0)/सीडी–5/आगरा दिनांक 05/07/2024

विषयः– सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 2436 दिनांक 21.06.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूर सरोवर जो आगरा मथुरा रोड पर स्थित है कि परिधि के अन्तर्गत 10 कि0मी0 की दूरी में यूपीसीडा के द्वारा स्थापित किये जा रहे लेदर पार्क आगरा की सीमा आती है। यदि नये नियम बनाये जाते है तो प्राधिकरण को दोबारा Environment clearance लेना पड़ेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
Abhishek
वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)

संदर्भ संख्या............................/यूपीसीडा/व0प्र0(सि0)/सीडी–5/आगरा दिनांक....../...../2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रबन्धक (सि0), निर्माण खण्ड–पंचम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)

Scanned with Oken Scanner

उत्तर प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

कार्यालय–अधिशासी अभियन्ता
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा - 282001
PROVINCIAL DIVISION, P.W.D. AGRA-282001
email- pwd123pd@gmail.com
pwdhelpline@gmail.com

पत्रांक 2643/1 सी०   दिनांक 04/07/2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ०प्र०, आगरा।

विषयः– सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा सुव्यवस्थीकरण(1किमी0 से 10 किमी0 परिधि में) के पश्चात् प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा की प्रभावित होने वाली योजनाओं/मार्गों के **EIA (Environmental Impact Assessment)-2006** अधिनियम के अन्तर्गत **Environmental Clearance** की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 2389/12–1 दिनांक 13.06.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा (1किमी0 से 10 किमी0 परिधि में) सुव्यवस्थीकरण के पश्चात विभाग की प्रभावित होने वाली योजनाओं/मार्गों के EIA-2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता की जानकारी चाही गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभाग के निम्नलिखित मार्ग/योजनायें प्रभावित होंगी–

क्रम सं0	मार्ग का नाम	श्रेणी	लम्बाई (कि0मी0)	अभ्युक्ति
1	नगला रादले मथुरा सीमा से एन0एच0–2 होते हुए एन0एच0–11 तक मार्ग	अ0जि0मा0	21.000	
2	आगरा चिचपुरी अछनेरा मार्ग	अ0जि0मा0	16.000	
3	अछनेरा कुण्डावाई मार्ग	अ0जि0मा0	9.600	
4	किरावली रूनकता मार्ग	अ0जि0मा0	11.108	
5	अछनेरा फरह मार्ग	अ0जि0मा0	9.025	
6	अछनेरा कीठम सीगना मार्ग	अ0जि0मा0	15.000	
7	किरावली रायभा मार्ग पर रायभा से मांगरोल गूजर मार्ग	अ0जि0मा0	21.683	
8	अछनेरा फरह मार्ग के कि0मी0–12 बबरोंद से हसेला राजस्थान सीमा वाया साधन मढ़ीमा मार्ग	अ0जि0मा0	14.250	
9	रूनकता रेलवे पोषक मार्ग	ग्रा0मा0	1.000	
10	कीठम रेलवे पोषक मार्ग	ग्रा0मा0	0.820	
11	सुरकुटी मार्ग	ग्रा0मा0	0.800	
12	श्रम श्री आश्रम से जुगसैना का शेष भाग	ग्रा0मा0	0.850	
13	कीठम कचौरा मार्ग से जनूथा का शेष भाग	ग्रा0मा0	1.000	
14	रूनकता किरावली से गुरेन्डा मार्ग	ग्रा0मा0	1.000	
15	कचौरा से बरतई मार्ग	ग्रा0मा0	1.500	
16	रायभा मंगूरा से जनूथा मार्ग	ग्रा0मा0	1.200	
17	मांगरोल में कुंवर सिंह के नलकूप से नगला रादले मार्ग	ग्रा0मा0	2.700	
18	कठ्वारी से जनूथा मार्ग	ग्रा0मा0	3.300	
19	अछनेरा फरह से छह पोखर मार्ग	ग्रा0मा0	2.000	

Scanned with Oken Scanner

285 कार्यालय–अधिशासी अभियन्ता
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा– 282001
PROVINCIAL DIVISION, P.W.D. AGRA-282001
email- pwd123pd@gmail.com
pwdhelpline@gmail.com

उत्तर प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

पत्रांक .... दिनांक ....

20	जूनियर हाईस्कूल पनवारी से जऊपुरा मार्ग	ग्रा0मा0	2.650	
21	भिलावटी से कठवारी तक मार्ग	ग्रा0मा0	1.600	
22	मांगरौल गूजर से रूनकता मार्ग	ग्रा0मा0	1.000	
23	राधन से खेड़ा मथुरा मार्ग	ग्रा0मा0	1.500	
24	पाली सदर से अछनेरा वाया जखा मार्ग	ग्रा0मा0	3.100	
25	अछनेरा कीठम से करौंटी मार्ग	ग्रा0मा0	0.650	
26	अछनेरा कीठम से नानऊ मार्ग	ग्रा0मा0	0.550	
27	कुकथला से रहता सम्पर्क मार्ग	ग्रा0मा0	2.600	
28	गुरेण्डा मार्ग से नगला गुरली मार्ग	ग्रा0मा0	0.750	
29	अछनेरा झुण्डावाई मार्ग के किमी0–8 से गढीमा होते हुए नगला हरीराम मार्ग	ग्रा0मा0	2.000	
30	पनवारी से नहर पटरी होते हुए रूनकता मार्ग			
31	किरावली रूनकता मार्ग से भिलावटी मार्ग	ग्रा0मा0	2.800	
32	कठवारी से मगुर्रा मार्ग	ग्रा0मा0	1.500	
33	नगला सदले से नगला अर्जुन मार्ग	ग्रा0मा0	1.500	
34	मांगरौल गूजर से नगला सपेरा मार्ग	ग्रा0मा0	0.500	
35	नगला सदले से मांगरौल गूजर मार्ग	ग्रा0मा0	0.500	
36	एन0एच0–2 से रेणुका धाम मार्ग	ग्रा0मा0	2.500	
37	कुकथला से कठवारी मार्ग	ग्रा0मा0	1.000	
38	किरावली रूनकता मार्ग से अरसैना मार्ग	ग्रा0मा0	2.000	
39	पनवारी से लोह करेरा मार्ग	ग्रा0मा0	6.000	
40	पनवारी से जऊपुरा मार्ग	ग्रा0मा0	1.700	
41	भिलावटी से गुरेण्डा मार्ग	ग्रा0मा0	1.200	
		ग्रा0मा0	1.300	

युक्तियुक्तीकरण के पश्चात आवादी क्षेत्र में लो0नि0वि0 की लगभग 170–180 किमी0 लम्बाई की सड़कें ESZ में आने के कारण इन मार्गों पर नियमित होने वाले अनुरक्षण कार्य बाधित होंगे जिस कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में असुविधा होगी व भविष्य में मार्गों के नव निर्माण, विशेष मरम्मत कार्य कराया जाना भी सम्भव नहीं हो सकेगा तथा यातायात सुगम बनाने हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना भी सम्भव नहीं हो सकेगा। उपरोक्त सूची के क्र0सं0 11 पर अंकित मार्ग पर पी0सी0 के साथ नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है जो कि अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। उपरोक्त समस्त कार्यों के लिये Environmental Clearance की आवश्यकता होगी।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(आर0एस0 वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियन्ता, प्रा0म0, लो0नि0वि0, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा

Scanned with Oken Scanner

प्रेषक,
उप निदेशक उद्यान,
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,
क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

पत्रांक :-अ0लि0 /उद्यान/सींगना/2024-25/दिनांक : आगरा : 05 जुलाई, 2024

विषयः- सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात समस्त विभागों की प्रभावित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में EIA (Environmental Impact Assessment)-2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता के सम्बन्ध में सूची तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक 2477/12-1/दिनांक 28.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 20.06.2024 जिलाधिकारी महोदय आगरा की अध्यक्षता में समस्त विभागों की बैठक आयोजित की गयी जिसमें सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात समस्त विभागों की प्रभावित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा से सम्पर्क कर EIA (Environmental Impact Assessment)-2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता के सम्बन्ध में सूची तैयार करने के सम्बन्ध में है।

उल्लेखनीय है कि राजकीय उद्यान प्रक्षेत्र, आगरा पर 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है। प्रक्षेत्र में आलू विकास संवर्धन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र की रीजनल शाखा स्थापित किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जायेगा।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-156/58-2024-1729928 दिनांक 26.01.2024 (संलग्नक-1) के द्वारा राजकीय प्रक्षेत्र सींगना, जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र पेरू का साउथ एशिया रीजनल सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु सींगना में स्थित उद्यान विभाग के नाम दर्ज खाता संख्या-00272 में उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल 138.50 हेक्टेयर में से चिन्हित 10 हेक्टेयर भूमि जो 99 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, को लीज (पट्टे) पर निःशुल्क दी गयी है तथा राजकीय प्रक्षेत्र सींगना, आगरा पर अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र पेरू का साउथ एशिया रीजनल सेन्टर हेतु सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा से आने जाने हेतु प्रयोग किये जाने वाले रास्ते के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-157/58-2024-1729928 उद्यान अनुभाग लखनऊ दिनांक 26.01.2024 (संलग्नक-2) के द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्रदान की गयी।

तदक्रम में कार्यालय उप निदेशक उद्यान, आगरा के पत्रांक अ0 लि0 1928-32 /उद्यान/ सींगना /2023-24/दिनांकः आगराः 30.01.2024 के द्वारा दिनांक 30.01.2024 को राजकीय प्रक्षेत्र सींगना, जनपद आगरा की चिन्हित 10 हेक्टेयर भूमि राष्टीय बागवानी बोर्ड को तहसीलदार, किरावली, आगरा के माध्यम से राजस्व अभिलेखों/खतौनी में दर्ज करा दी गयी है।

क्रमशः 2

Scanned with Oken Scanner

अतः सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में राजकीय उद्यान प्रक्षेत्र, सींगना जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र पेरू का साउथ एशिया रीजनल सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु EIA (Environmental Impact Assessment)-2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance के लिए सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(धर्म पाल यादव)
उप निदेशक उद्यान,
आगरा मण्डल, आगरा।

पृष्ठांकन सं0- 853-57 /दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त महोदया, आगरा मण्डल, आगरा।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
3. निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
4. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल, सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा

04/07/2024

उप निदेशक उद्यान,
आगरा मण्डल, आगरा।

Scanned with Oken Scanner

Subject: Re: soor_sarovar_ESZ_Boundary_EC

From: LALL, ASHWANI J.(,) <lallashwani@indianoil.in> on Thu, 04 Jul 2024 15:13:23

To: dfochambal <dfochambal@rediffmail.com>

Cc: "Singh, Swati" <SinghS56@indianoil.in>, SHARMA, NITESH (¿�¶ ¶®) <sharmanitesh@INDIANOIL.IN>, Dr. RAY MANOJ KUMAR (¡�. � ®�� ��®) <raymk@INDIANOIL.IN>, SEN, BHASKAR (,�, ,&#8205�) <SENB@INDIANOIL.IN>, GOPINATH, K. (�°. ��.) <GOPINATHK@INDIANOIL.IN>, HAZARIKA, BHASKAR ('�¿�. ,�) <b_hazarika@INDIANOIL.IN>

Dear Ma'am,

As of now , there is no planning of any new project coming up at Keetham area of Mathura Refinery.

Regards,
Ashwani J Lall

From: dfochambal@rediffmail.com <dfochambal@rediffmail.com> on behalf of dfochambal <dfochambal@rediffmail.com>
Sent: Wednesday, July 3, 2024 11:31:28 AM
To: LALL, ASHWANI J.(लाल, अश्वनी) <lallashwani@indianoil.in>
Subject: Fw: soor_sarovar_ESZ_boundary_EC

CAUTION: External email. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

PLEASE FIND THE ATTACHMENT...

DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS,
NATIONAL CHAMBAL SANCTUARY PROJECT,
UP, AGRA

From: "dfochambal"<dfochambal@rediffmail.com>
Sent: Sat, 29 Jun 2024 13:11:48
To: "mathurarefinery"<mathurarefinery@indianoil.in>
Subject: soor_sarovar_ESZ_boundary_EC

PLEASE FIND THE ATTACHMENT...

DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS,
NATIONAL CHAMBAL SANCTUARY PROJECT,
UP, AGRA

अस्वीकरण
यह संदेश इंडियनऑयल मैसेजिंग गेटवे, भारत से भेजा गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक संदेश में निहित जानकारी और इसके साथ कोई भी संलग्नक केवल प्रेषित व्यक्ति (यों) के लिए ही है और इसमें स्वामित्व, गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी हो सकती है। यदि आप वांछित प्राप्तकर्ता नहीं हैं तो आपको इस ई-मेल को प्रसारित, वितरित या कॉपी नहीं करना चाहिए। कृपया इसकी सूचना तुरंत प्रेषक को दें और इस संदेश की सभी प्रतियां और सभी संलग्नक नष्ट कर दें।
राजभाषा हिन्दी में हम आपके पत्रों का स्वागत करते है।

Disclaimer
This Message was sent from IndianOil Messaging Gateway, India. The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of

Scanned with Oken Scanner

गेल गैस लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम) (एक महारत्न कम्पनी – गेल (इंडिया) लिमिटेड की पूर्णतः स्वामित्व अनुषंगी कम्पनी)

GAIL Gas Limited

(A Govt. of India Undertaking) (A Wholly owned subsidiary of GAIL (India) Limited - A Maharatna Company)

स्थानीय कार्यालय
जी–10/8, तीसरी मंजिल, पदमदीप टावर,
संजय प्लेस, आगरा–282 002
उत्तर प्रदेश

SITE OFFICE :
G-10/8, 3RD FLOOR, PADAMDEEP TOWER
SANJAY PLACE, AGRA - 282 002
UTTAR PRADESH
फोन : PHONE : +91-562-2520285, 2527570

सन्दर्भ : गेल गैस लि./आगरा/ओ. एण्ड एम./2024/22014

दिनांक : 02.07.2024

सेवा में,

आरुषी मिश्रा,
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सेंक्चुरी प्रोजेक्ट,
आगरा, उत्तर प्रदेश।

विषय : सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया अपने पत्रांक : 2436/12-1 दिनांक 21.06.2024 और हमारे पत्र गेल गैस लि./आगरा/ओ. एण्ड एम./2024/22009 दिनांक : 27.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा जो जानकारी माँगी गई है वह इस पत्र के साथ संलग्न है। जिसमें दर्शाया गया है कि कीठम झील के 10 कि.मी. के दायरे में गेल गैस लिमिटेड, आगरा की पाइपलाइन का विवरण निम्नलिखितानुसार है -

1. स्टील पाइपलाइन : लगभग 14 कि.मी. में बिछी है जिसे नीली रेखा से दर्शाया गया है।
2. प्लास्टिक (MDPE) पाइपलाइन : लगभग 5 कि.मी. में बिछी है जिसे पीली रेखा से दर्शाया गया है।

गेल गैस लिमिटेड की गैस पाइपलाइन के नेटवर्क की यथास्थिति बनी रहेगी, उसका संचालन व रखरखाव (Operation & Maintenance) किया जायेगा। क्योंकि गेल गैस द्वारा उस क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट भविष्य में प्रायोजित नहीं होगा, इसलिए अभी EIA (Environmental Impact Assessment)-2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता गेल गैस लिमिटेड को नहीं है।

आवश्यकता होने पर गेल गैस के 24 घंटे आपातकालीन नियन्त्रण कक्ष में निम्नलिखित नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है। 9927811227, 9927811226, 0562 - 2520285, 2854522

धन्यवाद,

भवदीय

गौरव जैन,
उप महाप्रबन्धक,
गेल गैस लिमिटेड, आगरा

Scanned with Oken Scanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 22 /29-1 आगरा दिनांक 02 जुलाई, 2024

सेवा में

जिलाधिकारी,
आगरा।

विषय सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात समस्त विभागों की प्रभावित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में EIA (Environmental Impact Assessment) - 2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता की सूची तैयार करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ आपका पत्रांक– 2477 / 12–1 दिनांक 28.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सूर सरोवर की पक्षी विहार की सीमा की परिधि मे EIA (Environmental Impact Assessment) - 2006 अधिनियम के अन्तर्गत वन विभाग की ऐसी कोई परियोजना संचालित / प्रस्तावित नहीं है, जोकि पर्यावरण को प्रभावित करती हो।

भवदीय,

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्र संख्या 22 /29–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद आगरा।

पत्रांक 391 /खनिज सहायक/2024–25 दिनांक 01/07/2024

विषयः– सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थितकरण के पश्चात खनन विभाग की प्रभावित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में EIA (Environmental Impact Assessment)- 2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearace की आवश्यकता की सूची तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक 2477/12–1 दिनांक 28.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात समस्त विभागों की प्रभावित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड, आगरा से सम्पर्क कर EIA (Environmental Impact Assessment)- 2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearace की आवश्यकता की सूची तैयार कराने का निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढने एवं उसके परिणामस्वरूप Eco Senstive Zone के विस्तार में परिवर्तन होने से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जनपद आगरा के तहसील सदर के ग्राम बाईपुर अहतमाली में संचालित सा0 बालू के खनन पट्टा एवं ग्राम स्वामी अहतमाली में प्रस्तावित सा0बालू के खनन पट्टा बन्द हो जायेगी ,जिससे सरकार को करोडो रूपये की राजस्व क्षति होगी । खनन विभाग की प्रभावित होने वाली खनन क्षेत्रों का विवरण निम्नवत् हैः–

क0सं0	जनपद	उपखनिज का नाम व नदी	क्षेत्र का विवरण. तह0/ग्राम/गाटा संख्या/क्षे0	भू–निर्देशांक		
1.	आगरा	सा0बालू/ यमुना नदी	सदर/बाईपुर अहतमाली /32/6.07है0	A	N- 27°17'32.82"	E-77°57'16.27"
				B	N- 27°17'35.16"	E-77°57'26.80"
				C	N- 27°17'28.54"	E-77°57'26.21"
				D	N- 27°17'26.30"	E-77°57'15.78"
2.	आगरा	सा0बालू/ यमुना नदी	सदर/स्वामी अहतमाली /1,2/6.07है0	A	N- 27°15'49.00"	E-77°55'46.00"
				B	N- 27°15'51.00"	E-77°55'51.00"
				C	N- 27°15'40.00"	E-77°55'57.00"
				D	N- 27°15'38.00"	E-77°55'51.00"

Scanned with Oken Scanner

उपरोक्त खनन क्षेत्रों में खनन कार्य किये जाने से पूर्व EIA (Environmental Impact Assessment)- 2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearace प्राप्त करना आवश्यक होता है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

खान निरीक्षक
आगरा।

पत्र एवं समदिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट आगरा, को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

01.07.2024

खान निरीक्षक
आगरा।

Scanned with Oken Scanner

कार्यालयः उप परियोजना प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड
सेतु निर्माण इकाई,
निकट भावना टावर,
रेल उपरिगामी सेतु—502,
गुरू का ताल—हरी पर्वत मार्ग,
आगरा (उ0प्र0) 282007
Email-upsbc.bcu1agra@gmail.com
GSTIN NO-09AAACU3256KSZA

(राज्य सरकार का उपक्रम)

पत्रांक- 698 /५१वीआ०/एसबीसी/आगरा/2024—25 दिनांक- 29.6.2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
चम्बल अभ्यारण्य
आगरा।

महोदय,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आगरा द्वारा दिनांक 20.06.2024 को दूरभाष पर जनपद आगरा में उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन/प्रस्तावित नदी/रेल उपरिगामी सेतुओं की सूर सरोवर (कीठम झील) रूनकता, आगरा से एरियल दूरी की वांछित आख्या उसी दिन प्रेषित कर दी गयी थी। पुनः दिनांक 24.06.2024 को क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के कार्यालय में हुई बैठक में दिये गये निर्देशानुसार वांछित आख्या निम्नानुसार हैः—

क्र0 सं0	कार्य का नाम	एरियल दूरी (किमी0)	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	लम्बाई (मी0)	चौड़ाई (मी0)
1	**सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी PA. 403.09 हे0 से 1.00 किमी0 ESZ के अन्तर्गत आने वाले सेतुओं का विवरण**					
	आख्या शून्य					
2	**799.063 हे0 के 1.00 किमी0 ESZ के अन्तर्गत आने वाले सेतुओं का विवरण**					
	आख्या शून्य					
3	**799.063 हे0 के 10.00 किमी0 ESZ के अन्तर्गत आने वाले सेतुओं का विवरण**					
1	जनपद आगरा में एन0एच0—2 पर हीरालाल प्याऊ से पनवारी मार्ग पर रेल सम्पार सं0—507 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु।	4.64	01/2022	01/2025	757.62	7.50
2	जनपद आगरा में एन0एच0—2 से एन0एच0—3 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर रेल सम्पार सं0—11सी/2टी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु।	9.23	02/2019	12/2024	1745.69	7.50
3	जनपद आगरा में रूनकता—बल्देव मार्ग के मध्य रेणुका धाम के निकट यमुना नदी पर सेतु।	1.99	02/2021	06/2025	425.60	8.50

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सेतु EIA Notification-2006 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है।

29/6/2024
(आर0वी0 दिवाकर)
उप परियोजना प्रबन्धक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, आगरा।
- महा प्रबन्धक (आगरा), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, आगरा।
- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

उप परियोजना प्रबन्धक

Scanned with Oken Scanner

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि०
UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LTD.
(Formerly Known as Lucknow Metro Rail Corporation Ltd.)
(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम)
(A JOINT VENTURE OF GOVT. OF INDIA & GOVT. OF U.P.)

यू०पी०ऍम०आर०सी०एल०/पी.डी/आगरा/2024/ 549 दिनांक:- 28/05/2024

प्रेषक,

मुख्य परियोजना प्रबंधक-1
यू०पी०ऍम०आर०सी०एल०
आगरा

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
आगरा, उ०प्र० ।

विषय:- सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल में विस्तारण उपरान्त इको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में सम्भावित परिवर्तन के संदर्भ में।

संदर्भ:- 1- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट का पत्रांक 2006/ 12-1; दिनांक:- 09-04-2024
2- आपका पत्रांक संख्या 231 / डीएलआरसी, दिनांक :- 23/04/2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रांक 2006/ 12-1; दिनांक:- 09-04-2024, जिसके माध्यम से यू०पी०ऍम०आर०सी०एल०, आगरा मेट्रो को, सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल (380.55 हे०) में 14.50 हे० अतिरिक्त क्षेत्रफल सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप इको सेन्सिटिव ज़ोन में सम्भावित विस्तार से आगरा मेट्रो परियोजना पर इसके प्रभाव सम्बन्ध में अभिमत प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था।

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में यू०पी०ऍम०आर०सी०एल०, आगरा मेट्रो, आपको यह अवगत कराना चाहता है कि मेट्रो परियोजना EIA अधिसूचना 2006 एवं इसके उपरान्त किये गये संसोधनो में अक्षादित नहीं है। गाइडलाइन्स फॉर डिक्लेरेशन फॉर इको सेन्सिटिव ज़ोन अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्डलाइफ सेन्चुरी 2011 में भी मेट्रो परियोजना अक्षादित नहीं है।

उपरोक्त संदर्भित पत्रांक {1,2} में दो बिन्दुओ पर सूचना यू०पी०ऍम०आर०सी०एल०, आगरा मेट्रो से आपेक्षित; जो कि बिन्दुवत निम्नलिखित है

(क) आपको अवगत कराना है कि यदि सूर सरोवर पक्षी विहार का क्षेत्रफल 403.09 हे० से बढाकर 799.063 हे० करने तथा इको सेन्सिटिव ज़ोन के विस्तारण की सीमा 01 कि०मी० करने से आगरा मेट्रो परियोजना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख) सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा के क्षेत्रफल बढ़ने के परिणामस्वरूप इको सेन्सिटिव ज़ोन के विस्तारण की सीमा 10 कि०मी० किये जाने से आगरा मेट्रो परियोजना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

इस विषय पर आपका सादर सहयोग एवं समर्थन सराहना योग्य है।

भवदीय

(मुख्य परियोजना प्रबंधक-01)
यू०पी०ऍम०आर०सी०एल०
आगरा

प्रतिलिपि:- 1. क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०) क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. परियोजना निदेशक यू०पी०ऍम०आर०सी०एल० आगरा, को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

Scanned with Oken Scanner

IS15700:2018

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-01

295

(पूर्व निर्माण खण्ड-28, आगरा)

सेक्टर-13, आफिस काम्प्लैक्स, द्वितीय तल,

पं० दीनदयाल उपाध्यायपुरम, सिकन्दरा योजना, आगरा

E-Mail I.D. - ed28agr@upavp.com

eeavpcdagra1@gmail.com

पत्र सं० 1482 /यू.पी.एच.डी.बी./नि०ख०आगरा-01/ 45KD /73 दिनांक 28/6 /2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक

राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,

(हिन्दी इंस्टीट्यूट के समीप)

उ0प्र0, आगरा।

Email : dfochambal@gmail.com
dfochambal@rediffmail.com

विषय :- सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-2049/12-1 दिनांक 16/04/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :-

1. सूर सरोवर पक्षी विहार की ईको सेन्सिटिव जोन की वर्तमान स्थिति :- जिसका अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे0 एवं चारो ओर समरूप 01 कि0मी0 सीमा तक ईको सेन्सिटिव जोन घोषित है, इससे आवास एवं विकास परिषद, आगरा की कोई योजना/परियोजना प्रभावित नहीं है।
2. मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में यदि शासन द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार का नोटिफिकेशन 799.063 हे0 करने की दशा में इसके क्षेत्रफल में विस्तार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन में भी परिवर्तन आयेगा।

(अ) यदि प्रस्तावित क्षेत्रफल 799.063 हे0 के चारो ओर समरूप 01 कि0मी0 की सीमा तक ईको सेन्सिटिव जोन सीमित होगा, उस स्थिति में परिषद की योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

(ब) यदि प्रस्तावित क्षेत्रफल 799.063 हे0 के चारो ओर समरूप 01 से 10 कि0मी0 की सीमा तक ईको सेन्सिटिव जोन सीमित होगा, उस स्थिति में

- परिषद की अरतौनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-05, आगरा (जिसकी धारा-28 दिनांक 07/09/2002 एवं धारा-32 दिनांक 29/09/2012 को प्रकाशित हुई थी) जिसके अन्तर्गत ग्राम पनवारी, जऊपुरा, लखनपुर एवं अरतौनी गाँव की जमीने अधिग्रहित की गयी है, जिसका भू-उपयोग महायोजना अनुसार आवासीय है, जो पूर्ण रूप से प्रभावित होगी।
- परिषद की पं0 दीनदयाल उपाध्यायपुरम, सिकन्दरा योजना, आगरा (जिसकी धारा-28 दिनांक 04/04/1970 एवं धारा-32 दिनांक 28/06/1980 को प्रकाशित हुई थी), जिसका भू-उपयोग महायोजना अनुसार आवासीय है, जो आंशिक रूप से प्रभावित होगी।

Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification (New Delhi, the 10th October, 2019) के अनुसार परिषद योजनाये Regulated Activities के अन्तर्गत आती है एवं Environmental Clearance में Townships and Area Development projects Category B1 के अन्तर्गत आती है।

उक्त योजनाओं को आपके द्वारा प्रेषित प्लान में अंकित कर दिया गया है। अतः अवगत कराना है कि उपरोक्तानुसार ESZ के दायरे को 10 कि0मी0 तक बढ़ायें जाने पर परिषद की दो योजना अरतौनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-05, आगरा एवं पं0 दीनदयाल उपाध्यायपुरम, सिकन्दरा योजना, आगरा जिससे कि अनावश्यक रूप से सामान्य जनमानस को परेशानी व आगरा शहर के सुनियोजित विकास में बाधा उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तावित क्षेत्रफल 799.063 हे0 के चारो ओर ESZ के दायरे को 10 कि0मी0 तक न बढ़ाया जाये, मात्र 1 कि0मी0 तक सीमित रखा जाये।

भवदीय,

(नवजोत सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

AE o/c

पत्रांक 1482 / 45KD /73 / दिनांक 28/6 /2024

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. उप आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-13, सिकन्दरा योजना, आगरा।
4. श्री अंकित गुप्ता-सहायक अभियन्ता/श्री बृजकिशोर सिंह-अवर अभियन्ता/श्री वीरेन्द कुमार सिंह-मानचित्रक, निर्माण खण्ड आगरा-01, आगरा को उनके द्वारा उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी आख्या/सूचना के क्रम में।

AE o/c

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with Oken Scanner

Google Maps Favorite places

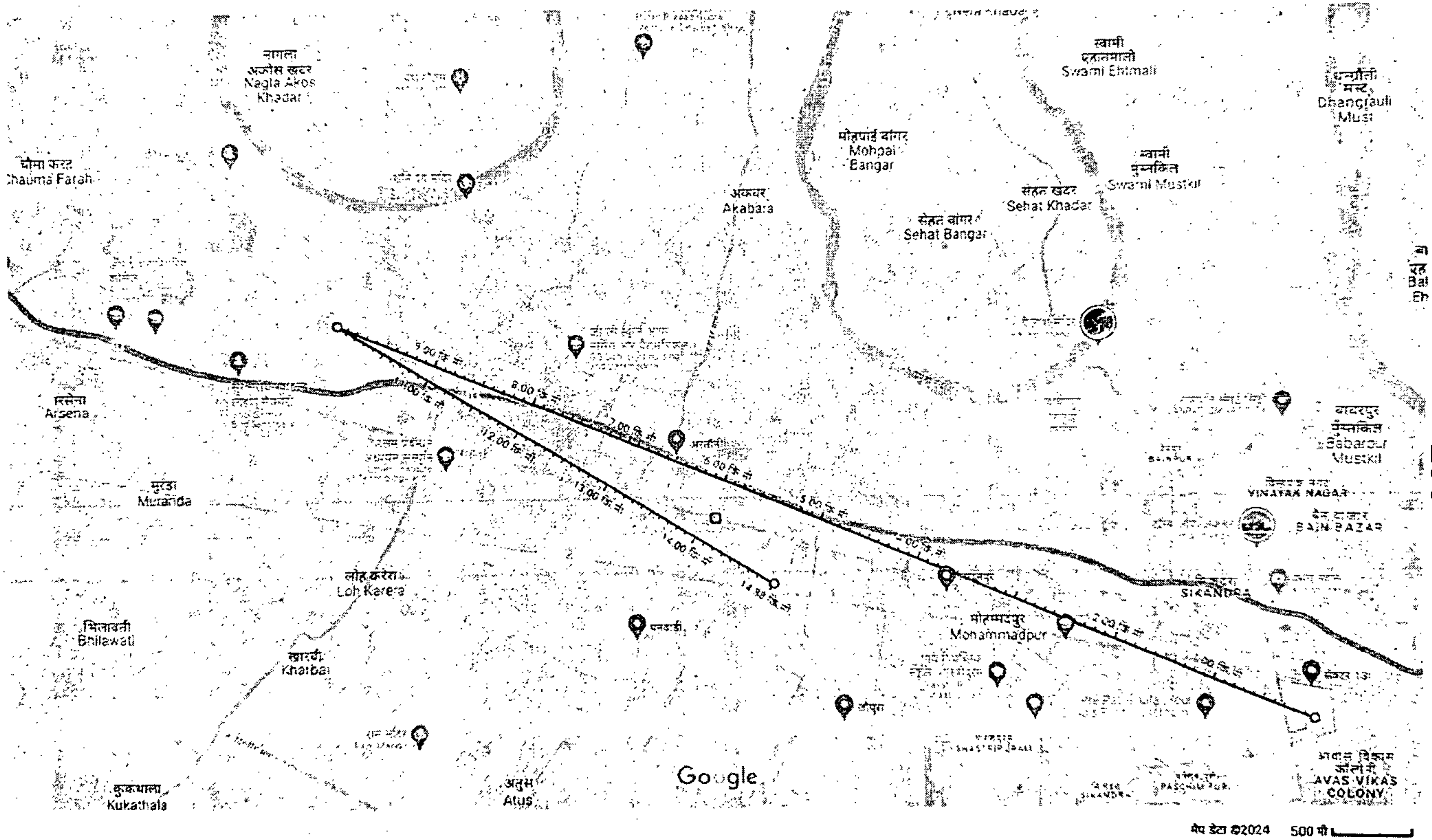

SGI
Agra • Mathura • G. Noida

297 Sharda Group of Institutions
"SGI Tower", 500 Mtrs. from Bhagwan Talkies towards, Agra-Mathura Highway (NH-2), Agra - 282 002
Phone . 0562-2522442, 2526758, Fax 0562-2850274
E-mail : shardain01@rediffmail.com, Website www.sgei.org

Ref – ESZ/SG/REP/01/2024

June 27, 2024

To,
The Divisional Forest Officer,
Chambal Sanctuary Project,
Soor Sarovar Brid Sanctuary, Keetham, Agra

Sub : Representation by SHARDA GROUP (SHARDA UNIVERSITY AGRA & SHARDA WORLD SCHOOL) on determination of area for the Eco Sensitive Zone around Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra.

Respected M'am,

SHARDA GROUP, since its inception in 1996, has brought Agra & Mathura on the global canvas for excellence in Higher Education with an alumni base of 90000+ and employment potential of 5000+. Carrying the legacy forward, on NH-19, the group has established, SHARDA WORLD SCHOOL and SHARDA UNIVERSITY AGRA, established vide Uttar Pradesh Private University Act, 2019 On 14TH March, 2024, by the Govt of Uttar Pradesh in line with the vision of the Govt. of India and Govt. of Uttar Pradesh to establish the best in class Universities to act as catalyst in transforming the human capital with knowledge, skill, exposure and employment.

We have got to know from various newspapers and sources that in compliance to the directions of the Hon'ble Supreme Court, issued on 23 Sept, 2022, the department of MoEF and Depart of Forest, Govt. of Uttar Pradesh, are in process of re-drafting the policy and demarcating the area for the determination of the Eco Sensitive Zone around Soor Sarovar Bird, which was earlier declared 1 Km around the Soor Sarovar Bird Sanctuary vide MoEF's, Gazette Notification dated 10th Oct, 2019. - **Copy enclosed as Annexure-1**

On behalf of SHARDA GROUP, having its above two campuses, based adjoining to the Soor Sarovar Bird Sanctuary wish to present our representation for consideration on the following points, for the determination of Eco Sensitive Zone around Soor Sarovar Bird Sanctuary:

Contd...

Scanned with Oken Scanner

1 Educational institutions as per MoEF's Gazette Notification dated 10th Oct, 2019 are placed under the non prohibited category and further the OFFICE MEMORANDUM issued by the MoEF dated 19th May, 2022, having "Subject- Clarification on the applicability of EIA Notification 2006 for Educational Institutions" at point no. 2. Cleary mentions "Industrial shed, School, College, Hostel for educational institutions are exempted from requirement of Environmental Clearance (EC) - **Copy enclosed as Annexure-2**

Therefore, we request that educational institutions are non-polluting and non-commercial entities, operated under charitable Trust, therefore, the educational institutions be placed under the "Promoted Category Schedule" in the Eco Sensitive Zone.

2 Extent of the Eco-Sensitive Zone (ESZ) – Going by the geographic positioning of the Soor Sarovar Bird Sanctuary, we see that on the southern boundary of the sanctuary there exist private agricultural lands, villages, National Highway -2, Railway lines, Hospital etc. On the eastern boundary of the sanctuary there exist a densely populated village Runkata which is also notified for development by Agra Development Authority, hence, it is open for expansion of civilization. On the western boundary of the sanctuary we see village Nagla Bhopla, Village Singna etc. On northern boundary of the sanctuary river Yamuna has its wide spread stretch. Therefore, looking to its geographic positioning and wide spread civilization around, a blanket declaration of Eco Sensitive Zone of uniform area around the sanctuary would massively affect the entire area and civilization. There are various survey reports submitted before the Hon'ble NGT mentioning the scope of coverage under Eco Sensitive Zone which will include many Govt establishments, industries public amenities, Highways, Hospital, Railways, civilian societies, As per the survey report submitted by the committee appointed by the NGT in year 2019, a huge population shall be impacted with the determination of Eco Sensitive Zone around the Sanctuary, as sanctuary is surrounded by densely populated civilization shall continue to expand with growing requirement for employment and shelter.

Therefore, instead of uniformly demarcating the Eco Sensitive Zone of either 1Km or 10 Km around the sanctuary and a "PRAGMATIC" view be referring some of the Eco Sensitive Zone declared in India, referred below, wherein the varying limits of the ESZ have been fixed, which may be considered in the present case too.

Contd...

Scanned with Oken Scanner

1 Educational institutions as per MoEFS, Gazette Notification dated 10" Oct, 2019 are placed under the non prohibited category and further the OFFICE MEMORANDUM issued by the MoEF dated 19' May. 2022, having "Subject- Clarification on the applicability of EIA Notification 2006 for Educational Institutions" at point no 2. Cleary mentions "Industrial shed, School. College, Hostel for educational institutions are exempted from requirement of Environmental Clearance (EC) - **Copy enclosed as Annexure-2**

Therefore, we request that educational institutions are non-polluting and non-commercial entities, operated under charitable Trust, therefore, the educational institutions be placed under the "Promoted Category Schedule" in the Eco Sensitive Zone.

2 Extent of the Eco-Sensitive Zone (ESZ) – Going by the geographic positioning of the Soor Sarovar Bird Sanctuary, we see that on the southern boundary of the sanctuary there exist private agricultural lands, villages, National Highway -2, Railway lines, Hospital etc. On the eastern boundary of the sanctuary there exist a densely populated village Runkata which is also notified for development by Agra Development Authority, hence, it is open for expansion of civilization. On the western boundary of the sanctuary we see village Nagla Bhopla, Village Singna etc. On northern boundary of the sanctuary river Yamuna has its wide spread stretch. Therefore, looking to its geographic positioning and wide spread civilization around, a blanket declaration of Eco Sensitive Zone of uniform area around the sanctuary would massively affect the entire area and civilization. There are various survey reports submitted before the Hon'ble NGT mentioning the scope of coverage under Eco Sensitive Zone which will include many Govt. establishments, industries public amenities, Highways. Hospital, Railways, civilian societies, As per the survey report submitted by the committee appointed by the NGT in year 2019, a huge population shall be impacted with the determination of Eco Sensitive Zone around the Sanctuary, as sanctuary is surrounded by densely populated civilization shall continue to expand with growing requirement for employment and shelter.

Therefore, instead of uniformly demarcating the Eco Sensitive Zone of either 1Km or 10 Km around the sanctuary and a "PRAGMATIC" view be referring some of the Eco Sensitive Zone declared in India, referred below, wherein the varying limits of the ESZ have been fixed, which may be considered in the present case too:

Contd...

Scanned with Oken Scanner

a. Eco Sensitive Zone around Barda WLS, Gujrat – Vide Minutes of 25th Meeting of the Expert Committee on Eco – Sensitive Zones (ESZ) held on 11th Apri, 2017. (Page no. 3, Extent of ESZ- 0 Km to 17.9 Km) to in the Ministry of Environment Forest & Climate Change, New Delhi · **Copy enclosed as Annexure-3**

b. Eco Sensitive Zone around Porbander Wildlife Sanctuary, Gujrat– Vide Minutes of 25th Meeting of the Expert Committee on Eco – Sensitive Zones (ESZ) held on 11th Apri, 2017, in the Ministry of Environment Forest & Climate Change, New Delhi. · **Copy enclosed as Annexure-3**

c. The Gazette of India, MoEF, published on May, 5th, 2016. - **Copy enclosed as Annexure-4**

3. We submit that a rational approach be adopted for the declaration of ESZ as it would very likely going to have long term effect over industrial development, housing development, construction, business, economy, schools and colleges, hospitals and medical facilities and civilization in this area. The industrial development and economic development at Agra after declaration of Taz Trapizium Zone has already has been badly affected the industry leading to massive un-employability in this area.

4. As per the present geographical and demographical scenario around Soor Sarovar Bird Sanctuary, we intend to submit our recommendations for the declaration of Eco Sensitive Zone of Soor Sarovar Bird Sanctuary, District Agra, an Eco Sensitive Zone of 0 (Zero) meters width along the boundary of Soor Sarovar Bird Sanctuary its boundary on South, East and West.

5. There are reference notification by MoEF. forming basis for our representation, which may kindly be considered:

The representation made above may kindly be consider in the winder interest of the citizens of Agra.

Thanking you with regards.

Gaurav Sonbhadra (Mob 9917200998)

For Sharda Group, Agra

Copy to:

1. The Secretary, MoEF, Govt of India – for kind information.
2. The Addl. Chief Secretary, Forest & Environment, Govt. of Uttar Pradesh – for kind information.
3. The Head of the Forest, Govt. of Uttar Pradesh – for kind information
4. The Principal Chief Conservator of Forest, Govt. of Uttar Pradesh – for necessary directions
5. The Chief Wild Life Warden, Wild Life, Govt of Uttar Pradesh – for necessary action

Scanned with Oken Scanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (EIA 2006) [illegible]

[illegible] (EIA 2006) [illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned with Oken Scanner

ई-मेल / CT

कार्यालय : उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, आगरा

पत्रांक 181 /जि०उ०एवंउ०प्रो०कें०(आ०)/पर्यावरण/2023–24 दिनांक: 10-4-24

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट
आगरा

विषय :–सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुर्ननिर्धारण से नगर योजनाओं पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

कृपया कार्यालय के पत्रांक 2006/12–1 दिनांक 09.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें सरोवर पक्षी विहार कें सम्बन्ध में विभागीय योजनाओं पर पडने वाले प्रभाव का आलेख मांगा गया था।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निधारण से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक विकास एवं स्वरोजगार हेतु योजनायें (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम , मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना) के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द
आगरा

Scanned with Oken Scanner

304 पत्रांक-........./कैलाश मंदिर-पश्चिमाई/2024

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
64 ताज रोड आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट
माल रोड, आगरा।

दिनांक- जून २१ ,2024

विषय- सूर सरोवर के इकोसेन्सिटिव जोन के निर्धारण के दृष्टिगत पर्यटन विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही परियोजनाओं की सूची का प्रेषण।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-1988 दिनांक 2.4.2024 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसमें द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशो के कम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढाने एवं उसके परिणामस्वरूप इको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने से विभागीय परियोजना पर पडने वाले प्रभाव के विषय में आख्या चाही गई थी। उक्त संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक-2133 दिनांक-9 अप्रैल 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि सूर सरोवर की बाउण्ड्रीवाल से पूर्व निर्धारित 1 किमी की परिधि को ही सेन्सिटिव जोन बनाये रखने पर विचार किया जाय जिससे पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके। प्रश्नगत विषय के सम्बन्ध में दिनांक 20.6.2024 जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध मे भी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं।

उक्त निर्देशो के क्रम में अवगत कराना है कि पर्यटन विभाग द्वारा निम्नांकित धार्मिक/पर्यटक स्थल पर कार्य कराया जा रहा है :-

क्रमांक	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	कम्पोनेन्ट्स	स्वीकृत धनराशि	भौतिक प्रगति
01	श्री कैलाश मंदिर आगरा का पर्यटन विकास	उ0प्र0प्रोजेक्ट कारपो0	घाट, प्रवेश द्वार	411.12 लाख	45 प्रतिशत
02	पश्चिमाई मंदिर का पर्यटन विकास	उ0प्र0प्रोजेक्ट कारपो0	घाट, प्रसाधन,यात्री हाल, प्रवेश गेट, सोलर लाईट	220.33 लाख	42 प्रतिशत

भवदीया

(दीप्ति वत्स)
क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल
आगरा

Scanned with Oken Scanner

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0

उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम
कार्यालय : परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–4, आगरा।
म0न0–98, बजरंग नगर, सिकन्दरा, आगरा–282007
GSTIN. : 09AAACU3393F1Z8
PAN. : AAACU3393F

पत्र संख्या : 417 /पी.सी.एल./पी.एम./आगरा/ पर्यटन दिनांक : 06-07-2024

सेवा में,

डी0एफ0ओ0 (चम्बल सफारी)
जनपद आगरा।

विषय: परियोजना प्रारम्भ से पूर्व पर्यावरण मंजूरी के सम्वन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रेषित List of project activities requiring prior environmental clearance के सम्वन्ध में विन्दु संख्या–8 के भवन निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत इस विभाग की निम्न परियोजनाऐं है, जोकि पर्यटन विभाग द्वारा पोषित है :–

1. जनपद आगरा में कैलाश मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य जिसमें निम्न प्राविधान है

(a) 49 मी0 लम्बाई रिटेनिंग वाल सहित घाट का निर्माण कार्य (490 वर्ग मी0)।

(b) NH-2 से कैलाश मन्दिर रोड़ पर प्रवेश द्वार का निमार्ण कार्य (01 नग)।

2. जनपद आगरा के वि0ख0 अछनेरा के ग्राम मांगरौल गूजर में यमुना किनारे स्थित प्रशिचमाई मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।

(a) घाट का निर्माण कार्य (155 वर्ग मी0)

(b) प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य (01 नग)।

(c) यात्री शेड का निर्माण कार्य (240 वर्ग मी0)।

(d) टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण कार्य (180 वर्ग मी0)।

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

06.7.2024
परियोजना प्रबन्धक
निर्माण इकाई–4, आगरा।

पत्र संख्या : /पी.सी.एल./पी.एम./आगरा/ दिनांक : ....

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा/अलीगढ़ मण्डल आगरा।
2. महाप्रबन्धक (जोन–4), यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, आगरा।

परियोजना प्रबन्धक
निर्माण इकाई–4, आगरा।

पंजीकृत कार्यालय : वायां तट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ–226 010
दूरभाष : 0522–2308945, 2308946, 2308947, 2308978, 2308911, 2308242 (फैक्स)
email : uppcl.ho@gmail.com, Website : www.upprojects.org

Scanned with Oken Scanner

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

ऊर्जा भवन, 220 केवी... [illegible] सिकन्दरा, आगरा (उ0प्र0)

फोन [illegible] फैक्स - [illegible] Email ID- dvvnlmd@gmail.com

CIN No: U31200UP2003SGC027460

प0सं0 1065 / मु0अ0 / द0वि0वि0नि0लि0 दिनांक 26.04.2024

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चंबल प्रोजेक्ट,
आगरा (उ0प्र0)

विषयः— सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक स्वकार्यालयी पत्रांक 2077 / 12—1 दिनांक 22.04.2024 के संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से सूर सरोवर पक्षी विहार में सेंक्चुरी के क्षेत्रफल बढ़ने के फलस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने के दृष्टिगत विकास की परियोजनाओ पर इनके प्रभाव के संबंध में अभिमत प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त की बिन्दुवत आख्या निम्नवत है।

(क) मा0 न्यायालयों के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणामस्वरूप ईको सेन्सिटिव जोन के विस्तार में परिवर्तन होने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूर सरोवर पक्षी विहार एवं निकटवर्ती क्षेत्र में आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु एच टी लाइनें, एल टी लाइनें व परिवर्तक पूर्व से स्थापित हैं, जिनके रखरखाव व सुदृढ़ीकरण का कार्य विभाग द्वारा समय—समय पर कराया जाता है। यदि इन लाइनों / परिवर्तकों के विस्थापन का कार्य आप द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तो तकनीकी संभाव्यता के अनुसार पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा यह कार्य कराया जा सकता है।

(ख) सूर सरोवर पक्षी विहार के जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभागीय विकास की परियोजनाओं में सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण शून्य से 10 कि0मी0 के बीच रखे जाने के सम्बन्ध में विभाग का अभिमत है कि सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण शून्य से एक किलोमीटर रखा जाय जिससे विस्तारित क्षेत्र में कम विद्युत लाइने आच्छादित होंगी। यद्यपि यह एक नीतिगत निर्णय है जिसमें विद्युत विभाग का कोई प्रस्ताव देना उचित नहीं है।

(सिद्धार्थ मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता (तकनीकी)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा को मृदु संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (तकनीकि), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।

(सिद्धार्थ मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता (तकनीकी)

प्रेषक,

नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0,
आगरा।

संख्या– 3201/डी/मु0न0नि0/2024 दिनांक– 06/07/2024

विषय–सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्रांक–2049/12–1 दिनांक 16 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में बिन्दु सं0–(क) व (ख) के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि–

(क) सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 10.10.2019 द्वारा के अनुसार वर्तमान में आगरा विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत 403 हे0 के 01 किमी0 की परिधि में कुल क्षेत्रफल 360.17 हे0 ईको–सेंसटिव जोन से प्रभावित है। मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि0) सं0–13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत दिनांक 23.09.2022 को पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) का संशोधित क्षेत्रफल 799.063 हे0 के 01 किमी0 की परिधि में कुल क्षेत्रफल 1050.67 हे0 ईको–सेंसटिव जोन से प्रभावित होगा; जिसके फलस्वरूप ग्राम–रूनकता, लोहकरेरा व खड़वई प्रभावित होगें। मौजा–रूनकता व खड़वई के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा 01 विन्यास मानचित्र, 02 स्कूल एवं 37 एकल आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी सूची संलग्न है। उक्त सभी मानचित्र ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 से आच्छादित नहीं हैं।

(ख) सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) का संशोधित क्षेत्रफल 799.063 हे0 घोषित होने के उपरान्त 10 किमी0 की परिधि में क्षेत्रफल 13920.20 हे0 ईको–सेंसटिव जोन से प्रभावित होगा, जिसके फलस्वरूप आगरा विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत 37 ग्राम प्रभावित होगें, जिनमें पूर्व से ही काफी योजनाएं तथा मानचित्र स्वीकृत हैं। आगरा विकास प्राधिकरण की शास्त्रीपुरम् आवासीय योजना भी प्रभावित होगी (सूची संलग्न)।

कृपया उक्त पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

नगर नियोजक

संलग्नक–यथोक्त।

प्रतिलिपि :–
1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर नियोजक

Scanned with Oken Scanner

ले–आउट

क्रमांक	फाईल नं0	विकासकर्ता / कॉलोनी का नाम	खसरा सं0
1	1136/BFH/10/10-11	आस्था सिटी सुनील कुमार अग्रवाल बी–164 कमला नगर आगरा	188, 1915 से 1573, 1921, 1925ए, 1927बी, 1929ए 1930, 1937 से 1941, 1952, 1956, 1957बी, 1958, 1959, 1960बी, 1962, 1964, 1965, 1984/3, 1984/4, 1984/5, 1984/6 ग्राम रूनकता तथा ग्राम सं0–1795, 1833 से 1812 तक मौजा अकबरा आगरा।
स्कूल			
2	20190410130733230 20180712143449793	स्कूल सिस्टर मेरी सेसलियन पुत्र श्री टीजन्स सेण्ट मेरी एजूकेशनल सोसाइटी नि0–रामघाट रोड अलीगढ़	प्रस्तावना–ख0सं0–71 व 72 मौजा पत्थर्ड रूनकता आगरा
3	169/BFH/05/12-13	जी0पी0 एजूकेशनल ट्रस्ट स्कूल पथावली श्री डी0सी0गोपाल नि0–98ए ओल्ड विजय नगर कॉलोनी आगरा	ख0सं0–1854, 1856, 1857, 1858, 1859 रूनकता आगरा
INDIVIDUALS			
4	832/BFH/3/88-89	सन रे कामिकल इण्डस्ट्रीज	ख0सं0–913,914,915 रूनकता
5	482/BFL/7/08-09	सतीश चंद	337 रूनकता सिकंदरा आगरा
6	481/BFL/7/08-09	सुधीर कुमार	340 रूनकता आगरा
7	1707/BFH/2/09-10	श्री मुकेश कुमार गुप्ता	ख0सं0–1809 ग्राम रूनकता
8	420/BFT/9/85-86	अजय किशोर	ख0सं0–918–919 मौजा रूनकता गुरु का ताल
9	593/BFH/1/92-93	अवधेश कुमार गुप्ता	वृज इण्डस्ट्रीयल एरिया 1974 रूनकता
10	807/BFL/9/07-08	श्रीमती रानी गोयल	ख0सं0–289 रूनकता आगरा
11	1351/BFH/12/10-11	सुमन अग्रवाल	ख0सं0–202पी रूनकता आगरा
12	676/BFH/3/89-90	श्री अजय किशोर	918,919–रूनकता
13	20190325112053543	रामनाथ	रूनकता आगरा
14	1404/BFL/1/05-06	श्री राजेन्द्र बंसल	350 –मौजा रूनकता
15	214/BFH/05/13-14	सुनील अग्रवाल	आस्था सिटी रूनकता आगरा
16	903/BFL/11/05-06	श्री अचल अग्रवाल	खसरा सं0– 319 व 323 मौजा– रूनकता, आगरा।
17	185/BFL/6/94-95	ए0के0गोयल (महाप्रबन्धक)	ख0सं0–907 रूनकता आगरा
18	ADA/BP/20 21/0808	SHRI RAM KISHOR SINGH S/O SHRI TOTA RAM	C-581 ASTHA CITY RUNKATA AKBARA AGRA
19	ADA/BP/21-22/0504	SMT. LAXMI DEVI	C-280 ASTHA CITY MAUZA RUNKATA AGRA
20	ADA/BP/22-23/1557	PIYUSH DWIVEDI	PLOT NO.C-224 ASTHA CITY MAUZA RUNKATA AGRA
21	ADA/BP/23-24/0184	Smt Aruna	Plot no- C-254, At Astha city ,Mauza-Runkata/Akbar
22	ADA/BP/23 24/0943	Mr. Shashikant Singh	Plot No C 556 Ashta City
23	519/BFH/7/13-14	श्री राकेश कुमार	सी–215 आस्था सिटी
24	471/BFH/7/13-14	श्री रोहित अग्रवाल	बी–34 आस्था सिटी
25	156/BFH/4/12-13	श्रीमती कृष्णा	सी–631 आस्था सिटी
26	1197/BFH/1/12-13	श्रीमती कृष्णा सारस्वत	सी–631 आस्था सिटी
27	1196/BFH/1/12-13	श्री रोहित अग्रवाल	बी–67 बी–70 आस्था सिटी

Scanned with Oken Scanner

28	1490/BFH/1/12-13	श्री रोहित अग्रवाल	सी-73 सी 78 आस्था सिटी
29	1609/BFH/1/12-13	श्री रोहित अग्रवाल	सी 89 व सी 93 आस्था सिटी
30	1074/BFH/10/12-13	श्री रोहित अग्रवाल	सी-सी 22,25 व 33 आस्था सिटी
31	1131/BFH/12/11-12	रोहित अग्रवाल	सी-110, सी-112, सी-114 आस्था सिटी
32	1132/BFH/12/11-12	रोहित अग्रवाल	सी-768 आस्था सिटी
33	1081/BFH/11/11-12	रोहित अग्रवाल	सी-117 आस्था सिटी
34	1686/BFH/3/11-12	रोहित अग्रवाल	सी-78 आस्था सिटी
35	1684/BFH/3/11-12	श्री रोहित अग्रवाल	सी-67 आस्था सिटी आगरा
36	1133/BFH/12/11-12	रोहित अग्रवाल	सी-109, सी-111, सी-113, सी-115 आस्था सिटी
37	1079/BFH/11/11-12	रोहित अग्रवाल	सी-119, सी-121, सी-123 आस्था सिटी
38	1080/BFH/11/11-12	रोहित अग्रवाल	सी-118, सी-120, सी-124, सी-122 आस्था सिटी
39	472/BFH/7/13-14	श्री रोहित अग्रवाल	सी-33 आस्था सिटी आगरा
40	1460/BFH/1/11-12	रोहित अग्रवाल	14,15,16,17 आस्था सिटी

Scanned with Oken Scanner

ईको–सेन्सेटिव जोन (कीठम झील) से 10कि०मी० की परिधि में आने वाले ग्रामों की लिस्ट

1. मांगरोल गूजर
2. रूनकता
3. अकबरा
4. लोहकरेरा
5. अण्डवाई
6. अरतौनी
7. पनुवारी
8. अटूस
9. जाऊपुरा
10. लखनपुर
11. सदरवन
12. अगूंठी
13. नानपुर
14. मिढ़ाकुर (पार्ट)
15. सहारा (पार्ट)
16. लडामदा (पार्ट)
17. चौहटना
18. सुनारी
19. मौहम्मदपुर
20. मघटई
21. विचपुरी (पार्ट)
22. कलवारी (पार्ट)
23. दहतोरा
24. बोंदला (पार्ट)
25. पथौली (पार्ट)
26. गैलाना मुस्तकिल (पार्ट)
27. सिकन्दरा
28. ककरैठा मुस्तकिल (पार्ट)
29. बाबरपुर
30. याईपुर मुस्तकिल
31. स्वामी मुस्तकिल
32. वाईपुर अहतमाली
33. धिगरौली मुस्तकिल
34. धिगरौली अहतमाली
35. वावरपुर अहममाली (पार्ट)
36. ककरैठा अहतमाली (पार्ट)
37. सिकन्दपुर अहतमाली (पार्ट)

Scanned with Oken Scanner

Email:roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 346 /02-649/2024 दिनांक–8/07/2024

सेवा में,

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), आगरा

विषयः–मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं एटीएस सेन्टर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा के पत्रांक सं0–एडी–1102/टी.आर./एटीस/एटीडीसी सेन्टर/2024 दिनांक 04.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से सूरसरोवर से 01 कि0मी0 की परिधि में मै0 शार्प एन इण्डिया (एटीएस सेन्टर), खसरा नं0–26 मि0. ग्राम–अररोना, तहसील किरावली, आगरा तथा सूरसरोवर से 01 कि0मी0 से अधिक व 10 कि0मी0 की परिधि में (1) मै0 वरदान ड्राइविंग एण्ड ऑटोमोबाइल्स ट्रेनिंग सेन्टर (चालन प्रशिक्षण केन्द्र), खसरा नं0–657, अरतौनी, आगराए (2) मै0 डी–पैक एटीएस सेन्टर प्रा0लि0 (चालन प्रशिक्षण केन्द्र), सेंट थामस स्कूल के सामने, सुनारी तहसील–सदर, आगरा एवं (3) मै0 विष्णु ट्रेडर्स (चालन प्रशिक्षण केन्द्र), ग्राम–गुर्जर मांगरौल, तहसील–किरावली, आगरा में स्थापित/संचालित इकाईयो के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन–2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराये जाने की सूचना चाही गयी है।

उपरोक्त के कम में अवगत कराना है कि उक्त वर्णित 04 इकाईयों की प्रकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा S.O. 1533(E) दिनांक 14.09.2006 द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने वाले उद्योगों एवं परियोजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है। कृपया उक्त सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

08/7/24

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंचुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

8/7/24

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

Email

प्रेषक,

नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0,
आगरा।

संख्या–3221 /डी/मु0न0नि0/2024 दिनांक– 12/07/2024

विषय– सूर सरोवर पक्षी विहार के सुव्यवस्थीकरण के उपरान्त ईको सेन्सिटिव जोन के पुनर्निर्धारण से नगर योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वंकीय पत्रांक–2049/12–1 दिनांक 16 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में बिन्दु सं0–(क) व (ख) के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि–

(क) सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 10.10.2019 द्वारा के अनुसार वर्तमान में आगरा विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत 403 हे0 के 01 किमी0 की परिधि में कुल क्षेत्रफल 360.17 हे0 ईको–सेंसटिव जोन से प्रभावित है। मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि0) सं0–13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत दिनांक 23.09.2022 को पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) का संशोधित क्षेत्रफल 799.063 हे0 के 01 किमी0 की परिधि में कुल क्षेत्रफल 1050.67 हे0 ईको–सेंसिटिव जोन से प्रभावित होगा, जिसके फलस्वरूप ग्राम–रूनकता, लोहकरेरा व खड़वई प्रभावित होगें। मौजा–रूनकता व खड़वई के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा 01 विन्यास मानचित्र, 02 स्कूल एवं 37 एकल आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी सूची संलग्न है। उक्त सभी मानचित्र ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 से आच्छादित नहीं हैं। यह भी अवगत कराना है कि आगरा विकास क्षेत्र की प्रभावित होने वाली 1050.67 हेक्टे0 में से 465 हेक्टे0 भूमि आगरा महायोजना में शहरीकरण हेतु प्रस्तावित है, जिसमें भविष्य में प्राप्त होने वाली योजना में ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 से प्रभावित होना सम्भावित है।

(ख) सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (कीठम) का संशोधित क्षेत्रफल 799.063 हे0 घोषित होने के उपरान्त 10 किमी0 की परिधि में क्षेत्रफल 13920.20 हे0 ईको–सेंसटिव जोन से प्रभावित होगा, जिसके फलस्वरूप आगरा विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत 37 ग्राम प्रभावित होगें (सूची संलग्न), जिनमें पूर्व से ही काफी योजनाएँ तथा मानचित्र स्वीकृत हैं। आगरा विकास प्राधिकरण की शास्त्रीपुरम् आवासीय योजना भी प्रभावित होगी। यह भी अवगत कराना है कि आगरा विकास क्षेत्र की प्रभावित होने वाली 13920.20 हेक्टे0 में से 7469 हेक्टे0 भूमि आगरा महायोजना में शहरीकरण हेतु प्रस्तावित है, जिसमें भविष्य में प्राप्त होने वाली योजना में ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 से प्रभावित होना सम्भावित है।

कृपया उक्त पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

नगर नियोजक

संलग्नक–यथोक्त।

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर नियोजक

क्रमांक	फाइल नं0	विकासकर्ता / कॉलोनी का नाम	खसरा सं0
		ले–आउट	
1	1136/BFH/10/10-11	आस्था सिटी सुनील कुमार अग्रवाल बी–154 कमला नगर आगरा	188, 1915 से 1573, 1924, 1925पी, 1927पी, 1929पी, 1930, 1937 से 1948, 1952, 1956, 1957पी, 1958, 1959, 1960पी, 1962, 1964, 1965, 1984/3, 1984/4, 1984/5, 1984/6 मौ0 रूनकता तथा खसरा सं0–1795, 1883 से 1812 तक मौ0 अकबरा आगरा।
		स्कूल	
2	20190410130733230 20180712143449793	स्कूल सिस्टर मैरी रोसलियन पुत्र श्री टीजेन्स सैण्ट मैरी एजूकेशनल सोसाइटी नि0–रामघाट रोड अलीगढ़	प्रस्तावना–ख0सं0–71 व 72 मौजा खड़वाई रूनकता आगरा
3	169/BFH/05/12-13	जी0पी0 एजूकेश्नल ट्रस्ट स्कूल पत्रावली श्री डी0सी0गोपाल नि0–98ए ओल्ड विजय नगर कॉलोनी आगरा	ख0सं0–1854, 1856, 1857, 1858, 1859 रूनकता आगरा
		INDIVIDUALS	
4	832/BFH/3/88-89	सन रे कैमिकल इण्डस्ट्रीज़	ख0सं0–913,914,915 रूनकता
5	482/BFL/7/08-09	सतीश चंद	337 रूनकता किरावली आगरा
6	481/BFL/7/08-09	सुधीर कुमार	340 रूनकता आगरा
7	1707/BFH/2/09-10	श्री मुकेश कुमार गुप्ता	ख0सं0–1809 ग्राम रूनकता
8	420/BFT/9/85-86	अजय किशोर	ख0सं0–918–919 मौजा रूनकता गुरू का ताल
9	593/BFH/1/92-93	अवधेश कुमार गुप्ता	वृज इण्डस्ट्रीयल एरिया 1974 रूनकता
10	807/BFL/9/07-08	श्रीमती रानी गोयल	ख0सं0–289 रूनकता आगरा
11	1351/BFH/12/10-11	सुमन अग्रवाल	ख0सं0–202पी रूनकता आगरा
12	676/BFH/3/89-90	श्री अजय किशोर	918,919–रूनकता
13	20190325112053543	रामनाथ	रूनकता आगरा
14	1404/BFL/1/05-06	श्री राजेन्द्र वंसल	350 –मौजा रूनकता
15	214/BFH/05/13-14	सुनील अग्रवाल	आस्था सिटी रूनकता आगरा
16	903/BFL/11/05-06	श्री अचल अग्रवाल	खसरा सं0– 319 व 323 मौजा– रूनकता, आगरा।
17	185/BFL/6/94-95	ए0के0गोयल (महाप्रबन्धक)	ख0सं0–907 रूनकता आगरा
18	ADA/BP/20-21/0808	SHRI RAM KISHOR SINGH S/O SHRI TOTA RAM	C-581 ASTHA CITY RUNKATA AKBARA AGRA
19	ADA/BP/21-22/0504	SMT. LAXMI DEVI	C-280 ASTHA CITY MAUZA RUNKATA AGRA
20	ADA/BP/22-23/1557	PIYUSH DWIVEDI	PLOT NO.C-224 ASTHA CITY MAUZA RUNKATA AGRA
21	ADA/BP/23-24/0184	Smt Aruna	Plot no- C-284, At Astha city ,Mauza-Runkata/Akbar
22	ADA/BP/23-24/0943	Mr. Shashikant Singh	Plot No-C-556 Ashta City
23	549/BFH/7/13-14	श्री राकेश कुमार	सी–215 आस्था सिटी
24	471/BFH/7/13-14	श्री रोहित अग्रवाल	बी–34 आस्था सिटी
25	156/BFH/4/12-13	श्रीमती कृष्णा	सी–631 आस्था सिटी
26	1497/BFH/1/12-13	श्रीमती कृष्णा सारस्वत	सी–631 आस्था सिटी
27	1498/BFH/1/12-13	श्री रोहित अग्रवाल	बी–67, बी–70 आस्था सिटी

28	1499/BFH/1/12-13	श्री रोहित अग्रवाल	वी–73, वी–78 आस्था सिटी
29	1609/BFH/1/12-13	श्री रोहित अग्रवाल	वी–80 से वी–93 आस्था सिटी
30	1074/BFH/10/12-13	श्री रोहित अग्रवाल	सै0–सी–22,25 व 33 आस्था सिटी
31	1134/BFH/12/11-12	रोहित अग्रवाल	सी–110, सी–112, सी–114 आस्था सिटी
32	1132/BFH/12/11-12	रोहित अग्रवाल	सी–708 आस्था सिटी
33	1081/BFH/11/11-12	रोहित अग्रवाल	सी–117 आस्था सिटी
34	1686/BFH/3/11-12	रोहित अग्रवाल	सी–78 आस्था सिटी
35	1684/BFH/3/11-12	श्री रोहित अग्रवाल	सी–67 आस्था सिटी आगरा
36	1133/BFH/12/11-12	रोहित अग्रवाल	सी–109, सी–111, सी–113, सी–115 आस्था सिटी
37	1079/BFH/11/11-12	रोहित अग्रवाल	सी–119, सी–121, सी–123 आस्था सिटी
38	1080/BFH/11/11-12	रोहित अग्रवाल	सी–118, सी–120, सी–124, सी–122 आस्था सिटी
39	472/BFH/7/13-14	श्री रोहित अग्रवाल	वी–33 आस्था सिटी आगरा
40	1460/BFH/1/11-12	रोहित अग्रवाल	14,15,16,17 आस्था सिटी

ईको–सेन्सेटिव जोन (कीठम झील) से 10किमी0 की परिधि में आने वाले ग्रामों की लिस्ट

1. मांगरौल गूजर
2. रूनकता
3. अकबरा
4. लोहकरेरा
5. खण्डवाई
6. अरतौनी
7. पनवारी
8. अटूस
9. जऊपुरा
10. लखनपुर
11. सदरवन
12. अगूँठी
13. नानपुर
14. मिढाकुर (पार्ट)
15. सहारा (पार्ट)
16. लडामदा (पार्ट)
17. चौहटना
18. सुनारी
19. मौहम्मदपुर
20. मघटई
21. बिचपुरी (पार्ट)
22. कलवारी (पार्ट)
23. दहतोरा
24. बोदला (पार्ट)
25. पथौली (पार्ट)
26. गैलाना मुस्तकिल (पार्ट)
27. सिकन्दरा
28. ककरैठा मुस्तकिल (पार्ट)
29. बाबरपुर
30. बाईपुर मुस्तकिल
31. स्वामी मुस्तकिल
32. बाईपुर अहतमाली
33. धिगरौली मुस्तकिल
34. धिगरौली अहतमाली
35. बाबरपुर अहममाली (पार्ट)
36. ककरैठा अहतमाली (पार्ट)
37. सिकन्दपुर अहतमाली (पार्ट)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3319]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2019/आश्विन 18, 1941
No. 3319]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2019/ASVINA 18, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3649(अ).—प्रारुप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1728(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 24 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में जिला मुख्यालय आगरा से लगभग 20 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। पक्षी अभयारण्य 4.030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य से मुख्य वनस्पति *कैसिया स्यामिया* (केसिया), *प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा* (विलायती बबूल), *अच्यर्थीस अस्पेरा* (लतजीरा), *फिकस बेंगालेंसिस* (बरगद), *नेरियम इंडिकम (कनेर)*, *फिकस रेलिगिओसा* (पीपल), पार्थेनियम *हायस्टेरोफोरूस (गजार घास)*, *बोम्बक्स केइबा* (सेमल), *बउहीनिया वेरिएगेट* (कचनार), *कैसिया फिस्टुला* (अमलतास), *कैसिया तोरा* (चकवद), *अकैसिया निलोटीका* (बबूल), *यूकेलिप्टस* (युकलिप्टुस), *इम्बलिका ओफिसिनैलिस* (एनोन्ला), *लैंटाना कैमारा* (लैंटाना), *रिकिनुस कोम्मुनिस* (अरांडी), आदि अभिलिखित की गई है;

और, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में *एंसर एंसर* (ग्रीलेग गूज़), *एंसर इंडिकम* (बारहेड गूज़), *टडोर्ना फेर्रूगिनिया* (रूडी शेल्डक), *सरकिडीओरनिस मेलानोटोस* (कोम्ब बतख), *डेंड्रोसीग्रा जावानिका* (लैसर व्हिस्टलिंग टील), अनास *अकुटा* (पिंटैल), *अनास क्रेक्का* (सामान्य टील), *अनास पेओसिलोरिन्चा* (*स्पॉटबल्ड* बतख), *फुलिका अटरा* (सामान्य कूट), *अनास स्ट्रेपेरा* (गडवाल्ल), *हीमानटोपुस हीमान्टोपुस* (ब्लैक विंगेड स्टील्ट), *अनास क्लाइपेटा* (शोवेलेर), *नेट्टा रूफिना*(रेडक्रॉस्टेड पोचर्ड), *गरूस अंटीगोने* (सरूस क्रेन), *अमाउरोर्निस फोइनिकुरूस* (व्हाइट ब्रेस्टेड वाटरहेन), *पेलेकनुस अनोक्रोटालूस* (ग्रेट व्हाइट पेलिकन), *अरदेया सिनेरिया* (ग्रे बगुला), *थ्रीकोर्निस एथीहोपिका* (व्हाइट इबिस), *प्लाटेला ल्यूकोरोडिया* (स्पूनबिल) आदि का वास है;

और, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में दुर्लभ, लुप्तप्राय, स्थानिक, संकटापन्न पौधे प्रजातियां *फेरोनिया लिमोनिया* (काइथा), *एल्बिजिया लेब्बेक* (काला सिरस), *फोइनिक्स सिल्वेस्ट्रिस* (खजूर), मिनिकारा *कारा हेक्सेंड्रा* (किर्नी), *ब्यूटिया मोनोस्पर्मा* (ढाक), *आर्टोकार्पस लाकोचा* (बरहहाल), *मधुका इंडिका* (महुआ) *मोरिंगा ओलेइफेरा* (सहजान), *ज़िज़िफ़स मौरिटिआना* (झारवेरी), *कुस्कुटा रेफलेक्सा* (अमर बेल), आदि पाई जाती है; जबकि संरक्षित क्षेत्र में दुर्लभ, लुप्तप्राय, स्थानिक, संकाटापन्न जीवजंतु *निओफ्रॉन पर्कनोप्टेरस* (इजीपियन गिद्ध), *बेनेल्लुस ड्यूवाकुली* (रिपर लैपविंग), *स्टर्न अउरंटिया* (रिवर-बिल्लीड टर्न), *पेलेकैनस क्रिस्पस* (डालमाटैन पेलिकन), *किकोनिया एपीस्कोपस* (वूल्ल्य-नैक स्टोर्क), *कलानगा कलानगा* (ग्रेटर स्पोट्टेड ईगल), *गरूस* एंटीगोन (सॉर्स क्रेन), *माईक्टेरिया लेउकोसेफला* (पैंइटेड स्टोर्क), *एफिफ़ोरहाइन्चस एशियाटिकस* (ब्लैक-नेक्ड स्टोर्क), *थेरस्किओरनिस मेलानोकेफलुस* (ब्लैक-हेडेड इबिस), *अयथया नयरोका* (फ्रूगिनोस डक), *इसाकुस इकुरविरोस्ट्रीस* (ग्रेट थिक-किन), *लिमोसा लिमोसा* (ब्लैक-टेल्ड गोडविट), *टडोर्ना तडोर्ना* (सामान्य शेल्डक), *फोएनिकोप्टेरस रोसेकस* (ग्रेटर फ्लेमिंगो), आदि पाए जाते है;

और, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य आगरा जिला में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्यकी सीमा से एक किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**-(1) उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य (उ 27°14' 4" अक्षांश और 27°31' 52" उ अक्षांश और 77°49' 38" पूर्वी अक्षांश 77°52' 40" पूर्वी अक्षांश) की सीमा के चारों ओर समरूप एक किलोमीटर में स्थित है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 10.20 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध–IIक** और **उपाबंध–IIख** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप भी और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से की जाएगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी के पैरा-4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह्-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यो को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्को और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और निवारण के लिए पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि.343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणिया**
(1)	**(2)**	**(3)**
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी:

		परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उप-विधियों के अनुसार, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।

11.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्तारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
12.	वायु और वाहन प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	फर्मो, निगमों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
15.	पोलिथीन थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व अथवा निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
19.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
21.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
25.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

26.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
28.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना है।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि वन आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	**निगरानी समिति का संघटक**	**पद**
(i)	जिला मजिस्ट्रेट, आगरा	अध्यक्ष,पदेन
(ii)	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र (विरासत संरक्षण सहित) में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य
(v)	जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य

(vi)	कार्यकारी अभियंता, लोक कार्य विभाग, आगरा	सदस्य
(vii)	सिंचाई विभाग, आगरा के कार्यकारी अभियंता	सदस्य
(viii)	जिला कृषि अधिकारी, आगरा	सदस्य
(ix)	वन्यजीव वार्डन, इटावा	सदस्य
(x)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला आगरा	सदस्य
(xi)	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य परियोजना, आगरा	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात् में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उप आयुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले कोई आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/13/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

उत्तर प्रदेश राज्य में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर - सीनगना ग्राम और नगला रेती की आंशिक खेती भूमि, नगला अकोस खादर

दक्षिण - अरेसेना ग्राम और कीथम ग्राम की आंशिक खेती भूमि, नगला मुरली और मूरेंदा

पूर्व - रूनकाटा ग्राम, सूरदास वन खंड का रिज़र्व वन

पश्चिम - नगला भूपला ग्राम, चौमा फराह एवं सीनगना खास ग्राम की आंशिक खेती भूमि और वूरज

उपाबंध- IIक

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य का गूगल मानचित्र

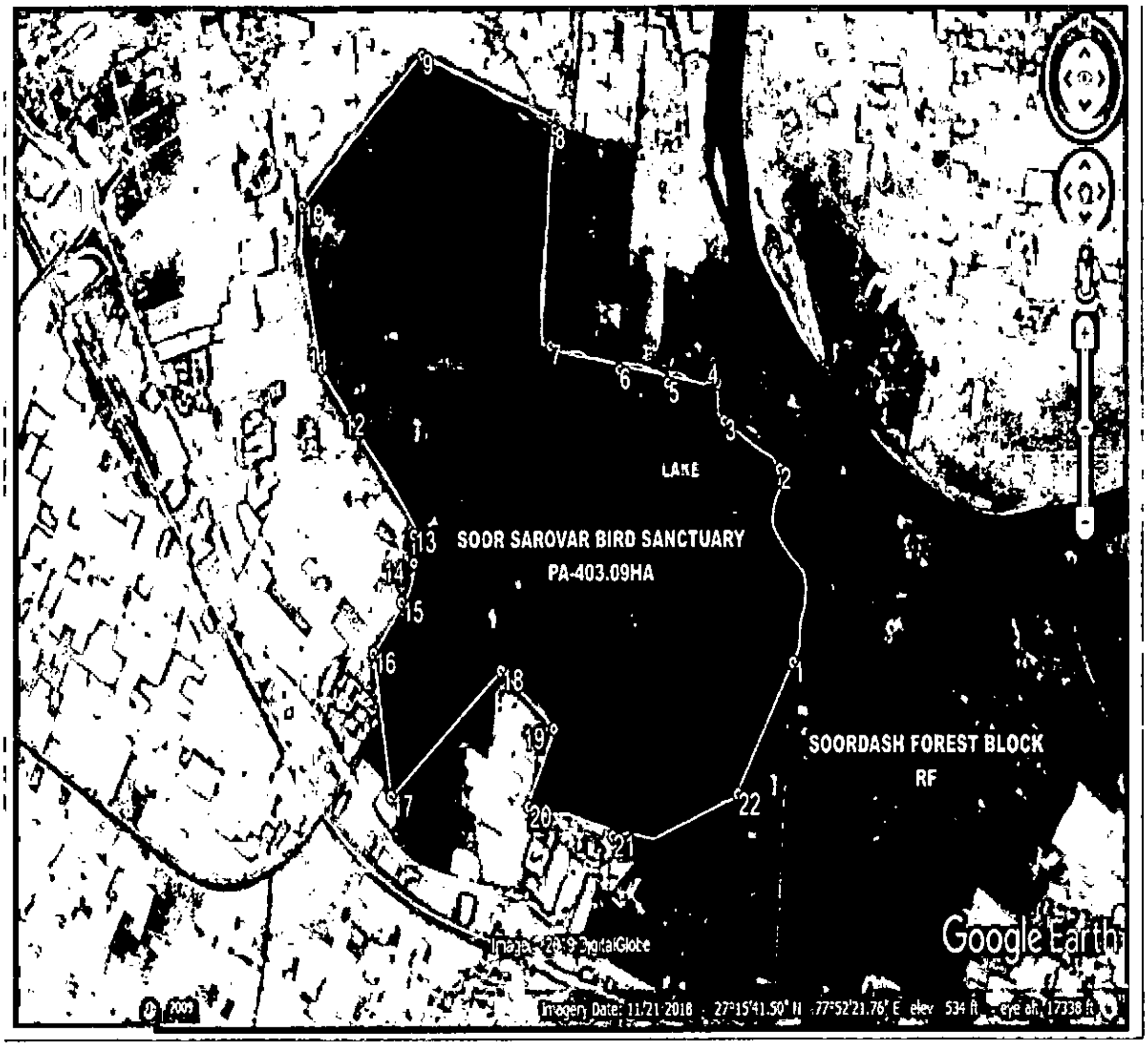

उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

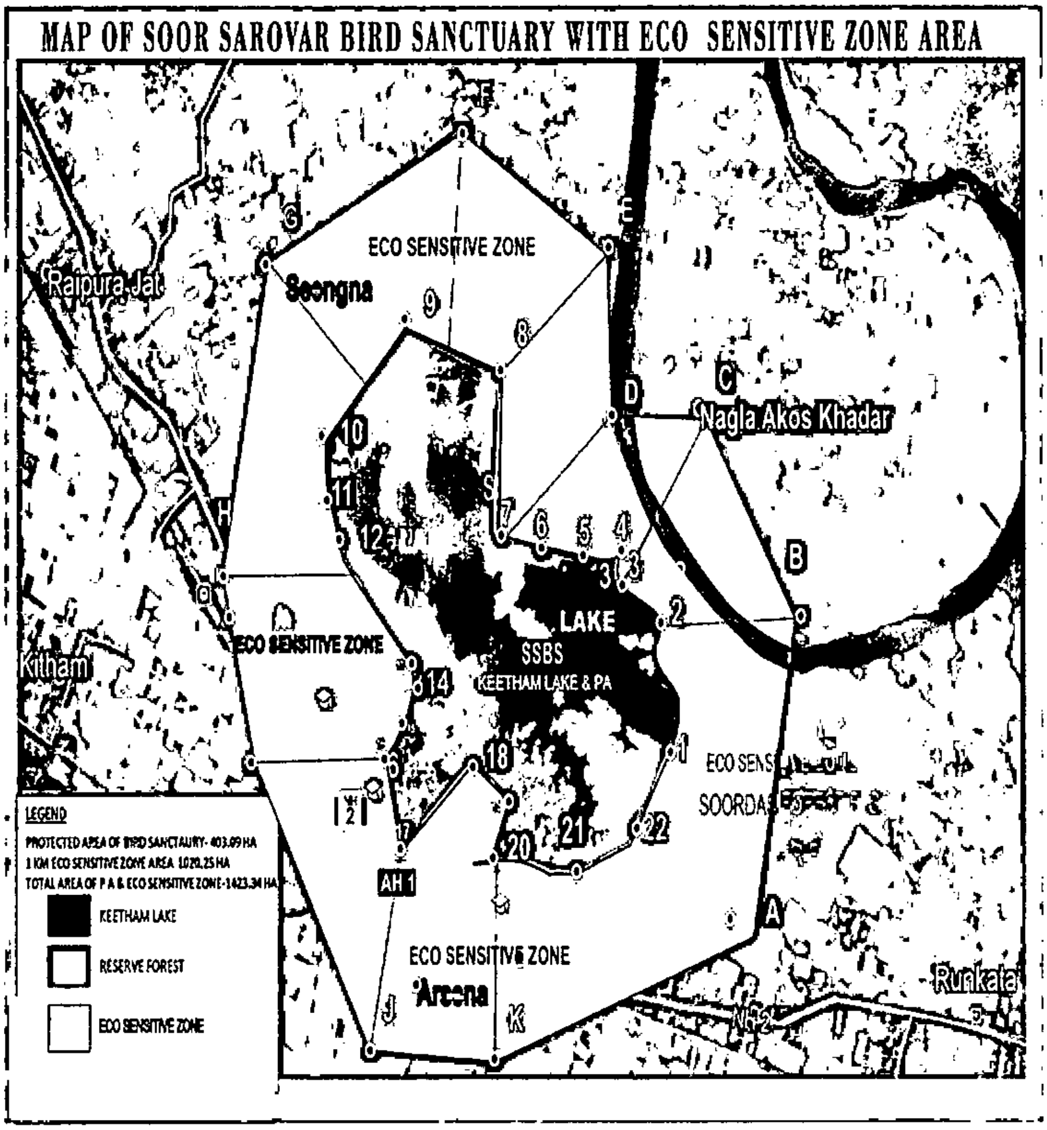

उपाबंध-III

सारणी क: सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	27° 14' 47.2" उ	77° 51' 14.1" पू	12	27° 15' 12.62" उ	77° 49' 49.92" पू
2	27° 15' 08.6" उ	77° 51' 12.3" पू	13	27° 15' 1.41" उ	77° 50' 1.14" पू
3	27° 15' 14.2" उ	77° 51' 01.7" पू	14	27° 14' 58.09" उ	77° 50' 1.31" पू
4	27° 15' 18.6" उ	77° 51' 00.6" पू	15	27° 14' 53.78" उ	77° 49' 58.98" पू
5	27° 15' 18.20" उ	77° 50' 50.6" पू	16	27° 14' 48.56" उ	77° 49' 54.01" पू
6	27° 15' 20.0" उ	77° 50' 41.2" पू	17	27° 14' 34.94" उ	77° 49' 49.30" पू
7	27° 15' 22.88" उ	77° 50' 27.76" पू	18	27° 14' 45.99" उ	77° 50' 18.09" पू
8	27° 15' 48.41" उ	77° 50' 28.44" पू	19	27° 14' 39.89" उ	77° 50' 28.44" पू
9	27° 15' 56.51" उ	77° 50' 2.29" पू	20	27° 14' 31.57" उ	77° 50' 23.64" पू
10	27° 15' 38.95" उ	77° 49' 37.99" पू	21	27° 14' 28.40" उ	77° 50' 39.54" पू
11	27° 15' 20.07" उ	77° 49' 42.15" पू	22	27° 14' 32.89" उ	77° 51' 3.24" पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश देशांतर

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
क	27° 14' 17.44" उ	77° 51' 37.19" पू
ख	27° 15' 7.66" उ	77° 51' 50.42" पू
ग	27° 15' 40.11" उ	77° 51' 25.95" पू
घ	27° 15' 41.18" उ	77° 50' 58.84" पू
ङ	27° 16' 7.42" उ	77° 50' 58.48" पू
च	27° 16' 26.63" उ	77° 50' 18.71" पू
छ	27° 16' 8.04" उ	77° 49' 22.27" पू
ज	27° 15' 17.73" उ	77° 49' 8.48" पू
झ	27° 14' 47.42" उ	77° 49' 16.22" पू
ञ	27° 14' 1.11" उ	77° 49' 48.59" पू
ट	27° 13' 58.64" उ	77° 50' 23.72" पू

उपाबंध IV

उत्तर प्रदेश राज्य में भू-निर्देशांकों के साथ सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	रूनाकता	27°14' 09.00 उ	77° 52' 25.40" पू
2.	नागला मुरली	27°13' 49.40 उ	77° 51' 03.30" पू
3.	अरसाइना	27°14' 11.20 उ	77° 50' 14.50" पू
4.	चाउमा फराह	27°14' 57.10 उ	77° 49' 54.50" पू
5.	नागला भूपिया	27°15' 11.10 उ	77° 49' 42.00" पू
6.	सींगा खास	27°15' 59.90 उ	77° 49' 27.50" पू
7.	नगला रेती	27°16' 07.30 उ	77°49' 44.60" पू
8.	सींगा बुर्ग	27°16' 12.60 उ	77° 49' 28.30" पू
9.	गर्री नाहचाला	27°15' 25.70 उ	77° 52' 19.60" पू

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2019

S.O. 3649(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1728(E), dated the 24th April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 24th April, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Soor Sarovar Bird Sanctuary is situated about 20 kilometers from the district headquarter Agra and about 180 kilometers from Delhi in the State of Uttar Pradesh. The Bird Sanctuary is spread over an area of 4.030 square kilometers;

AND WHEREAS, major flora recorded from the Soor Sarovar Bird Sanctuary are *Cassia siamea* (kesia), *Prosopis juliflora* (vilayti babool), *Achyranthes aspera* (latjeera), *Ficus bengalensis* (bargad), *Nerium indicum* (kaner), *Ficus religiosa* (peepal), *Parthenium hysterophorus* (gazar ghas), *Bombax ceiba* (semal), *Bauhinia variegate* (kachnar), *Cassia fistula* (amaltas), *Cassia tora* (chakvad), *Acacia nilotica* (babool), *Eucalyptus* (eucalyptus), *Emblica officinalis* (aonla), *Lantana camara* (lantana), *Ricinus communis* (arandi), etc;

AND WHEREAS, the Soor Sarovar Bird Sanctuary is habitat of *Anser anser* (greylag goose), *Anser indicus* (barheaded goose), *Tadorna ferruginea* (ruddy shelduck), *Sarkidiornis melanotos* (comb duck), *Dendrocygna javanica* (lesser whistling teal), *Anas acuta* (pintail), *Anas Crecca* (common teal), *Anas peocilorhyncha* (spotbilled duck), *Fulica atra* (common coot), *Anas strepera* (gadwall), *Himantopus himantopus* (black winged stilt), *Anas clypeata* (shoveler), *Netta rufina* (redcrested pochard), *Grus antigone* (sarus crane), *Amaurornis Phoenicurus* (white breasted waterhen), *Pelecanus onocrotalus* (great white pelican), *Ardea cinerea* (grey heron), *Threkiornis aethiopica* (white ibis), *Platalea leucorodia* (spoonbill), etc;

AND WHEREAS, the rare, endangered, endemic, threatened plant species found in the Soor Sarovar Bird Sanctuary *Feronia limonia* (kaitha), *Albizzia lebbek* (kala siras), *Phoenix sylvestris* (khajoor), *Minikara kara hexandra* (khirni), *Butea monosperma* (dhak), *Artocarpus lakoocha* (barhhal), *Madhuca indica* (mahua), *Moriga oleifera* (sahjan), *Zizyphus mauritiana* (jharveri), *Cuscuta reflexa* (amar bel), etc; While the rare, endangered, endemic, threatened fauna found in the protected area *Neophron percnopterus* (egyptian vulture), *Vanellus duvaucelii* (riper lapwing), *Sterna aurantia* (river-billied tern), *Pelecanus crispus* (dalmatian pelican), *Ciconia episcopus* (woolly-neck stork), *Clanga clanga* (greater spotted eagle), *Grus antigone* (sarus crane), *Mycteria leucocephala* (painted stork), *Ephippiorhynchus asiaticus* (black-necked stork), *Threskiornis melanocephalus* (black-headed ibis), *Aythya nyroca* (ferruginous duck), *Esacus recurvirostris* (great thick-knee), *Limosa limosa* (black-tailed godwit), *Tadorna tadorna* (common shelduck), *Phoenicopterus roseus* (greater flamingo), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Soor Sarovar Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of one kilometres uniform around the boundary of Soor Sarovar Bird Sanctuary, in Agra district in the State of Uttar Pradesh as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of one kilometre uniform around the boundary of Soor Sarovar Bird Sanctuary (N 27°14' 4" and N 27°31' 52" and E 77°49' 38" and E 77°52' 40") situated in the Agra District of Uttar Pradesh and the area of the Eco-sensitive Zone is 10.20 square kilometres.

   (2) The boundary description of Soor Sarovar Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Soor Sarovar Bird Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

   (4) List of geo-coordinates of the boundary of Soor Sarovar Bird Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

   (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

   (i) Environment;

   (ii) Forest and Wildlife;

   (iii) Agriculture;

   (iv) Revenue;

   (v) Urban Development;

   (vi) Tourism;

   (vii) Rural Development;

   (viii) Irrigation and Flood Control;

   (ix) Municipal;

   (x) Panchayati Raj; and

   (xi) Public Works Department.

   (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

   (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

   (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

   (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.

   (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by the State Government.**- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.–** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel/resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste.–** Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition Waste Management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measure, if it consider necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect, except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
12.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
15.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
28.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
	C. Promoted Activities	
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.** - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Magistrate, Agra	Chairman, ex officio
(ii)	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police, Agra	Member
(iii)	One representative of a Non Governmental Organization (NGO) working in the field of environment (including heritage conservation)to be nominated by the State Government	Member
(iv)	One expert in Ecology	Member
(v)	One expert in Biodiversity	Member

(vi)	Executive Engineer Public Work Department, Agra	Member
(vii)	Executive Engineer of Irrigation Department, Agra	Member
(viii)	District Agriculture Officer, Agra	Member
(ix)	Wildlife Warden, Etawah	Member
(x)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, District Agra	Member
(xi)	Deputy Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, Agra	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/13/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF SOOR SAROVAR BIRD SANCTUARY AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE OF UTTAR PRADESH

North - Village Seengna and Partial cultivated lands of Nagla Reti, Nagla Akos Khadar

South - Village Aresena and Partial cultivated lands of Village Keetham, Nagla Murli and Murenda

East - Village Runkata, Reserve Forest of Soordas Forest Block

West - Village Nagla Bhupla, Chauma Farah & Partial cultivated lands of Village Seengna Khaas and Burj

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF SOOR SAROVAR BIRD SANCTUARY IN AGRA DISTRICT OF UTTAR PRADESH

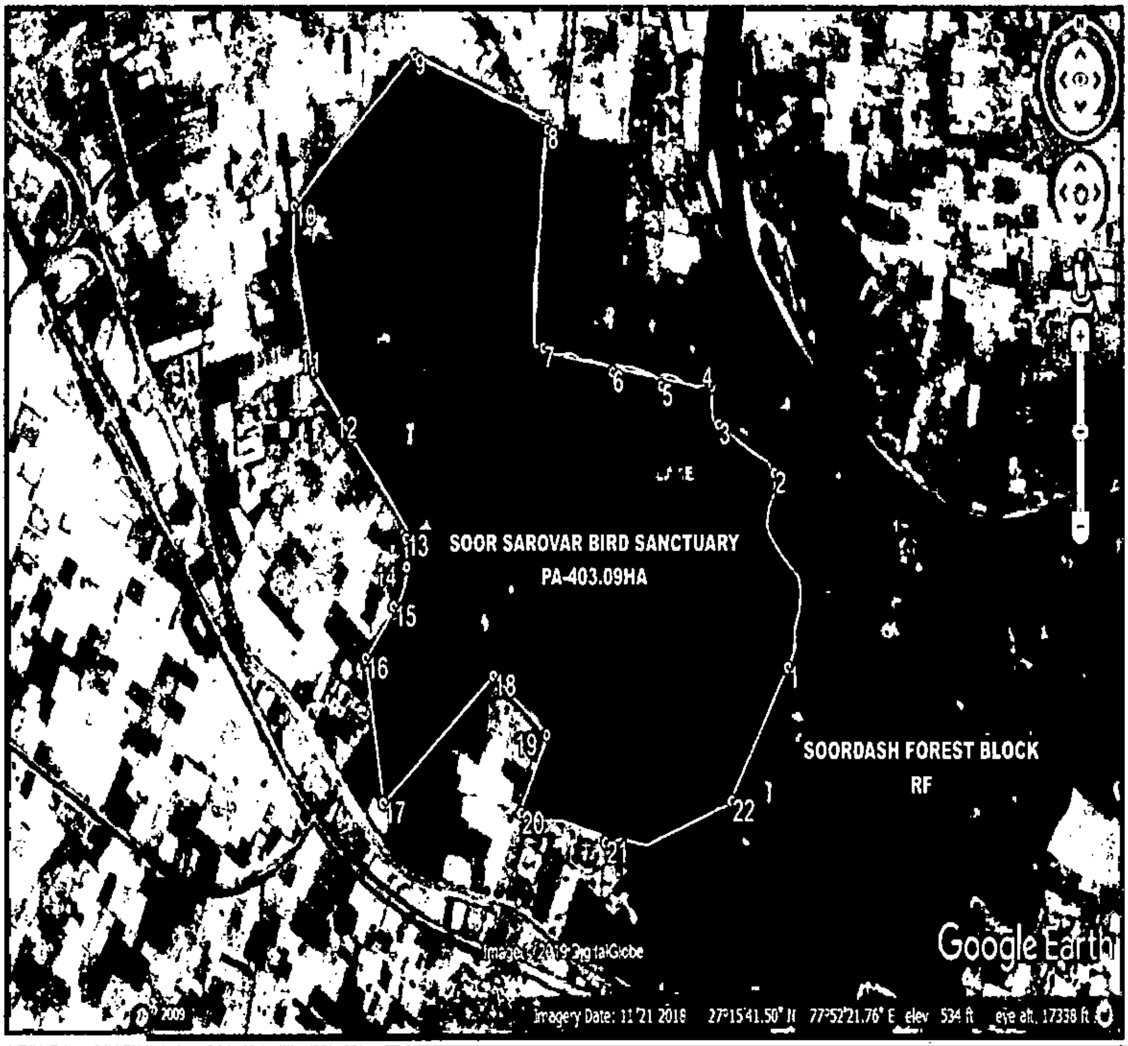

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SOOR SAROVAR BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

MAP OF SOOR SAROVAR BIRD SANCTUARY WITH ECO SENSITIVE ZONE AREA

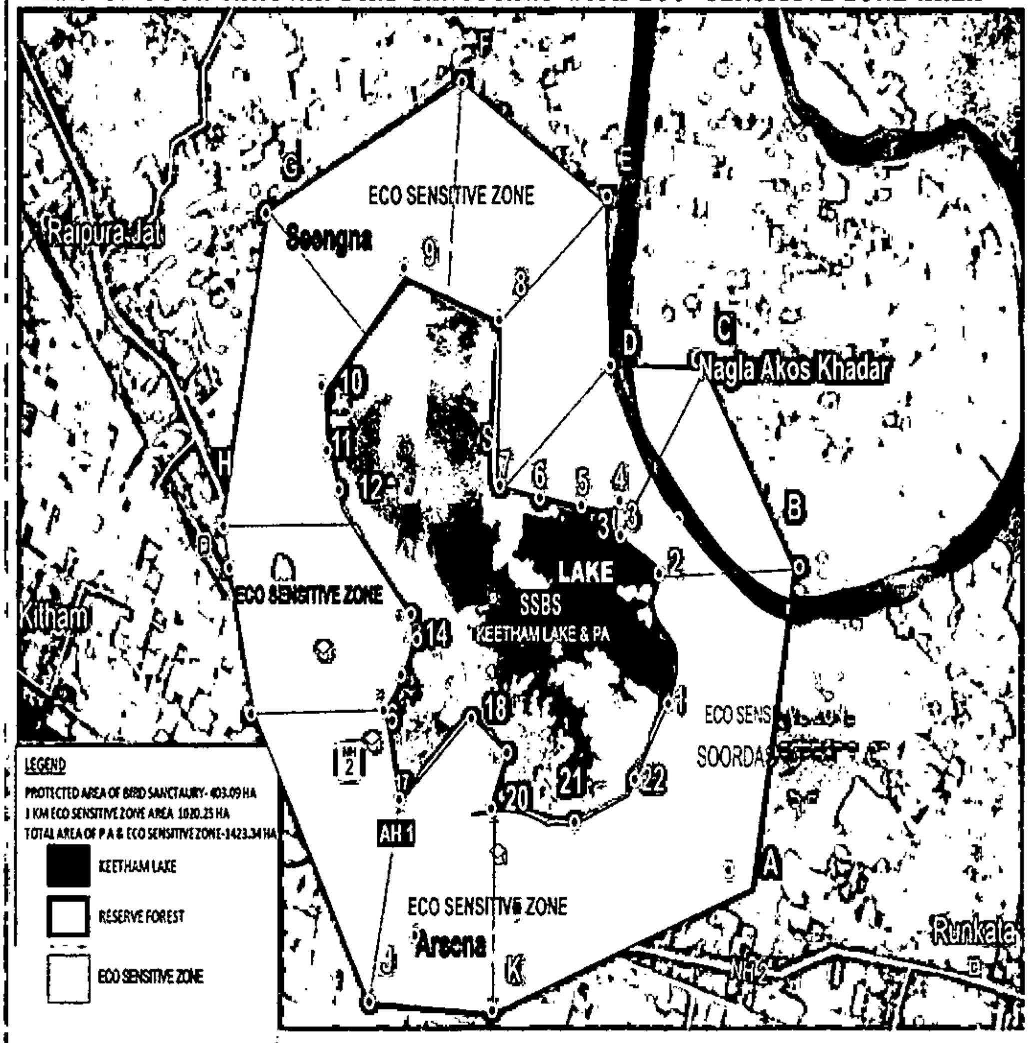

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SOOR SAROVAR BIRD SANCTUARY

Sl. No.	Latitude	Longitude	Sl. No.	Latitude	Longitude
1	27° 14' 47.2'' N	77° 51' 14.1'' E	12	27° 15' 12.62'' N	77° 49' 49.92'' E
2	27° 15' 08.6'' N	77° 51' 12.3'' E	13	27° 15' 1.41'' N	77° 50' 1.14'' E
3	27° 15' 14.2'' N	77° 51' 01.7'' E	14	27° 14' 58.09'' N	77° 50' 1.31'' E
4	27° 15' 18.6'' N	77° 51' 00.6'' E	15	27° 14' 53.78'' N	77° 49' 58.98'' E
5	27° 15' 18.20'' N	77° 50' 50.6'' E	16	27° 14' 48.56'' N	77° 49' 54.01'' E
6	27° 15' 20.0'' N	77° 50' 41.2'' E	17	27° 14' 34.94'' N	77° 49' 49.30'' E
7	27° 15' 22.88'' N	77° 50' 27.76'' E	18	27° 14' 45.99'' N	77° 50' 18.09'' E
8	27° 15' 48.41'' N	77° 50' 28.44'' E	19	27° 14' 39.89'' N	77° 50' 28.44'' E
9	27° 15' 56.51'' N	77° 50' 2.29'' E	20	27° 14' 31.57'' N	77° 50' 23.64'' E
10	27° 15' 38.95'' N	77° 49' 37.99'' E	21	27° 14' 28.40'' N	77° 50' 39.54'' E
11	27° 15' 20.07'' N	77° 49' 42.15'' E	22	27° 14' 32.89'' N	77° 51' 3.24'' E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Latitude	Longitude
A	27° 14' 17.44'' N	77° 51' 37.19'' E
B	27° 15' 7.66'' N	77° 51' 50.42'' E
C	27° 15' 40.11'' N	77° 51' 25.95'' E
D	27° 15' 41.18'' N	77° 50' 58.84'' E
E	27° 16' 7.42'' N	77° 50' 58.48'' E
F	27° 16' 26.63'' N	77° 50' 18.71'' E
G	27° 16' 8.04'' N	77° 49' 22.27'' E
H	27° 15' 17.73'' N	77° 49' 8.48'' E
I	27° 14' 47.42'' N	77° 49' 16.22'' E
J	27° 14' 1.11'' N	77° 49' 48.59'' E
K	27° 13' 58.64'' N	77° 50' 23.72'' E

ANNEXURE-IV

LIST OF REVENUE VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SOOR SAROVAR BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES IN THE STATE UTTAR PRADESH

S. No.	Village Name	Latitude	Longitude
1.	Runakta	27°14' 09.00 N	77° 52' 25.40" E
2.	Nagla Murli	27°13' 49.40 N	77° 51' 03.30" E
3.	Arsaina	27°14' 11.20 N	77° 50' 14.50" E
4.	Chauma Frah	27°14' 57.10 N	77° 49' 54.50" E
5.	Nagla Bhupia	27°15' 11.10 N	77° 49' 42.00" E
6.	Seenga Khas	27°15' 59.90 N	77° 49' 27.50" E
7.	Nagla Reti	27°16' 07.30 N	77°49' 44.60" E
8.	Seenga Burg	27°16' 12.60 N	77° 49' 28.30" E
9.	Grri Nahchala	27°15' 25.70 N	77° 52' 19.60" E

ANNEXURE -V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date 2019.10.14

Email:roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –363 /ओजी-649/2024 दिनांक–15/07/2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंचुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0,
आगरा।

विषयः–**सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात समस्त विभागों की प्रभावित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में EIA (Environmental Impact Assessment)-2006 अधिनियम के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता की सूची तैयार करने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक–43/ओजी–649/2024 दिनांक 12.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके कार्यालय के पत्रांक–1988/12–1 दिनांक 02.04.2024 के कम में सूरसरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल बढ़ने एवं उसके परिणाम स्वरूप राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की परियोजना प्रभावित होने के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की गयी थी।

अवगत कराना है कि सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, अगारा का क्षेत्र ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–13381/84 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.12.1996 के अनुपालन में ताज ट्रेपेजियम जोन के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी इकाईयों में कोल/कोक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है तथा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में सभी वायु प्रदूषणकारी उद्योग नेचुरल गैस/इलेक्ट्रिसिटी से संचालित है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–13381/84 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में समय–समय पर उद्योगों/प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज की स्थापना के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण होने की दशा में टी0टी0जेड0 क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पडने की प्रवल सम्भायना है।

भवदीय

15/7/24

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

I.A. NOS. 131377, 147102, 195467, 195468, 205092 OF 2022,

I.A. NOS. 162283 AND 162284 OF 2022
IN
I.A. D. NO. 125746 OF 2022

WITH

I.A. NOS. 118604, 118606, 119400, 119401, 119404, 137132, 137138, 137140 AND 137143 OF 2022

I.A. NOS. 5764, 6804 AND 10911 OF 2023

IN THE MATTER OF:

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 202 OF 1995

IN RE: T.N. GODAVARMAN THIRUMULPAD
...PETITIONER(S)

VERSUS
UNION OF INDIA AND OTHERS ...RESPONDENT(S)

J U D G M E N T

B.R. GAVAI, J.

I.A. NO. 131377 OF 2022:

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Prasad
Date: 2023.04.26
12:44:10 IST
Reason:

1. The present I.A. is filed by the Union of India praying for modification/clarification of the order passed by this Court

54. As was pointed out by the counsel for one of the States, the entire municipal area of the Sulthan Bathery Block Panchayat is situated within the ESZ area.

55. Insofar as direction in paragraph 56.1 of the order dated 3rd June 2022 (supra) is concerned, a perusal of various orders would reveal that this Court has not directed any minimum area from the demarcated boundary of such Protected Areas. The area to be declared as ESZ cannot be uniform and will be Protected Area specific. In some cases, it may be 10 kilometres on one side and 500 meters on the other side. In certain cases, it may not be possible to have a uniform minimum area by virtue of inter-state boundaries or a sea or a river beyond one side of the Protected Area. In any case, a detailed procedure is required to be followed as prescribed under Rule 5 of the 1986 Rules which we have already referred hereinabove. We find that once such a notification is issued after following the procedure prescribed under the 1986 Rules, the ESZs will have to be as per the said notification.

(ii) We further direct that while granting Environmental and Forest Clearances for project activities in ESZ and other areas outside the Protected Areas, the Union of India as well as various State/Union Territory Governments shall strictly follow the provisions contained in the Office Memorandum dated 17th May 2022 issued by MoEF & CC.

67. All the other present I.As shall stand disposed of in terms of the above. No costs.

..............................**J.**
[B.R. GAVAI]

..............................**J.**
[VIKRAM NATH]

..............................**J.**
[SANJAY KAROL]

NEW DELHI;
APRIL 26, 2023

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः— सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा की सीमा के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— शासकीय पत्र (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—4) संख्या—850(2)/81—4—2024 दिनांक 04—07—2024

महोदय,

अवगत कराना है कि सूरसरोवर पक्षी विहार कीठम आगरा की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0 संख्या 529/2023 डा0 शरद गुप्ता बनाम भारत सरकार एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—04—2024 एवं अन्य आदेशों के क्रम में विषयगत प्रकरण में विचार विमर्श कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 09—07—2024 को वन मुख्यालय स्थित पारिजात सभा कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई।

उक्त बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में सांसद आगरा, नेशनल चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज एण्ड कॉमर्स, लघु उद्योग भारती एवं शारदा ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स से प्राप्त प्रस्तुतिकरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

22/07/24
जिलाधिकारी,
आगरा।

1. प्रतिलिपिः— प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपिः— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. प्रतिलिपिः— मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. प्रतिलिपिः— उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0 आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/07/24
जिलाधिकारी
आगरा।

नवीन जैन
सांसद
'राज्यसभा'

डी-5/7, वसंत विहार
नई दिल्ली-110057

सत्यमेव जयते

दिनांक :

पत्रांक - 138/2024/07) |अ०ज०स०|वि०/आर्थि

डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर।
आगरा।

विषयः सूरसरोवर पक्षी विहार का क्षेत्रफल 403 हेक्टेयर ही रखने के सम्बन्ध में।

मेरे संज्ञान में लाया गया है कि सूरसरोवर पक्षी विहार का भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रफल 403 हेक्टेयर से बढ़ाकर 800 हेक्टेयर करने पर विचार किया जा रहा है।

अगर ऐसा होता है तो आगरा के उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आगरा मथुरा रोड़ पर चल रहा विकास कार्य पूरी तरह अवरूद्ध हो जाएगा। पहले से ही ताज संरक्षित क्षेत्र (टी.टी.जेड.) में बंदिशों के चलते आगरा में कोई भी प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित नहीं हो सकता है।

अगर सूरसरोवर पक्षी विहार का क्षेत्रफल 403 हेक्टेयर से बढ़ाकर 800 हेक्टेयर किया जाता है तो समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। उद्योगों के माध्यम से मिल रहा रोजगार प्रभावित होगा। हजारों लोगों की रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा। फिर लोग पलायन को विवश हो जाएंगे।

इसलिए सूरसरोवर पक्षी विहार का क्षेत्रफल 403 हेक्टेयर ही रखा जाए और बफर जोन 500 मीटर किया जाए।

इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराया जाए।

भवदीय

(नवीन जैन) 20/7/24

कैम्प कार्यालय : मंगलम् आधार अपार्टमेंट के बराबर शास्त्रीपुरम् सिकन्दरा, आगरा
मो. : 9837072895, 8923579406
naveenjainbjp@gmail.com naveen_k_jain naveenjainbjp

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE,U.P.

ATUL KUMAR GUPTA	AMBA PRASAD GARG	MANOJ KUMAR GUPTA	NITESH AGARWAL
PRESIDENT	VICE PRESIDENT	VICE PRESIDENT	TREASURER
9760011107	9319109234	9837053316	9837153455

एनसीआईसी / 62 / 2024–25 /   16 जुलाई, 2024

सेवा मे,

श्रीमान डिविजनल फोरेस्ट ऑफीसर (चम्बल),
मऊ रोड, आगरा।

विषय – सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के सीमा विस्तार के सम्बन्ध मे।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सदर्भ मे सविनय निम्न निवेदन है:–

1 वन्य जीव सरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अतर्गत, जनपद आगरा स्थित सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य को लगभग 403 हेक्टेयर भूमि के संबध मे वर्ष 1991 मे घोषित किया गया था।

2 सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत घोषित करने का मुख्य कारण यह था कि यहा एक बडी कीठम झील है जहा शीतकाल मे प्रवासी पक्षी (माइग्रेटरी बर्ड) आते है और झील के आईलैण्डो पर प्रवास करते है।

3 वर्तमान मे, उक्त सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के क्षेत्र को सूरदास वन ब्लॉक एवं अन्य वन भूमि की लगभग 400 है0 भूमि को सम्मिलित करते हुए लगभग 800 है0 किए जाने का विचार / प्रस्ताव है।

4 सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य मे सूरदास वन ब्लॉक की भूमि को सम्मिलित करते हुए 800 है0 किया जाना निम्नलिखित तथ्यो के दृष्टिगत उचित नहीं होगा –

- सूरदास वन ब्लॉक मे प्रवासी पक्षी (माइग्रेटरी बर्ड्स) नही आती है और न ही वे शीत ऋतु या किसी अन्य ऋतु मे यहॉ प्रवास करती हैं। अत वन्य जीव सरक्षण अधिनियम के अतर्गत सूरदास वन ब्लॉक को अभयारण्य के रूप मे घोषित किया जाना विधिसम्मत नही है।

- सूरदास वन ब्लॉक की भूमि रिजर्वड फॉरेस्ट है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानो के आधीन है जिसके कारण वहा किसी भी प्रकार का निर्माण या बदलाव सभव नही है, और उसका मूल स्वरूप यथावत ही रहना है। अत वन भूमि के सम्बन्ध मे वन्य जीव सरक्षण अधिनियम के प्रावधानो के अतर्गत अभयारण्य की अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।

- सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के क्षेत्रफल मे विस्तार करने से उसका नया ईको सेंसिटिव जोन भी चिन्हित करना पड़ेगा, जिसके कारण कई नए प्रतिबंध भी समीपस्थ क्षेत्र मे अनावश्यक रूप से प्रभावी होगे, जो उद्योग एव विकास के लिए अहितकर होगें।

- जनपद आगरा ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) का हिस्सा है, जिसके कारण अनेक प्रकार के प्रतिबधो से प्रभावित है और उद्योग एव विकास काफी बडी सीमा तक रूका है। इस स्थिति मे यदि लगभग 400

New Market, Jeoni Mandi, Agra – 282004 Ph.(0562) 4063770, 9368774368
Email: office@ncicagra.in, Website: http://www.ncicagra.in

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE,U.P.

ATUL KUMAR GUPTA PRESIDENT 9760011107
AMBA PRASAD GARG VICE PRESIDENT 9319109234
MANOJ KUMAR GUPTA VICE PRESIDENT 9837053316
NITESH AGARWAL TREASURER 9837153455

हैक्टेयर वन भूमि को अभयारण्य के रूप मे घोषित किया जाता है, तो समीपस्थ क्षेत्र पर अधिक प्रतिबंध लागू होंगे, जो किसी भी दृष्टि से उचित और न्यायसंगत नही होंगे।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यो के आलोक मे यह सर्वथा उचित होगा कि सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा को 403.09 है0 ही रखा जाए।

अतः आपसे सविनय अनुरोध है कि सूरदास वन ब्लॉक के रिजर्वड फॉरेस्ट की भूमि एवं अन्य वन भूमि को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत अभयारण्य के रूप में अधिसूचित न किया जाए। सूर सरोवर पक्षी विहार को उसके अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 है0 तक ही सीमित रखा जाए।

सादर,

भवदीय

(अतुल कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :—

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. रीजनल ऑफीसर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 14, सेक्टर–3, आवास विकास कॉलोनी आगरा–7।

New Market, Jeoni Mandi, Agra – 282004 Ph.(0562) 4063770, 9368774368
Email: office@ncicagra.in, Website: http://www.ncicagra.in

उद्योग हित

LAGHU UDYOG BHARATI
Head Office : Shri Vishwakarma Bhawan,
48, Deen Dayal Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002
Website : www.lubindia.com, E-mail : headoffice@lubindia.com
Ph. : 011-23238582, 23215054, 23218052, 0-9818039111
Reg. Off. : Anant Rao Behind Smriti Campus, Central Bazar Road
184, Shivaji Nagar, Nagpur - 440010, Telefax : 0712-2550326

लघु उद्योग भारती
website : www.lubindia.org

राष्ट्र हित
प्रदेश कार्यालय
लघु उद्योग भारती
LAGHU UDYOG BHARATI
203, Utroula Complex
27/6, Raja Ram Mohan Rai Marg
Opp. Krishi Bhawan, Lucknow - 226001
Phone : 0522-4335511, 9935380589
E-mail : lubindia.up@gmail.com

ALL INDIA ORGANISATION IN SERVICE OF SMALL SCALE INDUSTRIES

ल.उ.भा. / उ0प्र0 / 2024—25 / 45 दिनांकः 18.07.2024

सेवा में,

श्रीमान डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट ऑफिसर
आगरा

विषयः— सूरसरोवर पंक्षी विहार के नोटिफिकेशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको अवगत कराना है कि सूरसरोवर पंक्षी विहार का क्षेत्रफल 403 हेक्टेयर का नोटिफिकेशन पूर्व में भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया था। इसका क्षेत्रफल निर्धारण 800 हेक्टेयर करने का पुनः विचार हो रहा है, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है।

महोदय आपको अवगत कराना है कि सूरसरोवर पंक्षी विहार का पूर्व में हुआ निर्धारण उचित था जिसे बरकरार रखा जाये। महोदय आपसे निवेदन है कि इसके पुनः निर्धारण और क्षेत्रफल बढ़ाने से आगरा में उपयोगी भूमि का नुकसान होगा एवं आगरा—मथुरा रोड का विकास भी अवरूद्ध होगा, जो कि पूर्व में ही TTZ कि बंदिशों से ग्रसित है।

जैसा कि विदित है कि आगरा TTZ क्षेत्र में गैर प्रदूषण कार्य ही अनुमन्य है। अतः पूर्व सीमा को निर्धारित रहने से कोई भी अन्तर नहीं आयेगा। अतः अनुरोध है कि इस पर तत्काल कार्यवाही कर क्षेत्रीय लोगो को 10 किलोमीटर कि बंदिशों से शीघ्र मुक्त कराने कि कृपा करें।

अतः श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस क्षेत्रफल निर्धारण को 403 हेक्टेयर कर बफर जोन 500 मीटर किया जाये।

धन्यवाद

भवदीय

(मधुसूदन दादू)
प्रदेश अध्यक्ष
मो.न.—9810256494

Bharat

(भरत थरड)
प्रदेश महामंत्री
मो.न.—9415220384

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी, आगरा।

SGI
Agra • Mathura • G. Noida

Sharda Group of Institutions

"SGI Tower", 500 Mtrs from Bhagwan Talkies towards,
Agra-Mathura Highway (NH-2), Agra - 282 002
Phone . 0562-2522442, 2526758, Fax 0562-2850274
E-mail . shardain01@rediffmail.com, Website www.sgei.org

Ref – ESZ/SG/REP/01/2024

June 27, 2024

To,
The Divisional Forest Officer,
Chambal Sanctuary Project,
Soor Sarovar Brid Sanctuary, Keetham, Agra

Sub : Representation by SHARDA GROUP (SHARDA UNIVERSITY AGRA & SHARDA WORLD SCHOOL) on determination of area for the Eco Sensitive Zone around Soor Sarovar Bird Sanctuary, Agra.

Respected M'am,

SHARDA GROUP, since its inception in 1996, has brought Agra & Mathura on the global canvas for excellence in Higher Education with an alumni base of 90000+ and employment potential of 5000+. Carrying the legacy forward, on NH-19, the group has established, SHARDA WORLD SCHOOL and SHARDA UNIVERSITY AGRA, established vide Uttar Pradesh Private University Act, 2019 On 14th March, 2024, by the Govt of Uttar Pradesh in line with the vision of the Govt. of India and Govt. of Uttar Pradesh to establish the best in class Universities to act as catalyst in transforming the human capital with knowledge, skill, exposure and employment.

We have got to know from various newspapers and sources that in compliance to the directions of the Hon'ble Supreme Court, issued on 23 Sept, 2022, the department of MoEF and Depart of Forest, Govt. of Uttar Pradesh, are in process of re-drafting the policy and demarcating the area for the determination of the Eco Sensitive Zone around Soor Sarovar Bird, which was earlier declared 1 Km around the Soor Sarovar Bird Sanctuary vide MoEF's, Gazette Notification dated 10th Oct, 2019. - Copy enclosed as Annexure-1

On behalf of SHARDA GROUP, having its above two campuses, based adjoining to the Soor Sarovar Bird Sanctuary wish to present our representation for consideration on the following points, for the determination of Eco Sensitive Zone around Soor Sarovar Bird Sanctuary.

Contd...

1 Educational institutions as per MoEF's, Gazette Notification dated 10th Oct, 2019 are placed under the non prohibited category and further the OFFICE MEMORANDUM issued by the MoEF dated 19th May, 2022, having "Subject- Clarification on the applicability of EIA Notification 2006 for Educational Institutions" at point no. 2 Cleary mentions "Industrial shed, School, College, Hostel for educational institutions are exempted from requirement of Environmental Clearance (EC) – **Copy enclosed as Annexure-2**

Therefore, we request that educational institutions are non-polluting and non-commercial entities, operated under charitable Trust, therefore, the educational institutions be placed under the "Promoted Category Schedule" in the Eco Sensitive Zone.

2 Extent of the Eco-Sensitive Zone (ESZ) – Going by the geographic positioning of the Soor Sarovar Bird Sanctuary we see that on the southern boundary of the sanctuary there exist private agricultural lands, villages, National Highway -2, Railway lines, Hospital etc. On the eastern boundary of the sanctuary there exist a densely populated village Runkata which is also notified for development by Agra Development Authority, hence, it is open for expansion of civilization. On the western boundary of the sanctuary we see village Nagla Bhopla, Village Singna etc. On northern boundary of the sanctuary river Yamuna has its wide spread stretch. Therefore, looking to its geographic positioning and wide spread civilization around, a blanket declaration of Eco Sensitive Zone of uniform area around the sanctuary would massively affect the entire area and civilization. There are various survey reports submitted before the Hon'ble NGT mentioning the scope of coverage under Eco Sensitive Zone which will include many Govt. establishments, industries, public amenities, Highways, Hospital, Railways, civilian societies, As per the survey report submitted by the committee appointed by the NGT in year 2019, a huge population shall be impacted with the determination of Eco Sensitive Zone around the Sanctuary, as sanctuary is surrounded by densely populated civilization shall continue to expand with growing requirement for employment and shelter.

Therefore, instead of uniformly demarcating the Eco Sensitive Zone of either 1Km or 10 Km around the sanctuary and a "PRAGMATIC" view be referring some of the Eco Sensitive Zone declared in India, referred below, wherein the varying limits of the ESZ have been fixed, which may be considered in the present case too:

Contd....

a Eco Sensitive Zone around Barda WLS, Gujrat – Vide Minutes of 25th Meeting of the Expert Committee on Eco – Sensitive Zones (ESZ) held on 11th Apri, 2017, **(Page no. 3, Extent of ESZ- 0 Km to 17.9 Km)** to in the Ministry of Environment Forest & Climate Change, New Delhi **Copy enclosed as Annexure-3**

b Eco Sensitive Zone around Porbander Wildlife Sanctuary, Gujrat– Vide Minutes of 25th Meeting of the Expert Committee on Eco – Sensitive Zones (ESZ) held on 11th Apri, 2017, in the Ministry of Environment Forest & Climate Change, New Delhi. - **Copy enclosed as Annexure-3**

c The Gazette of India, MoEF, published on May, 5th, 2016. - **Copy enclosed as Annexure-4**

3 We submit that a rational approach be adopted for the declaration of ESZ as it would very likely going to have long term effect over industrial development, housing development, construction, business, economy, schools and colleges, hospitals and medical facilities and civilization in this area. The industrial development and economic development at Agra after declaration of Taz Trapizium Zone has already has been badly affected the industry leading to massive un-employability in this area.

4 As per the present geographical and demographical scenario around Soor Sarovar Bird Sanctuary, we intend to submit our recommendations for the declaration of Eco Sensitive Zone of Soor Sarovar Bird Sanctuary, District Agra, an Eco Sensitive Zone of 0 (Zero) meters width along the boundary of Soor Sarovar Bird Sanctuary its boundary on South, East and West.

5 There are reference notification by MoEF. forming basis for our representation, which may kindly be considered:

The representation made above may kindly be consider in the winder interest of the citizens of Agra.

Thanking you with regards,

Gaurav Sonbhadra (Mob 9917200998)

For Sharda Group, Agra

Copy to

1 The Secretory, MoEF, Govt of India – for kind information
2 The Addl. Chief Secretary, Forest & Environment, Govt. of Uttar Pradesh – for kind information.
3 The Head of the Forest, Govt. of Uttar Pradesh – for kind information
4 The Principal Chief Conservator of Forest, Govt. of Uttar Pradesh – for necessary directions
5 The Chief Wild Life Warden, Wild Life, Govt of Uttar Pradesh – for necessary action